खण्ड-116, अंक-1
सोमवार, 1 पौष, शक संवत् 1874
(22 दिसम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 116 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

अक्षयवर सिंह , श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाज़ा, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल शीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री

भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम, ख़ां श्री,
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
मान्धाता सिंह, श्री
मिज़ाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र, विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफतहुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री

लालबहादुर सिंह कश्यप , श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बशिष्टनारायण शर्मा, श्री
बसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव
वीरेन्द्रशाह, राज श्री
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री

श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम, खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--
[देखिये आगे पृष्ठ १४ पर]

बहराइच के सरदार जोगेन्द्र सिंह, एम० पी० के विरुद्ध मगहर क्षेत्र के किसानों के आरोप

*३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि गत २४ जुलाई को बहराइच जिले के मगहर क्षेत्र से प्रायः ८० किसानों ने पैदल आकर जो स्मृतिपत्र मुख्य मंत्री और माल मंत्री की सेवा में दिया था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--प्रश्न में उल्लिखित स्मृति-पत्र पर जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि सरदार जोगेन्द्र सिंह और किसानों के बीच समझौता हो गया है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे फार्म से अलग किये गये किसानों को भूमि देंगे। उनमें से उन्होंने कुछ किसानों को भूमि दे दी है और बाकी को भूमि देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को मालूम है कि यहां से लौटने पर उन किसानों पर सरदार जोगेन्द्र सिंह, एम० पी० ने अपने नौकरों और पुलिस के सिपाहियों की सहायता से मारपीट, घरों की सार्वजनिक लूट, स्त्रियों का सतीत्व भंग तथा आतंक उत्पन्न करने की कार्यवाहियां करायीं जिसकी शिकायत श्री झारखंडे राय ने मुख्य मंत्री और पुलिस मंत्री से जबानी की। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--प्रश्न में सरदार योगेन्द्र सिंह के नौकर और पुलिस के खिलाफ किये गये आरोप बिल्कुल ग़लत हैं। इसके विपरीत लखनऊ से लौटने पर कुछ व्यक्तियों ने किसानों को उत्तेजना दी जिसके कारण उन्होंने सरदार जोगेन्द्र सिंह की भूमि पर जबर्दस्ती क़ब्जा करने, उनके नौकरों को मारने, ट्रैक्टर जलाने, और शान्ति भंग करने की ग़ैर क़ानूनी कार्यवाही करने का प्रयत्न किया। सदस्य महोदय ने मुख्य मंत्री जी से तो इस विषय में शिकायत की परन्तु कोई ऐसी शिकायत पुलिस मंत्री से नहीं की। मुख्य मंत्री से की गई शिकायत पर जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई, जिससे ज्ञात हुआ कि सब शिकायतें निर्मूल हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना के पहले सरदार जोगेन्द्र सिंह जी यहां आकर मुख्य मंत्री जी से मिल चुके थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसकी सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री झारखंडे राय--उत्तर की तीसरी लाइन में जिन व्यक्तियों का जिक्र है क्या सरकार बतायेगी कि ये व्यक्ति कौन थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उनमें कुछ कम्यूनिस्टों का हाथ था।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बतायेगी कि उनके नाम क्या हैं और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---पूरे नाम मालूम करने के लिये नोटिस की जरूरत है, लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुये थे उन्होंने मांफी मांग ली है अब मजीद कार्यवाही की आवश्यकता मालूम नहीं देती।

*५--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को मालूम है कि मगहर क्षेत्र के ४० किसान गिरफ्तार कर जेल भेजे गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जैसा प्रश्न ४ के उत्तर में कहा गया है, कुछ व्यक्तियों ने शान्ति भंग और अन्य गैर-कानूनी कार्यवाही करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण ४० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये परन्तु बाद में माफी मांगने पर वे छोड़ दिये गये।

श्री सीताराम शुक्ल--माफी तो किसानों ने मांगी थी लेकिन जिन लोगों ने किसानों को उभारा उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री चरण सिंह--जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे उन्होंने गिरफ्तार हो जाने के बाद माफी मांग ली थी और वे छोड़ दिये गये, अब मजीद कार्यवाही की जरूरत नहीं समझी जाती।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि क्या घटनास्थल पर सरदार जोगेन्द्र सिंह उपस्थित थे ?

श्री चरण सिंह--वे उस वक्त मौजूद नहीं थे, उस दिन वे कलकत्ता में थे।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपा करके उस समझौते के कागज को यहां हम लोगों के सामने पेश कर सकती है जो समझौता किसानों और सरदार जी के बीच में हुआ है ?

श्री चरण सिंह--कोई ऐसा तहरीरी समझौता नहीं किया गया था। जो वाक़ई किसान थे और जिनकी जमीन उनके फार्म के अन्दर आती थी उनको वह जमीन दी गयी है और उन लोगों की सन्तुष्टि हो गयी है। कोई किसी तरह की रजिस्ट्री नहीं हुई है। वे मेकेनाइज्ड फार्मिंग करना चाहते थे। जमींदारी एबालिशन के बाद और जिन लोगों के खेत बीच में आ गये थे उनको जमीन देने का सवाल उठता है और उनको जमीन दे दी गयी और बाकी लोगों को समझौते में जमीन देने का वादा किया गया था। सरकार मालूम कर रही है कि उन लोगों को जमीन मिली या नहीं मिली।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार को यह मालूम है कि अब तक सचमुच किसी एक किसान को भी जमीन नहीं दी गयी है ?

श्री चरण सिंह--सरकार को मालूम है कि कुछ किसानों को जमीन मिल चुकी है।

तारांकित प्रश्न

पटवारियों के कर्तव्य और अधिकार

*१--श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि वह पटवारियों के कर्तव्य और अधिकारों के सम्बन्ध में नये नियम बनाने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां।

श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये नये नियम पटवारियों पर कब से लागू हो जायंगे ?

श्री चरण सिंह--बहुत जल्द लागू होने वाले हैं।

श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पटवारियों के मैनुअल में जो कर्तव्य पटवारियों के दिये गये हैं उनके अतिरिक्त जो काम उनसे लिये जाते हैं उसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह--कोई बहुत अहमियत का काम जिससे उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता हो, यदि ऐसा वे काम करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों को हमेशा पारितोषिक अथवा पारिश्रमिक देने का नियम है लेकिन बाकी ऐसे वे २४ घंटे के मुलाजिम हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यू लैंड रेकार्ड मैनुअल छप गया है, या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--छप गया है।

*२--**श्री रमेश वर्मा**--क्या उत्तर प्रदेश के पटवारियों की संस्था की ओर से पटवारियों की मांगें सरकार के सामने प्रस्तुत की गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, पटवारियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है।

*३-४--**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)--[१६ जनवरी, १६५३ के लिये स्थगित किये गये।]

कुमाऊं पटवारी एसोसिएशन की मांगें

*५--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार के पास कुमाऊं पटवारी एसोसिएशन की कोई मांगें आयी हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह उन मांगों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करके कुछ दिनों पूर्व निर्णय दे दिया था। अब पुनः उनकी मांगें आई हैं, जो भूमि-व्यवस्था कमिश्नर के विचाराधीन हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने पहले की किन मांगों पर विचार करके क्या निर्णय दिया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार ने उनके एसोसियेशन को तो मान लिया था लेकिन उनकी जो यह मांग थी कि उनको रेवेन्यू पुलिस आफिसर करार दिया जाय तथा उनको परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट मानने तथा पेंशन वग़ैरह की जो मांग थी उसको सरकार ने नामंजूर कर दिया था। इसके अलावा वह जो चाहते थे कि पटवारियों को खिसारा एलाउंस के बजाय उनको कुली एक्सपेंस भी दिया जाय इस बात को भी सरकार ने नामंजूर कर दिया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि प्रश्न नम्बर ७ में उल्लिखित कितने पटवारियों और कितने कानूनगोओं के लिये सरकारी क्वार्टर्स अब तक बन चुके हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को यह मालूम है कि कुमायूं डिवीज़न के पटवारियान उस पट्टी में पुलिस का भी सारा काम करते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जिस पट्टी के वे पटवारी हैं वहां के और भी सारे काम वही पटवारी लोग करते हैं?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, मसलन् पशुपालन का काम नहीं करते।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ऐसा क्यों है कि पटवारियों को तो स्टेशनरी एलाउंस एक रुपया दो आना मिलता है और कानूनगोओं को १२ आना मिलता है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आवश्यकतानुसार मिलता है?

श्री गंगाधर मैठाणी (ज़िला गढ़वाल)---क्या सरकार कृपा पूर्वक बतलायेगी कि कुमायूं डिवीज़न में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पटवारियों के लिये पटवारियान स्कूल्स से जो पास करके आते हैं और कानूनगो जो कानूनगोआन स्कूल से पास करके आते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जब कि कानूनगोओं को यात्रिक भत्ता १५ रु० मिलता है तो पटवारियों को कोई यात्रिक भत्ता क्यों नहीं मिलता?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पटवारियों को खिसारा एलाउंस मिलता है और यात्रिक भत्ते की आवश्यकता नहीं है इसलिये कि वे अपने क्षेत्र के अन्दर ही रहते हैं जब कि कानूनगोआन का क्षेत्र बड़ा होता है।

*६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को मालूम है कि कुमाऊं डिवीज़न में काम करने वाले पटवारियों को पेंशन नहीं मिलती है? अगर हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कानूनगोओं को भी कोई पेंशन मिलती है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

श्री सुल्तान आलम खां (ज़िला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जब पटवारी २४ घंटे के सरकारी मुलाजिम हैं तो उनको पेंशन क्यों नहीं दी जाती?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अभी पटवारियों का प्रश्न, उनकी पेंशन का उनके होलटाइम सर्वेंट होने का प्रश्न, और उनकी जो मांगें हैं उन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री सुल्तान आलम खां---तो क्या मैं इससे यह मतलब निकालूं कि पटवारियों को पेंशन दी जायगी या नहीं, इस मामले पर विचार हो रहा है ?

श्री चरण सिंह---यह मामला गवर्नमेंट के जेरेगौर है लेकिन इससे यह नतीजा नहीं निकला जा सकता कि उनको पेंशन जरूर मिलेगी।

श्री शिवनारायण (जिला देवरिया)---सरकार ने अभी जवाब दिया है कि कानूनगोआन और पटवारियान स्कूल्स से जो पास करते हैं उनको क्रमशः कानूनगो और पटवारी नियुक्त किया जाता है लेकिन क्या सरकार यह बतलायेगी कि किस-किस क्वालिफिकेशन के होने पर लोग कानूनगोआन और पटवारियान स्कूल्स भेजे जा सकते हैं ?

श्री चरण सिंह---मिडिल पास तो जाते हैं पटवारियों के ट्रेनिंग स्कूल में और हाई स्कूल पास जाते हैं कानूनगो ट्रेनिंग में।

*७---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमाऊं डिवीजन में कुल कितने पटवारी तथा कानूनगो हैं तथा उनकी वेतन, भत्ते, आदि की क्या क्या दरें हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कुमाऊं डिवीजन में कुल २५६ पटवारी तथा २२ कानूनगो हैं। पटवारियों का प्रतिमास वेतन दर ६०---१ १/२---६० रु०, गौसांरा अलाउन्स १५ रु०, स्टेशनरी अलाउन्स १ रु० २ आ० है। उनके लिये बिना किराये के सरकारी क्वार्टर्स भी हैं और जहां सरकारी क्वार्टर्स नहीं हैं उनको ४ रु० प्रतिमास मकान का किराया भी दिया जाता है। कानूनगोओं का प्रतिमास वेतन दर ८५---५---१२०---५---१५० रु०, गौसांरा अउलाउन्स ३० रु०, स्टेशनरी अलाउन्स १२ आना तथा यात्रिक भत्ता १५ रु० है। पटवारी और कानूनगो को महंगाई भत्ता दूसरे सरकारी कर्मचारियों के समान मिलता है।

*८---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---[१२ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

कूप निर्माण योजना के अंतर्गत आगरा जिले के किसानों को सहायता

*९---श्री रमेश वर्मा---क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में जिन किसानों की अर्जियां ३० जून, १९५२ तक सिंचाई के पक्के कुएं बनाने के बारे में स्वीकृत हो चुकी हैं उनको सरकार पांच सौ रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है ?

कृषि उप मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत आगरा जिले में जिन किसानों की अर्जियां ३० जून, १९५२ तक सिंचाई के पक्के कुएं बनाने के लिये स्वीकृत हो चुकी हैं, उनको नियमानुसार कुआं बना लेने पर, प्रति कुआं ४०० रु० तक की सबसिडी दी जायगी।

श्री रमेश वर्मा---क्या सरकार को पता है कि इस योजना के अन्तर्गत २६० कुएं बन चुके हैं और अब तक स्वीकृति केवल ९७ कुओं के लिये दी गयी है। शेष के लिये कब तक स्वीकृति दी जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जो कुएं बन जाते हैं और जिस तरीके से उनको कुआं बनाने को कहा जाता है उसका निरीक्षण हो जाने के बाद उनको सबसिडी दी जाती है। तो जिन कुओं का निरीक्षण हो चुका है उनको सबसिडी मिल चुकी है। जिन का निरीक्षण नहीं हुआ है उनका निरीक्षण हो जाने के बाद सबसिडी दी जायगी। जितनी जल्दी वे लोग अपने कुओं का निरीक्षण करा लेंगे उतनी ही जल्दी उनको सबसिडी दी जायगी। अगर कोई देर है तो कुएं बनाने वालों की तरफ से है। सरकार की तरफ से कोई देर सबसिडी देने में नहीं की जा रही है।

श्री रमेश वर्मा---क्या सरकार को पता है कि निरीक्षण जब लखनऊ से आदमी आता है तब पूरा हो पाता है। लेकिन लखनऊ से आदमी समय पर नहीं पहुंच पाता है, क्या सरकार इसके लिए कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---निरीक्षक कहां से भी भेजा जाय, जब कुआं बनाने वाला हमको इत्तिला देगा कि उसका कुआं बन कर तैयार है तो जल्द से जल्द हम उसके पास निरीक्षक भेज देंगे।

मुजफ्फरनगर मेरठ सहारनपुर तथा बुलन्दशहर जिलों में गन्ने की फसल को कनसवा बीमारी से क्षति

*१०---श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर तथा बुलन्दशहर के जिलों में गन्ने की फसल का अधिक भाग कनसवा बीमारी के कारण नष्ट हो गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, बीमारी पश्चिमी जिलों के गन्ने की फसल में १० से ३०% तक हुई।

*११---श्री श्रीचन्द---सरकार ने इस बीमारी की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसकी रोकथाम के लिये बीमारी लगे हुए गन्नों को खेतों से उखड़वाया गया। यह बीमारी मुख्यतया गन्ने की किस्म ३१२ में लगी है। जिसको पिछले कई वर्षों से उन्मूलन करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की किस्म ३१२ के स्थान पर कौन गन्ना आर्थिक तथा उपज की दृष्टि से अधिक लाभदायक सिद्ध होगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत---३१२ नम्बर तो बहुत पुरानी किस्म है और प्रयोग करने के बाद इसको उपयोगी नहीं समझा गया। इसके बाद भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न नम्बर के गन्ने तैयार किये गये हैं। तो इसको पूरी तरह समझने के लिये कि कौन से क्षेत्र में वह चाहते हैं कि कौन सा गन्ना उपयोगी होगा, यदि वह पूछेंगे तो मैं उनको पता लगा कर बताने की कोशिश करूंगा।

*१२---श्री श्रीचन्द---क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रति वर्ष गन्ने की उपज अत्यधिक कम होती जा रही है ? यदि हां, तो उसकी उन्नति के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी नहीं, गन्ने की उपज बजाय घटने के प्रति वर्ष क्रमशः बढ़ती जा रही है। निम्नांकित आंकड़े इसकी पुष्टि करेंगे —

वर्ष	प्रति एकड़ उपज (मनों में)
१९४७–४८	५१५
१९४८–४९	६१८
१९४९–५० .. .	६५७
१९५०–५१	६८८
१९५१–५२	६७८

आंकड़े ईख अनुसन्धानशाला, शाहजहांपुर के संचालक के अनुसन्धान के आधार पर हैं। सन् १९५१–५२ में १० मन की कमी अनुसन्धान में कुछ त्रुटियों के कारण ही है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यदि गन्ने की उपज अनुसंधानशाला शाहजहांपुर के अनुसंधान पर बढ़ रही है तो क्या किसानों की आर्थिक दशा भी बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप वैसे जबानी प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन लिखे हुए को नहीं पढ़ सकते।

श्री चन्द—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ना बोने वालों की आर्थिक दशा भी बढ़ रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो किसान गन्ने के बोने और उसको पैदा करने के सम्बन्ध में गन्ना विभाग की हिदायत को मानते हैं उनकी उपज तो खैर बढ़ती ही है, इससे उनकी आर्थिक हालत भी सुधरती है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में गन्ने में बीमारी होने के कारण किसानों को हानि हुई वहां वह किसानों को आबपाशी वगैरा में छूट देने को तैयार हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—जहां गन्ने की हानि हुई है, बीमारी के कारण, वहां जो भी दरख्वास्तें आई हैं उन पर विचार किया जायगा।

हल्द्वानी जिला नैनीताल में हक हकूक की लकड़ी

*१३—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ६ अक्टूबर, १९५२ ई० को पूछे गये प्रश्न संख्या ९८, ९९ (नैनीताल जिला हल्द्वानी के भावरी काश्तकारों को हक हकूक की लकड़ी मिलने) के सम्बन्ध में जब जिलाधीश ने आदेश भी दे दिया था तो क्या जिलाधीश महोदय की आज्ञा का पालन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जांच करने से मालूम हुआ है कि अभी तक जो लकड़ी प्रश्न में उल्लिखित आदेश के अनुसार दी जाने वाली थी नहीं दी गई है। इसका कारण यह बताया जाता है कि श्री इन्दरलाल ने स्वयं, बावजूद प्रधान के कोशिश करने के, लकड़ी नहीं ली। अब यह आदेश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द यह लकड़ी श्री इन्दरलाल को दे दी जाय।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे यह लकड़ी की बाबत जो कहा गया है कि इन्दरलाल ने नहीं ली, यह किस आधार पर कहा जाता है इन्दरलाल ने लकड़ी लेने से इन्कार किया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---तराई भावर के सुपरिंटेंडेंट मौके पर जांच करने के लिये गये थे। प्रधान से पूछा गया, गांव वालों से दरियाफ्त किया गया। इसके आधार पर यह रिपोर्ट आई है कि इन्दरलाल ने स्वयं लकड़ी नहीं ली।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुद प्रधान ने १५ साल से हक हकूक की लकड़ी नहीं दी है ?

श्री चरण सिंह---सुपरिंटेंडेंट को लिख दिया गया है अगर इस प्रधान की गफलत साबित होती हो तो उसको अलहदा कर दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं इस सिलसिले में कोई और प्रश्न प्रस्तुत करना बेकार होगा।

*१४---श्री खुशीराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कब तक यह विषय विचाराधीन रहेगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जैसा कि प्रश्न १ के उत्तर में कहा गया है अब श्री इन्दरलाल को लकड़ी जल्द से जल्द मिल जायगी। इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता।

घोड़ाखाल स्टेट जिला नैनीताल में नवाब रामपुर की भूमि

*१५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि रामपुर नवाब की नैनीताल जिले में स्थित घोड़ाखाल स्टेट में कितनी जमीन आबाद व कितनी बंजर है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतलायेगी कि उस बंजर जमीन को जुतवाने के लिये लैण्ड युटिलिजेशन ऐक्ट के मातहत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सूचना संग्रह की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह सूचना कब तक एकत्रित होगी और कब तक इसका उत्तर मिल जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत---कोई तारीख तो नहीं बताई जा सकती। जितनी जल्दी सूचना आ जायगी, उत्तर दे दिया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या तब तक भूमिहीन किसान उस बंजर भूमि को खोद सकते हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इस सिलसिले में जब सूचना ही मेरे पास नहीं है तो मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं।

अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के तहसीलदार की हिन्दी से अनभिज्ञता

*१६---श्री देवदत्त शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या यह सही है कि जिला बुलन्दशहर में कुछ तहसीलदार ऐसे हैं जो अभी तक हिन्दी बिल्कुल नहीं सीख पाये ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के सम्बन्ध में सरकार क्या नीति बरतने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं। केवल एक तहसीलदार ऐसे हैं जो अभी तक हिन्दी पूर्ण रूप से नहीं सीख पाये हैं। जो लोग अब तक हिन्दी बिल्कुल नहीं सीख पाये हैं उनके सम्बन्ध में सरकार ने यह नीति रक्खी है कि उन्हें २९ अक्तूबर, सन् १९५२ से १ साल का समय और दिया जाये कि वह हिन्दी पूर्ण रूप से सीख लें।

श्री देवदत्त शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह तहसीलदार साहब कौन से हैं, उनका क्या नाम है ?

श्री चरण सिह---अनूपशहर के तहसीलदार।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय तक हिन्दी न सीख सके तो उसके विरोध में क्या किया जायगा।

श्री चरण सिंह---यह तो २९ अक्टूबर के बाद निश्चय होगा कि क्या किया जाय।

*१७---१८---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

[देखिये आगे पृष्ठ १४ पर]

ग्राम पचखरा, जिला रायबरेली में निकास के मार्ग की असुविधा

*१९---श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले के पचखरा नामक मौजे में नौतोड़ की वजह से गांव के अन्दर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---ग्राम पचखरा में निकास के दो मार्ग हैं, एक उत्तर की तरफ तथा दूसरा दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ वाला मार्ग तो हमेशा खुला रहता है, किन्तु उत्तर की तरफ वाले मार्ग के मध्य में १५० गज लम्बे दो प्लाटों के नौतोड़ हो जाने के कारण बरसात में इसमें धान की फसल बो दी जाती है और इससे कुछ काल के लिये यह मार्ग बन्द हो जाता है किन्तु अब इस मार्ग को भी हमेशा खुला रखने की व्यवस्था कराई जा रही है।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमेशा खुलवाने की जो व्यवस्था की जा रही है वह क्या है ?

श्री चरण सिंह---जिन लोगों ने उस रास्ते को जोत लिया है उनको समझा-बुझा कर उस रास्ते को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। अगर वह नहीं हुआ तो गांव-सभा को उचित है कि दावा दायर करे। अगर वह नाकाबिल साबित हुई तो कलेक्टर को अख्तियार है कि दावा दायर कराकर उस रास्ते को साफ करा ले।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि जो दक्षिण तरफ का रास्ता बताया गया है वह सिर्फ पगडंडी है और कोई सवारी गांव के अन्दर नहीं जा सकती।

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट है उससे ज़ाहिर होता है कि चौड़ा रास्ता है।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह जांच हुई है वह किसके द्वारा हुई है।

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट कलेक्टर से आयी है। उन्होंने मौके पर किस अफसर को भेजा यह मैं ठीक इस वक्त नहीं बता सकता।

[अनुपस्थित सदस्यों के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

अमौसी हवाई अड्डे के निकट राहज़नी

*१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या पुलिस मंत्री को पता है कि लखनऊ-कानपुर रोड पर अमौसी एयरोड्रोम के करीब हर रोज राहजनी की घटनायें हो रही हैं।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अमौसी हवाई अड्डे के करीब लखनऊ-कानपुर रोड पर राहजनी की घटनायें प्रतिदिन नहीं हो रही हैं। इस वर्ष जून में इस प्रकार की केवल १ घटना हुई ?

*२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या पुलिस मंत्री को सब-इन्स्पेक्टर इन्चार्ज थाना बंथरा के खिलाफ इस सिलसिले में कोई पत्र मिला है या शिकायत पहुंची है ? यदि हां, तो उसपर उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

[अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न]

* * *

राज्य में किसानों को तकावी

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बतालने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिलों में इस वर्ष तकावी, ऋण न देने का सरकार द्वारा निर्णय किया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि इस वक्त सूबे के किसानों को कितनी तकावी दी जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कुल रकम जो तकावी के लिये मंजूर की गई थी वह १,४०,२५,००० रु० है जिसमें से १,३४,४७,५१७ रु० तकावी में दिया जा चुका है।

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

रोडवेज़ कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था

१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या गवर्नमेंट रोडवेज के कंडक्टर, ड्राइवर तथा दूसरे कर्मचारियों के रात में विश्राम के लिये कोई स्थान नियत रहते हैं ? यदि हां, तो उन स्थानों पर ठहरने का क्या प्रबन्ध है और किन किन स्थानों पर ऐसा प्रबन्ध है ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जी हां।

ठहरने के लिये प्रायः एक कमरे का प्रबन्ध निम्नलिखित स्थानों पर है—

आगरा, सादाबाद, फिरोजाबाद, कासगंज, सिकंदराराऊ, इगलास, बुलन्दशहर, मैनपुरी, नौझील, कोसी, वृन्दावन, एटा, हाथरस, बस्ती, रानीखेत, रामगढ़, भीमताल, कानपुर, बिसवां, मौरावां, जैस, रायबरेली, बाराबंकी, मेरठ, देहली।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १–२ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछे। और तारांकित प्रश्न १७–१८ श्री उमाशंकर ने पूछे।

२—श्री गेंदा सिंह—उपरोक्त कर्मचारियों के खाने के लिये क्या सरकार की ओर से कोई भत्ता या राशन देने की व्यवस्था है ?

श्री विचित्र नाराण शर्मा—हेडक्वार्टर्स से बाहर रात्रि बिताने का भत्ता ड्राइवरों, कण्डक्टरों, तथा क्लीनर, कडण्क्टरों को दिया जाता है।

३–४—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[१६ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये]

मेहतर फेडरेशन द्वारा हड़ताल के नोटिस के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने इस संबंध में दिया है कि मेहतरों ने फेडरेशन की तरफ से २६ तारीख से हड़ताल की नोटिस दी है । इस संबंध में गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, लिहाजा इसके ऊपर सदन का काम रोक, कर विचार किया जाय। इस तरह का प्रस्ताव है।

किसी काम रोको प्रस्ताव के पेश करने की मैं इजाजत दूं, सदन से अनुमति मांगने के लिये, उसके पेश्तर यह देखना आवश्यक होता है कि वह डिफिनिट होना चाहिये, अर्जेंट होना चाहिये, पब्लिक इम्पार्टेंस का होना चाहिये, सार्वजनिक हित का संबंध उससे हो, महत्व का हो, यानी उसकी अत्यन्त आवश्यकता विचार करने के लिये होनी चाहिये और बिलकुल डेफिनिट यानी ऐसा हो कि स्पष्ट हो जाय कि अगर यह चीज इस वक्त नहीं हुई तो कोई ज्यादा खतरा पैदा हो जायगा । जहां तक २६ तारीख की हड़ताल का नोटिस का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि महत्व का तो प्रश्न है अगर प्रान्त भर की हड़ताल का सवाल हो।

अर्जेंसी है या नहीं इस विषय में शंका हो सकती है लेकिन विचार किया जा सकता है क्योंकि तारीख करीब आ गयी है। शायद माननीय मंत्री जी प्रकाश डालकर उसकी अरजेंसी को बतायें कि नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रश्न सिद्धांत का है कि डेफिनिट किसे कहना चाहिये। तरीका यह रहा है कि जहां हाईपोथेटिकल क्वेश्चन होता है यानी यह ठीक कहा नहीं जा सकता कि हड़ताल हो जायगी या नहीं होगी, तो जहां ऐसा सवाल उठता है कि हो या न हो, तो वह एक काल्पनिक चीज हो जाती है और डेफिनिट उसको नहीं कहते हैं। इस तरह की रूलिंग अंग्रेजी पार्लियामेंट में हो चुकी है कि 'मैटर मस्ट बी डेफिनिट' की व्याख्या में उन्होंने कहा कि वह डेसीजन जो कि नाट वन इंवाल्विंग हाईपोथेटिकल सर्कम्सटांसेज वही डेफीनिट कहा जा सकता है। प्रस्तुत प्रश्न तो यह इंवाल्व करता है हाईपोथेटिकल सर्कम्सटांसेज । हर एक म्युनिसिपैलिटीज को हड़ताल की नोटिस होती है क्योंकि मेहतरों की एम्प्लायर हैं म्युनिसिपैलिटीज, कोई प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट के सब मेहतर नौकर नहीं हैं। अगर वे गवर्नमेंट के नौकर होते तो मैं सोच सकता था लेकिन चूंकि नोटिस म्युनिसिपैलिटियों को होगी, इसलिये हो सकता है कि कुछ म्युनिसिपैलिटियां तसफिया कर लें और कुछ न करें । इस प्रकार यह हाईपोथेटिकल सर्कम्सटांसेज के ऊपर डिपेंड करता है और इस लिये मैं इसको डेफिनिट यानी निश्चित नहीं समझता और उसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री झा रखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष —उसके बारे में फैसला हो गया। डेफिनिट यह नहीं है, इसलिये मैं इजाजत नहीं देता।

अध्यक्ष से पत्र व्यवहार में अंग्रेजी के प्रयोग का निषेध

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय स्पीकर महोदय, मैंने आप को १६–१२–५२ को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि कभी-कभी सरकार ने आपको अंग्रेजी में पत्र लिखे थे। उसके संबंध में श्रीमान् ने कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष---इसके संबंध में एक दफा तो मैं अपनी राय जाहिर कर चुका हूं कि जैसा इस सदन का निर्णय हो चुका है उसके अनुसार पत्र व्यवहार हिन्दी में होना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को लिख रहा हूं कि इस तरह की जो मैं यहां पर घोषणा कर चुका हूं या कह चुका हूं या अपना निर्णय दे चुका हूं, उसके अनुसार आइन्दा कार्यवाही हो लेकिन यह बात जरूर है कि कभी-कभी अगर इस तरह की चीज आ जाय और गल्ती हो जाय तो इतना महत्व उसको देने की आवश्यकता नहीं जबकि साधारण रूप से हिन्दी में ही लिखते हैं, एक आध दफा अंग्रेजी में भी लिख दिया, क्यों कि आदत पड़ी हुई है, कभी-कभी अंग्रेजी में लोग लिख देते हैं। मैं भी कभी-कभी लिख देता हूं, बोलता हूं मुझे खुद अफसोस होता है इस बात के लिये कि "आर्डर" कह देता हूं जब कि "सावधान" कहना चाहिये। तो ऐसी गल्तियां मुझ से भी होती हैं और हर आदमी से होती है, जब तक सब काम हिन्दी में न हो। यहां पर जो म्युनिसिपैलिटीज विधेयक है वह सब सदन अंग्रेजी में कर रहा है, यानी उसकी भाषा अंग्रेजी है। भाषण तो हिन्दी में बोलते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा भी हिन्दी में लिखा है लेकिन, जो वाक्य रखे जाते हैं खंडों में वह अंग्रेजी में रखते हैं और इस प्रवाह में, अगर वह चिट्ठी भी अंग्रेजी में लिख जायं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आइन्दा इसका प्रयत्न किया जायगा कि हिन्दी में पत्र-व्यवहार हो ।

साप्ताहिक कार्यक्रम

श्री नेकराम शर्मा (जिला आलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह वर्तमान अधिवेशन है यह कब तक चलेगा ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---इस हफ्ते २४ दिसम्बर तक चलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि नियम १९ के अनुसार इस सप्ताह का कार्यक्रम किस क्रम के अनुसार चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी, यह एजेण्डा दिया है, कार्यवाही इसके अनुसार अगर आपके विचार में हो तो कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है नहीं तो मैं यह कहूंगा कि इस हफ्ते का क्या कार्य-क्रम होगा वह आप कृपा करके बतलायें।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---इस हफ्ते में जितना एजेंडा में दिया हुआ है वह मुश्किल से पूरा होगा ।

श्री अध्यक्ष---इसी क्रम से होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसी क्रम से होगा ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिछले सप्ताह का कार्यक्रम जो था उससे इसके क्रम में कुछ रद्दोबदल किया गया है, यह रद्दोबदल कर देने का क्या कारण है। कोई खास बात तो नहीं है। टाउन एरियाज का जो संशोधन आने वाला था उसको हटाकर कुछ और किया गया है।

श्री अध्यक्ष---सरकार ने मेरे पास प्रार्थना भेजी थी इस बात की कि इस का क्रम बदल दिया जाय तो मैंने उसको बदल दिया क्योंकि यह तो सरकार के ऊपर है कि कौन से प्रश्न वह सदन के सामने रखना चाहती है, यह उसकी इच्छा पर अवलंबित रहेगा। कोई प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि आज जो हो और कल सरकार यह कहें कि हम लेना ही नहीं चाहते हैं। जब सरकारी कार्यक्रम है तो उसको इस संबंध में निर्णय करने का साधारण अधिकार रहता ही है।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये श्री करन सिंह यादव का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष—श्री करन सिंह यादव जी ने प्रार्थना की है और वह सदन के सामने मौजूद हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूं—

"मुझे दुख के साथ निवेदन करना है कि मैं १ दिसम्बर, १९५२ से अतिरुग्ता हूं। अतः मैं २ दिसम्बर से आरम्भ होने वाली सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। मेरी दशा और स्वास्थ्य ऐसा है कि मैं कम से कम वर्तमान सत्र में एक मास तक उपस्थित होने में समर्थ न हो सकूंगा। यद्यपि सिविल सर्जन ने मुझे ३ मास का पूर्ण विश्राम करन के लिये परामर्श दिया है। आपके द्वारा मेरा सदन से निवेदन है कि सत्र से अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा प्रदान करें। मैं अत्यन्त अनुगृहीत हूंगा।"

प्रश्न यह है कि अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५२

खाद्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२ पर)

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

†खंड ९ (पुनरागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्री कमला सिंह जी उस समय उपस्थित नहीं थे जब कि १०८ वां अमेंडमेंट आने वाला था। यह एक वर्बल अमेंडमेंट है कि "इन" की जगह "अंडर" कर दिया जाय। चूंकि वह उस समय नहीं थे इसलिये यह पास ओवर हो गया था। यह शुद्धि कर दी जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—यह तो शाब्दिक ही है। इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी का सवाल है नहीं। तो मैं सदन के सामने पुट करता हूं। क्योंकि वैसे तो मैं कर देता लेकिन यह विधान परिषद से आया हुआ है, इसलिये मैं सदन की राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-k की उपधारा (1) के भाग (C) की पंक्ति ३ में शब्द 'Appointed' के बाद शब्द 'IN' के स्थान पर शब्द "under" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

† १५ दिसम्बर, १९५२ " "

श्री अध्यक्ष—इस खंड को भी जो अब पुनः संशोधित हुआ है मैं पेश करता हूं। प्रश्न यह है कि पुनः संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २३

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ५७ का संशोधन।

२३—मूल अधिनियम की धारा ५७ में उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा २-ए के रूप में रखी जाय

"(2-A) Every board shall, if so required by the State Government, employ in addition to or in place of the Accountant, an Accounts Officer nominated by the State Government either severally or jointly with one or more than one board or any other local authority on the terms and conditions as may be prescribed by the State Government from time to time."

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड २३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (2-A) की पंक्ति २ व ३ के "an Accounts Officer" के बाद तथा पंक्ति ३ व ४ के "either severally" के बीच के वाक्यांश के बजाय" selected by the Accountant General of U. P." लिख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हमने इस सदन के सामने यह कहा था कि जो डाइरेक्टर आफ एलेक्शंश होगा उसको भी एलेक्शन कमीशन अगर मुकर्रर करे तो अच्छा हो, वही शंका हमारी जहां तक एकाउण्ट्स आफिसर की नियुक्ति का सवाल है फिर यहां पर उठती है।

किसी डेमोक्रेसी में अगर कोई रोक-थाम हो सकती है तो वह फायनेन्सेज में हो सकती है। इसके हिसाब के आडिट में हो सकती है और रुपया ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं, इसकी जांच हो सकती है। यह एक बड़ा भारी चेक प्रजातंत्र के ऊपर लागू हो सकता है। इसलिये हम समझते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज में जो एकाउण्ट आफिसर्स मुकर्रर किये जाने वाले हैं उन्हें स्टेट की गवर्नमेंट न करें और वह ऐसे व्यक्ति द्वारा नियुक्त हों जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।

हम जानते हैं कि बहुत से मामलों में यू० पी० के एकाउण्टेंट जनरल किसी असर पर नहीं आते हैं। हमारे ही एक प्रांत का मसला है जिसे हमने देखा है कि वह किसी हुकूमत के असर में न आकर जो उन्होंने ठीक समझा वह उन्होंने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के माननीय सदस्य हैं उनकी भी तनख्वाह पर ए० जी० ने रोक लगा दी है। इससे हमें मालूम हुआ कि उनके पास उनके इतने गट्स है कि हमारी तनख्वाह जो गजट के दिन से मिलने वाली थी वह अभी तक रुकी हुई है और हम जानते हैं कि जब हम इसको पास कर देंगे तो वह हमें मिल ही जायगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत तो की कि उस पर रोक लगा दी। तो उन्होंने वैसे गल्ती की कि जिनको हमने छांटा था यानी एम० एल० सीज० को ५ मई से मिलेगी और हमको १९ तारीख से मिलेगी। लेकिन उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने एतराज उठा दिया। उन्होंने एकाउण्टेंट जनरल हिन्दुस्तान के पास हमारे मामले को भेजा है।

इससे हमें आशा हो गई है कि अगर इस तरीके का वह रवैया रख सकते या कार्यवाही कर सकते हैं तो ऐसा आदमी यदि म्युनिसिपैलिटीज के लिये एकाउण्ट आफिसर्स मुकर्रर करे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर यहां पर हमारे प्रांत की गवर्नमेंट उनको मुकर्रर करती है तो वह इससे हमेशा के लिये दबे रहेंगे और जिस तरह से कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों में होता है वैसे ही वह काम करेंगे कि यह आडिटर्स अपनी मर्जी के रख लेते हैं और वह जैसा चाहते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक हिसाब-किताब की जांच करते हैं। यदि ए०जी० यू० पी भी मुकर्रर करेगा तो मैं समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज को भी डर रहेगा और म्युनिसिपैलिटी के लोग भी ठीक तरह से हिसाब-किताब रखेंगे। इसलिये जो मैंने संशोधन रखा है उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी और मुझे आशा है कि वह इसको मान लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी तनख्वाह का सवाल रखा है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और मेरा ख्याल है कि इससे काफी ध्यान इस पर खिंच जायगा और उन्हें तनख्वाह जल्दी ही मिल जायगी। लेकिन जहां तक ए० जी० का संबंध है तो वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का मुकर्रर किया हुआ शख्श है जिसके काम में जो कुछ वहां से लिखा हुआ है वही शामिल है और हम और कोई काम उनके सुपुर्द कर सकते हैं या नहीं यह बात ज़रा सोचने की है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, हमें यह अधिकार नहीं है कि उन आफिसर्स पर जिन्हें गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें दिया है तो बिला उनकी आज्ञा से हम कोई काम उनके सुपुर्द कर दें। इसलिये हम कानून बना कर कहें कि वह मुकर्रर कर दें तो एकाउण्ट आफिसर्स म्युनिसिपैलिटीज में मुकर्रर हो नहीं सकेंगे क्योंकि वह इंकार कर सकते हैं। इसलिये मेरे मित्र का संशोधन ठीक नहीं है और इसको मैं स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रगट करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिला दिया है कि हमारी तनख्वाहें बड़ी जल्दी मिल जायेंगी। उन्हें तो फिक्र है नहीं क्योंकि उन्हें तो उसी वक्त से मिल गई है जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला है। इसलिये उनको धन्यवाद देता हूं। मैं प्रस्ताव को वापस तो लेना नहीं चाहता क्योंकि हम चाहते अवश्य हैं कि जो एकाउण्ट आफिसर हो वह निष्पक्ष हो और ए०जी० उसे मुकर्रर करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (2--A) की पंक्ति २ व ३ के "An Accounts Officer" के बाद तथा पंक्ति ३ व ४ के "either severally" के बीच के वाक्यांश के बजाय "selected by the Accountant General of U. P." रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २४

२४—मूल अधिनियम की धारा ६०-बी में से शब्द "Education" निकाल दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६०-बी का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-२५

यू० पी० एक्ट २, १९१६ की धारा ६४ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा ६४ में शब्द "Executive officer" के बाद एक कामा जोड़ दिया जाय और उसके बाद शब्द "Accounts officer" रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २६

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६८ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ६८ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) A Board may, by special resolution, and if so required by the State Government, shall, appoint the principal officers of technical departments such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water Works Engineer, qualified Overseer or Sub-Overseer and also Secretary and Superintendent or Lady Superintendent of Education."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २७

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६९ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा ६९ की उपधारा (१) के रूप में परिगणित की जायगी और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(2) The State Government may suspend any officer appointed under sub-section (1) of section 68 pending decision of an appeal and may alter, amend or vary the order of the board."

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड २७ की पंक्ति १ व २ के शब्द "में" और "की" के बीच का शब्द "परिगणित" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर नया शब्द "परिणत" रख दिया जाय।

श्रीमान् मेरा संशोधन बहुत सीधा सादा है। मूल अधिनियम में एक गलती रह गई थी जो कि टेक्निकल मिस्टेक थी। उसको सुधारने के लिये 'परिणत' शब्द रख दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ की पंक्ति १ व २ के शब्द "में" और "की" के बीच का शब्द "परिगणित" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर नया शब्द "परिणत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २८

२८--मूल अधिनियम की धारा ७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७३ का संशोधन।

"73. (1) The power to appoint, grant leave of absence, punish, dismiss or control any servant on the educational establishment of the board—

Appointment etc. of servants on the educational establishment

(*a*) on or drawing a salary not exceeding Rs. 40 p. m. or in a city Rs. 50 p. m;

(*b*) on or drawing a salary exceeding Rs. 40 p. m. but not exceeding Rs. 50 p.m. or in a city Rs. 50 p.m. but not exceeding Rs.75 p.m.; and

(*c*) any other servant other than the Superintendent or Lady Superintendent of Education

shall be exercised—

(i) in the case of (*a*) and (*b*) above by the Superintendent or Lady Superintendent of Education , as the case may be , and where there is no such Superintendent or Lady Superintendent, by the Chairmen, Education Committee, subject to such conditions or restrictions as may be imposed by the board :

Provided that in the case of appointments of employees under clause (*b*), where these powers are to be exercised by the Superintendent or Lady Superintendent, all such appointments shall be subject to the approval of the Chairman, Education Committee;

(ii) in the case of (*c*) above by the Chairman, Education Committee of the board subject to such conditions or restrictions as the board may by resolution impose in his behalf."

(2) An appeal shall lie—

(*a*) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed against servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1)—

(i) by the Superintendent or Lady Superintendent, to the Chairman, Education Committee;

(ii) by the Chairman, Education Committee, to the President of the Board;

(*b*) in the case of an order of dismissal or removal passed against servants mentioned in clause (*c*) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee, to the State Government; and

(*c*) in the case of an order of any other punishment passed agains servants mentioned in clause (*c*) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee, to the Prescribed Authority.

श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा ७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"73. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) the appointment of persons on the educational establishment of a board shall be made by the Chairman, Education Committee, or such other authority as may be specified in this behalf by the State Govt. and different authorities may be specified for different classes of posts on the establishment.

(2) The State Govt. may make rules regulating the recruitment, punishment, dismissal, appeal and other conditions of service of persons appointed to the educational establishment of a board."

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत करते समय यह आश्वासन दिया था कि यदि कोई ऐसा संशोधन आयेगा जो आवश्यक होगा उसको स्वीकार किया जायगा और शिक्षा विभाग के खंड में उन्होंने विशेषकर यह संकेत किया था कि जो तरीका इस समय शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त करने का है और शिक्षकों को नियुक्त करने का तरीका है वह सन्तोषजनक नहीं है और उसको बदलकर जो नया तरीका इस विधेयक में रखा गया है वह भी मुझे संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक म्युनिसिपैलिटीज का संबंध है वह अलग-अलग क्लास की अलग-अलग तरीके की म्युनिसिपैलिटी हैं। कहीं पर बहुत बड़ी म्युनिसिपैलिटी है और कहीं पर बहुत छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटी हैं। वहां सब जगहों पर जो सुपरिण्टेण्डेण्ट आफ एजुकेशन नियुक्त किया जाता है उसका वेतन, उसका पद और उसका स्थान भिन्न-भिन्न तरीके का होता है। इसलिये यह उचित ही प्रतीत होता है कि तमाम म्युनिसिपैलिटीज के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिये एक ही नियम न बनाये जायं। इसलिये शिक्षा विभाग और उसकी पद्धति के यह श्रेयस्कर होगा कि जिस तरीके की म्युनिसिपैलिटी है उसमें शिक्षकों को रखने के और उनके कर्मचारियों को रखने के अलग अलग नियम बनाये जायं। इसी आशय को लेकर मैंने यह संशोधन पेश किया और मुझे आशा है है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी कही हुई बातें याद हैं और यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा ७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"73. (1) Subject tot he provisions of sub-section (2) the appointment of persons on the educational establishment of a board shall be made by the Chairman, Education Committee, or such other authority as may be specified in this behalf by the State Govt. and different authorities may be specified for different classes of posts on the establishment.

(2) The State Govt. may make rules regulating the recruitment, punishment, dismissal, appeal and other conditions of service of persons appointed to the educational establishment of a board."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९

२९—मूल अधिनियम की धारा ७४ में— यू० पी०ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७४ का संशोधन।

(१) शब्द "on" और अक्षर "A" के बीच में शब्द "or drawing" रक्खे जायं, और

(२) शब्द "subject in the case of dismissal or removal to an appeal to the State Government which must be presented to the State Government within one month of the date upon which the order of dismissal or removal is communicated to the person in respect of whom the order is made"

के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय —

"Provided that an appeal shall lie—

(*a*) in the case of dismissal or removal, to the State Government; and

(*b*) in the case of any other punishment, to the prescribed Authority; and shall be presented to the State Government or the prescribed authority, as the case may be, within one month from the date on which the order appealed against is communicated to the person concerned."

श्री अध्याय —प्रश्न यह है कि खण्ड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३०, ३१ व ३२

३०—मूल अधिनियम की धारा ७६ में— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७६ का संशोधन।

(१) खंड (ए) और (बी) में शब्द "servant" के बाद शब्द "on" के स्थान पर शब्द "on or drawing" रख दिये जायं;

(२) शब्द "but" और "each" के बीच में आये हुये शब्द "in such case" निकाल दिये जायं; और

(३) शब्द "punishment" के बाद कामा रक्खा जाय और उसके बाद शब्द "in respect of servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) above" रख दिये जायं।

३१—मूल अधिनियम की धारा ९३ में— यू० पी ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९३ का संशोधन।

(क) शब्द "the Superintendent Engineer, Public Health Department" के स्थान पर शब्द "Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department" रख दिये जायं, और

(ख) शब्द "the Director of Puldic Health of Assistant Director of Public Health" के स्थान पर शब्द "the Director of Medical and Health Services or the Assistant Director of Medical and Health Services" रख दिये जायं।

३२—मूल अधिनियम की धारा ९४ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९४ का संशोधन ।

"(3) Every resolution passed by a board at a meeting, shall, as soon thereafter as may be , be published in a local paper published in Hindi and where there is no such local paper, in such manner as the State Government may, by general or special order, direct."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३०, ३१ और ३२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३३

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १२८ खंड (viii) का संशोधन ।

३३—मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(viii) an octroi on goods or animals brought within the municipality for consumption, use or sale therein;"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ३३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) के नये खंड (viii) की पंक्ति १ के शब्द "or animals" निकाल दिये जायं । श्रीमन्, यह धारा ३३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) का नया खंड ८ इस प्रकार है "an octroi on goods or animals brought within the municipality for consumption, use or sale there in; "

श्रीमन्, इस नई उपधारा के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज को अधिकार दिया जारहा है कि वह आने वाले सामान और जानवरों पर जो कि इस्तमाल बिक्री या कन्जम्पशन के लिये आते हैं टैक्स वसूल करें । यह कमेटी जो कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी के सभापतित्व में काम कर रही थी और जिसने लोकल फ़ाइनेन्सेज के बारे में राय दी थी उसने सिफारिश की थी कि म्युनिसिपल ऐक्टों को संशोधित कर के जब तक कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट कोई रेट्स के बारे में निश्चय नहीं करती और टरमिनल टैक्स के बारे में रेट्स मुकर्रर नहीं करती तब तक म्युनिसिपैलिटीज को वसूली के अधिकार होने चाहिये । उसमें लिखा गया था कि कई म्युनिसिपैलिटीज इस वक्त आक्ट्राय ले रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह बात आवश्यक है कि म्युनिसिपैलिटीज को यह अधिकार मिलना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि म्युनिसिपैलिटीज से यह अधिकार छीना जाना चाहिये , न मैं यह कहता हूं कि गुड्स पर आक्ट्राय न लेना चाहिये बल्कि मैं सिर्फ इतना जरूर चाहूंगा कि अगर उस रिपोर्ट के सिद्धान्त को ले कर चला जाय तो आप देखेंगे कि जानवरों का उस में कोई जिक्र नहीं है । जानवरों के यूज, बिक्री या कन्जम्पशन के संबंध में कोई आक्ट्राय का जिक्र श्री हरगोविन्द सिंह कमेटी रिपोर्ट में नहीं है ।

दूसरी आपत्ति मुझे यह है कि विधान के अनुसार इस सदन को अधिकार नहीं है कि जानवरों के कन्जम्पशन , यूज या सेल पर हम कोई टैक्स लगा सकें । विधान की शिड्यूल्ड लिस्ट में, लिस्ट २ में जो स्टेट लिस्ट है उसके नियम ५२ की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप २४६ सफे पर देखें " Taxes on the entry of goods in to a local area for consumption, use or sale therein"

इसमें "of goods" शब्द का प्रयोग है, जानवरों का जिक्र नहीं है और इसी तरह से हरगोविन्द सिंह कमेटी में भी कोई जिक्र जानवरों का नहीं है । श्रीमन्, मैं मजबूर हूं उदाहरण देने के लिये हमारे यहां खासतौर पर हजारों घोड़े आलू और फल लेकर आते हैं रोजाना म्युनिसिपैलिटियों में । उनको कुछ फायदा तो होगा नहीं और रोजाना उन्हें टैक्स देने की नौबत आ सकती है । माननीय मंत्री जी शायद यह कहेंगे कि स्टेट लिस्ट में आगे चल कर ५८ धारा में "taxes on animals and goods" लिखा हुआ है। लेकिन टैक्सेज का मतलब यह नहीं है कि "taxes on the entry or use or consumption of animals." यह हो सकता है कि किसी म्युनिसिपैलिटी को हद के अन्दर जानवर रहते हों तो आप टैक्स लगा सकते हैं । लेकिन इस बात का अधिकार हमको विधान के अन्दर नहीं है कि हम रोजाना आने वाले जानवरों की ऐंट्री पर या उनके इस्तेमाल पर टैक्स लगावें । हम ऐसे ही जानवरों पर टैक्स लगा सकते हैं जो हमारी नगरपालिका की सीमा के अन्दर हैं या जिन पर सरकार सीधे टैक्स लगाना चाहती हो । इसीलिये विधान में लोकल एरिया लिखा हुआ है । यदि विधान बनाने वालों का यह मतलब होता कि जानवरों की ऐंट्री, कन्जम्पशन और यूज पर भी टैक्स लगाया जाय तो वे इसे साफ कर देते । जो कुछ विधान में साफ तौर से नहीं कहा गया है उसे हम यहां पास नहीं कर सकते । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे विधान के बनाने वालों के आदेश का पालन करें और आन एनीमल्स को निकाल कर वे शब्द रखे जो विधान में हैं और जो हरगोविन्द सिंह कमेटी की रिपोर्ट में हैं । मैं इस प्रश्न पर ज्यादा विवाद नहीं बढ़ाना चाहता और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री विधान के अनुसार काम करते हुये इस संशोधन को मानेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि आप १५३ क और ख, जो खंड ३३ से संबंध रखती है, उनको लंच के बाद ले लें।

श्री अध्यक्ष---श्रीनारायण दत्त तिवारी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है।

[खंड ३३ पर विचार स्थगित किया गया।]

नया खंड ३३-क

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३३ के बाद निम्नलिखित नया खंड ३३-क जोड़ दिया जाय---

"३३-क---मूल अधिनियम की धारा १६० की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित लेख रखा जाय---

"Provided that where a board has been superseded under section 30 and the District Magistrate has been appointed under clause (*b*) of section 31 to exercise and perform the powers and duties of the board, the appeal shall lie to such authority as may be prescribed."

श्रीमन्, मूल अधिनियम की धारा १६० (२) इस प्रकार है---

"160. (2) Provided that when the District Magistrate or such other officer as aforesaid is a member of a board the appeal shall lie to the Commissioner."

श्रीमन्, यह संशोधित उपधारा इसलिये रखी जा रही है कि अब किसी भी म्युनिसिपैलिटी में ऐसा नहीं है कि उस बोर्ड का मेम्बर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो लेकिन कुछ बोर्डों में धारा ३० के अन्तर्गत ऐसा हो सकता है कि वहां का ऐडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और वह बोर्ड सुपरसीड हो गया हो। इसलिये अगर किसी सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटी का कोई

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रिर हो गया हो तो उस दशा में अपील निर्धारित व्यक्ति के सामने प्रस्तुत की जायगी । इसी मंशा से यह संशोधन लाया गया है । इसके द्वारा जो खामी मूल अधिनियम की धारा १६० (२) में रह गयी है वह दूर हो जाती है । आशा है माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे माननीय सदस्य का यह संशोधन स्वीकृत है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ के बाद निम्नलिखित नया खंड ३३-क जोड़ दिया जाय—

"३३-क—मूल अधिनियम की धारा १६० की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित लेख रखा जाय—

"Provided that where a board has been superseded under section 30 and the District Magistrate has been appointed under clause (*b*) of section 31 to exercise and perform the powers and duties of the board, the appeal shall lie to such authority as may be prescribed."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड ३३-क इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३४

यू० पी० एक्ट २, १९१६ की धारा १८०-ए का संशोधन ।

३४—प्रतिबन्धात्मक वाक्य को छोड़ कर धारा १८०-ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any bye-law made thereunder, the construction of, or any addition to, any building of public entertainment or any addition thereto shall not, except with the previous approval of the State Government, be sanctioned by a board, if the site of, or proposed for such building is—

(*a*) within a radi us of one furlong from—

(*i*) any residential institution attached to a recognised educational institution attached to a recognised educational institution such as a college, a high school or girls school, or

(*ii*) a public hospital with a large in door patient ward; or

(*iii*) an orphanage containing one hundred or more inmates, or

(*b*) in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distinguished from business purposes; or

(*c*) in any area reserved for residential purposes by any housin or planning scheme or otherwise under any enactment."

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३५

३५---मूल अधिनियम की धारा २८२ की उपधारा (१) में शब्द "the Director of Public Health" के स्थान पर शब्द "the Director of Medical and Health Services" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २८२ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६

३६---मूल अधिनियम की धारा २९६ की उपधारा (२) में खंड (B) के बाद नए खंड (C) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय---

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९६ का संशोधन।

"(c) for the appointment of an *ad hoc* committee to advise the Board—

(i) on the preparation of a master plan for the municipality and its execution; and

(ii) on the lay out of public streets, residential and non-residential areas."

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३६ के स्थान पर निम्नलिखित लेख रखा जाय---

३६---मूल अधिनियम की धारा २९६ की उपधारा (२) में भाग ( ) के पश्चात् निम्नलिखित लेख नये भाग (c) और (d) के रूप में रक्खे जायं---

"(c) For the appointment of an ad hoc Committee to advise the board on the preparation of master plan for the municipality and its execution; and

(d) providing for the lay out of public streets, residential and non-residential areas."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में मैं अधिक न कहकर केवल इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि इसी मंशा का एक संशोधन माननीय मंत्री जी ने भी रक्खा है मेरी समझ में यह संशोधन उस संशोधन से शब्दों में अधिक अच्छा है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे उचित समझें तो इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, बात तो दोनों एक सी है। अगर माननीय स्य जो संशोधन के प्रस्तावक हैं बतलाते कि इसमें क्या चीज ज्यादा अच्छी है तो बात बिल्कुल साफ हो जाती। ऐसे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष---आप अपनी राय दे सकते हैं। दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि तुम बोलो।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं जानना चाहता था कि अगर कोई ऐसी चीज मालूम होती तो हमें भी समझने में ज्यादा आसानी होती।

श्री अध्यक्ष---एक मर्तबा उत्तर देने के बाद नहीं बोल सकते। वे उत्तर देंगे। आप को जो अपनी राय देनी हो वह दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमान्, जिस प्रकार इसमें पहले लिखा गया है---

"(*c*) for the appointment of an *adhoc* committee to advise the Board—

(*i*) on the preparation of a master plan for the municipality and its execution; and

(*ii*) on the lay out of public streets, residential and non-residential areas."

यह बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। दूसरी चीज यह है कि इसमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि या तो उपधारा (डी) नहीं होती और जहां केवल (सी) ही रहती जैसे---

"(*c*) for the appointment of an *ad hoc* committee to advise the board on the preparation of master plan for the municipality and its execution;

या जहां "प्रोवाइडिंग फार" है उसके उल्टा "फार प्रोवाइडिंग" होता। अगर ऐसा होता तो बात कुछ समझ में आ सकती थी लेकिन जैसा लिखा हुआ है और जिस तरह से संशोधन मंजूर होने जा रहा है यह पहले से ज्यादा बैडली ड्राफ्टेड है। तो अगर माननीय सदस्य जो संशोधन के प्रस्तुतकर्ता हैं वे (डी) उपधारा को निकाल कर "फार प्रोवाइडिंग" कर दें तो यह बात समझ में आ सकती है। तो मेरी राय यह है कि या तो आप ऐसा कर दें या जो पहले से लिखा हुआ है उसे ही मान लें।

श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने पहली मर्तबा सरकारी ड्राफ्ट को सही माना है लेकिन जहां तक मेरे संशोधन का संबंध है अगर उसको वे ध्यानपूर्वक देखेंगे बावजूद इसके कि अमेंडमेंट अंग्रेजी में है, अगर आप ध्यान देकर उस पर फिर विचार करें तो मामला स्पष्ट हो जायगा और वह इस प्रकार का जो सरकारी ड्राफ्ट है उसमें जहां उपधारा (सी) के नम्बर (२) में है---

"(*ii*) on the lay out of public Streets, residential and non-residential areas."

और नम्बर (१) में है

"(*i*) on the preparation of a master plan for the municipality and its execution;"

यह संशोधन जो है वह रूल बनाने के संबंध में है। दोनों को अगर एक में मिला कर देखेंगे तो अलग-अलग रूल बनाने में असुविधा होगी। इसलिये मैंने अपना संशोधन (डी) अलग करके रखा है।

"(*a*) providing for the lay out of public streets, residential and non-residentialareas."

इसका अर्थ यह होगा कि इसके लिये अलग से भी नियम बन सकता है और चूंकि दोनों अलगअलग चीजें हैं इसलिये सरकार यदि अलग-अलग नियम बनावे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरी समझ में मेरे मित्र को अब सारी बातें स्पष्ट हो गयी होंगी।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे यह स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आब्जेक्ट ऐंड रिजन्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है जैसा कि मैंने कहा है ।

श्री अध्यक्ष—आब्जेक्ट ऐंड रिजन्स पर यहां मत नहीं लिया जाता है ।

प्रश्न यह है कि खंड ३६ के स्थान पर निम्नलिखित लेख रखा जाय—

३६—मूल अधिनियम की धारा २९६ की उपधारा (२) में भाग (B) के पश्चात् निम्नलिखित लेख नये भाग (C) और (D) के रूप में रक्खे जायं —

"(C) For the appointment of an ad hoc committee to advise the board on the preparation of master plan for the municipality and its execution; and

(D) providing for the lay out of public streets, residential and non-residential areas."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३६ में प्रस्तावित धारा २९६ की उपधारा (२) के नये खंड (D) और (C) के बाद नया उपखंड निम्नलिखित रूप में जोड़ा जाय ।

"(E) for taeing measurs for family planning."

तो श्रीमन्, जब कि पहले दिन बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में इस सदन में वाद-विवाद हुआ था तो मैंने यह देखा कि कम से कम एक बात में तो हम सभी एक मत थे और जितने भी माननीय वक्ता मेरे उस समय के प्रस्तुत संशोधन के विरोध में या पक्ष में बोले थे उन सभी ने कम से कम एक बात में तो स्पष्ट राय दी थी कि फेमिली प्लानिंग अवश्य होनी चाहिये। माननीय ब्रजविहारी मिश्र जी मैं समझता हूं कि आज शायद यहां पर नहीं हैं।. उन्होंने रूप में कहा था कि अगर केवल फेमिली प्लानिंग की बात होती तो मुझे इस संशोधन को मानने में कोई आपत्ति न होती और मैं समझता हूं कि उस दिन मेरे संशोधन का विरोध करने में वे सबसे प्रमुख थे और उन्होंने इस सिद्धांत पर उसका विरोध किया था कि पाश्चात्य देशों में जो पद्धतियां सन्तति निग्रह के बारे में अपनाई जाती हैं उन्हें हम अपने देश में न करें । माननीय शुक्ल जी की भी करीब-करीब यही धारणा थी लेकिन उन्होंने दूसरे शब्दों में उसे व्यक्त किया था लेकिन उन्होंने भी ब्रह्मचर्य, आश्रम और इस प्रकार के अनेकानेक अंगोंपांगों का वर्णन किया था। उसका भी यही अर्थ होता था कि कौटुम्बिक नियोजन के संबंध में हमें स्पष्ट मत देना चाहिये। श्रीमन्, मैं आज कौटुम्बिक नियोजन के महत्व पर कोई लम्बा विवाद प्रस्तुत करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। इसकी आवश्यकता में ही तो क्या इस देश के समस्त राजनीतिक दल, पंचवर्षीय योजना में कम से कम उसके उपकरणों में और उसके अध्यायों में कौटुम्बिक योजना की कहानी का वर्णन दिया गया है। मेरा तो आग्रह माननीय मंत्री जी से है कि पोलिटिकल व्यूज के प्रश्न को न देखते हुये पंचवर्षीय योजना के उन मूलभूत सिद्धांतों को देखते हुये जिनको लेकर के आज सारा देश कम से कम एक तो है और इसी तरह से जब मैंने संसद के वादविवाद को देखा तो उनमें भी सब कम से कम इस कौटुम्बिक नियोजन फेमिली प्लानिंग के संबंध में सब सदस्यों का एक मत था। इसलिये मैं यह आशा तो अवश्य करूंगा कि प्रांतीय सरकार और नगरपालिकाओं में इस बात का स्पष्ट अधिकार होना चाहिये कि अगर वह चाहें बल्कि उनको अवश्य इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कौटुम्बिक नियोजन के प्रसार और प्रचार के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग झुकें । भले ही वह ब्रह्मचर्य के द्वारा हो, भले ही किसी अन्य प्रणाली द्वारा हो, भले ही पाश्चात्य प्रणाली द्वारा हो, भले ही पौर्वात्य प्रणाली द्वारा हो किसी अन्य चीजों के द्वारा हो। जो पाश्चात्य

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पद्धति को नहीं अपनाना चाहते न अपनायें, वे हमारी सांस्कृतिक पद्धति द्वारा कौटुम्बिक नियोजन करें इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है पर प्रश्न यह है कि कौटुम्बिक नियोजन हो इसमें मतभेद हो सकता है कि हम कौन सी प्रणाली अपनावें लेकिन इसमें मतभेद नहीं है कि कौटुम्बिक नियोजन हो ।

लेकिन किस प्रणाली द्वारा कौटुम्बिक नियोजन में कितनी सफलता मिलेगी यह एक विवादस्पद प्रश्न है। इस विवाद में हमें नहीं पड़ना है। सरकार हर प्रकार के नियम बना सकती है। नियमों के तीन भाग हो सकते हैं। कुछ नियम पाश्चात्य प्रणाली के आधार पर बना सकती है कुछ नियम अमेरिका प्रणाली के आधार पर बना सकती है और कुछ नियम हमारी सांस्कृति प्रणाली के आधार पर बना सकती है। सरकार का सूचना विभाग तमाम म्युनिसिपैलिटियों के सस्ते से सस्ते प्रचार पत्र दे सकता है जिसके जरिये विभिन्न नागरिक स्तरों पर इस कौटुम्बिक नियोजन का प्रचार हो सके। और उनको इस समस्या के बारे में कुछ आभास हो सके आज तो उन को मालूम ही नहीं है कि यह कितनी बड़ी समस्या है। आज नगरों के गरीब मुहल्लों में लोग इस बात को सुनना भी पसंद नहीं करते और जैसा कि उस दिन कुछ माननीय सदस्यों ने भय दिखलाया था कि कुछ विद्रोह सा भी खड़ा हो सकता है। लेकिन हम को उस विद्रोह का सामना करना है। भले ही वह मनोवैज्ञानिक विद्रोह हो। लेकिन हमें उससे भयभीत नहीं होना है। हमें उस समस्या का कठोरता पूर्वक मुकाबिला करना है। अतएव कोई प्रचार होना आवश्यक है। क्या मैं विश्वास करूं कि माननीय मंत्री जी समय की सीमाओं को देखते हुये, और समय के आग्रह को देखते हुये संतति नियमन और कौटुम्बिक नियोजन के प्रचार का महत्व देखते हुये इस बात पर अग्रसर होंगे इस नियोजन योजना को कार्यान्वित करने में अग्रणी हो कर कदम उठायेंगे ताकि हमारे देश का भविष्य सुदृढ़ और सबल हो सके। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे देश में चाहे जो भी योजना चले चाहे वह समाजवाद के आधार पर हो, चाहे वह साम्यवाद के आधार पर हो या मिश्रित अर्थ नीति के आधार पर हो यह आवश्यक है कि कौटुम्बिक नियोजन हो। इसलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे अपने विचारों को व्यक्त करें ताकि हम को पथ-प्रदर्शन हो और माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें। क्योंकि यह बिलकुल लीस्ट डिस्प्युटेड क्लाज रखा गया है। तमाम बातों को छोड़ कर केवल "मेजर्स फार फैमिली प्लानिंग" रख कर मैंने संकुचित करके सारे मंतव्य को केवल उतने शब्दों में रखने का प्रयास किया है।

मैं माननीय मंत्री जी से सबल शब्दों में विनीत प्रार्थना करूंगा कि वह इसे अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम––माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था बिना इस बहस में दाखिल हुये कि फैमिली प्लानिंग अच्छी चीज है या नहीं, इस बड़े तजुरबे की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटीज पर न डालें। इस समय तो और भी कठिनाई मालूम होती है वह यह कि जब हम मूल ऐक्ट में इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटियों पर नहीं डाल सके हैं, और जो कुछ भी जिम्मेदारियां म्युनिसिपैलिटीज को सौंपी नहीं गयी हैं उन में यह चीज शामिल नहीं हुई है तो उसके संबंध में हम को रूल बनाने में और भी कठिनाइयां मालूम पड़ती हैं। इसका अधिकार भी है या नहीं इस बहस में भी मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जब तक उसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटियों पर नहीं डाली जाती उसके संबंध में रूल बनाना मुनासिब नहीं होगा । इसलिये मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब कि हमने नगरपालिकाओं की डिस्क्रीशनरी या आब्लीगेटरी किसी भी प्रकार की पावर्स में इस का

जिक्र नहीं किया है तो किस प्रकार रूल्स में हम इसको रखें। मैं माननीय मंत्री जी के शब्दों को ही उद्धरित करूंगा। उन्होंने जब बहस चल रही थी तो क्लाज एम की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि उसमें सब आ जाता है। जो कुछ म्युनसि-पैलिटीज़ चाहे सब पर कार्यवाही कर सकती हैं। अगर मुझे ठीक याद है तो माननीय मंत्री जी ने कम से कम पांच बार कहा था कि क्लाज एम है। इसके अनुसार हम जो चाहें कर सकते हैं। तो क्लाज एम मूल अधिनियम का भाग है। इस क्लाज एम के अनुसार माननीय मंत्री जी नियम बनवा सकते हैं : मैंने कभी नहीं कहा कि नगरपालिकाओं पर बड़ा भारी बोझा डाल दीजिये कि उनके लिये लाजिमी कर दीजिये अवश्यम्भावी कर दीजिये कि वह लाजिमी तरीके से कोई संतति नियमन या कौटुम्बिक नियोजन करें। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो पहले भी कहा था कि प्रचार हो सकता है और म्युनिसिपैलिटियां पैम्फ्लेट्स निकाल सकती हैं और सूचना विभाग द्वारा निकाले हुये परचों का प्रचार कर सकती हैं। क्या साल में दो बुलेटिन भी म्युनिसिपैलिटियां नहीं निकाल सकतीं, यह मैं नहीं मान सकता। प्रांत की बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटियां इसके लिये बड़े-बड़े मुहल्लों में लेक्चर करा सकती हैं। नियमों के अनुसार दो एक एक्सपर्टस भी रख सकती हैं जो प्रचार करें। पहले वह मेम्बरों को बतायें और दो चार कैम्प खोले जायं और ऐसे लोग तैयार किये जायं जो पाश्चात्य और पौर्वात्य प्रणाली के बारे में जानते हैं। क्या सरकार यह नहीं कर सकती? कितना रुपया इसमें खर्च होगा? मुश्किल से एक लाख, दो लाख रुपया खर्च होगा पर्चा छापने में और पैम्फ्लेट निकालने में। जब इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट बीसियों तरह की रिपोर्ट निकाल सकता है एक दो कौटुम्बिक नियोजन के लिये भी पर्चे निकाल देगा तो कौन सा बड़ा भार हो जायगा, इसको समझने में मैं असमर्थ हूं। यह हो सकता है कि एक बड़े पैमाने पर क्लीनिक्स न खुल सकें, लेकिन प्रचार के रूप में तो अवश्य यह होना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह मेरा डिपार्टमेंट नहीं है और यह तो हेल्थ डिपार्टमेंट की चीज़ है, हेल्थ मिनिस्टर ही इस संबंध में कार्यवाही करेंगे। मैं उनका ध्यान नियमावली की तरफ दिलाना चाहता हूं "ए मिनिस्टर मीन्स ऐनी मिनिस्टर"। कैबिनेट रेस्पांसिबिलिटी कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है। माननीय मंत्री जी नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता, हेल्थ मिनिस्टर साहब जानें। मैं तो समझता हूं कि हर मंत्री जानते हैं कि कैबिनेट पालिसी फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या है। माननीय मंत्री जी नहीं कह सकते कि कोई पालिसी फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं है, क्योंकि पिछले साल आदर्णीय सी० बी०-गुप्ता ने दिसम्बर में गवर्नमेंट हाउस में फैमिली प्लानिंग की कांफ्रेंस इनआगरेट की है और लखनऊ में इसका प्रचार किया गया। बोर्ड लगे हुये हैं। बर्थ कंट्रोल की क्लीनिक्स म्युनिसिपैलिटी की ओर से खोली गयी हैं। ऐसी अवस्था में उन से ऐसे जवाब की आशा मुझे नहीं थी मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अगर बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग पहले नगरों में शुरू नहीं हो सकती तो क्या देहातों में शुरू होगी? अगर यह काम लखनऊ में शुरू नहीं हुआ, कानपुर में नहीं हुआ, इलाहाबाद में शुरू नहीं हुआ, बनारस में नहीं हुआ तो क्या गाजीपुर या बलिया के देहातों में शुरू होगा। वहां तो लट्ठ लेकर लोग आयेंगे पहले। तो आपको तो शहरों से शुरू करना चाहिये। अगर हम इसको शुरू ही न करें तो मैं उनका ध्यान पंचवर्षीय योजना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कौटुम्बिक नियोजन को बहुत बड़ा महत्व दिया है और आदर्णीय पं० जवाहर लाल नेहरु ने बम्बई कांफ्रेंस में जो कहा था, वह भाषण मैंने उद्धृत किया था और डा० राधाकृष्णन ने जो कहा था वह भी बतलाया था, लेकिन मैं देखता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक चुप सौ को हरावे, यह फार्मूला अपना लिया। तो मैं पुनः उन से कहूंगा कि जो उनके कैबिनट की पालिसी है वह कैबिनट के अंग होने के नाते वह बतलायें कि उनकी क्या पालिसी है। यह भी बतलायें कि किस समय वह कौन सा स्टेज आयेगा, कौन सा काल आयेगा जबकि म्युनिसिपैलिटियां उस काम को

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

शुरू करेंगी या सरकार शुरू करेगी। इस प्रश्न को वह अवायड नहीं कर सकते। इसका उत्तर देना आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि वह इस पर पुनः विचार कर लें, पुनर्विचार करने में वह सिद्धस्त हैं, और पुनर्विचार करके वह मंजूर कर लें तो कहना ही क्या है। जितनी उनकी तारीफ की जाय वह कम होगी।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के अगर यह अर्थ हैं कि जितने भी काम मिनिस्ट्रीज के हैं वह सब म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में ही इंक्लूड कर दिये जायं तो मैं उस कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के अर्थ अभी तक नहीं समझा। इस समय जब बहस म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट पर हो रही है तो मैं चाहूंगा कि अपने आप को वहीं तक सीमित रखूं जिनका कि जिक्र यहां पर है और मैं यह भी चाहूंगा कि अगर दूसरे माननीय सदस्य जो भी उतनी ही हद तक बहस को सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का सवाल इस वक्त पैदा नहीं होता है। और मैं जरूरी नहीं समझता कि कोई भी नियम म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के संबंध में फैमिली प्लानिंग के ऊपर बनाया जाय। मैं उस बहस में पढ़ने के लिये तैयार न था और मैं अभी म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर इस जिम्मेदारी के डालने की जरूरत महसूस नहीं करता और न इसकी इस समय जरूरत है। जहां तक मैंने ऐम का जिक्र किया था वह इंफेक्शन डिजीजेज हास्पिटल के बारे में था और ऐसी चीजों को मैंने बताया था कि "एम" के अन्दर आ सकती हैं। फैमिली प्लानिंग को साफतौर से इसके अन्दर दर्ज नहीं किया गया है। इसके बारे में रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी ने कैसे ये क्लिनिक्स खोल रखे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--उसका जब वक्त आयेगा तब देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३६ में प्रस्तावित धारा २९६ की उपधारा (२) के नये खंड (C) और (D) के अन्त में निम्नलिखित खंड (E) के रूप में जोड़ा जाय---

"(E). for taking measures for family planning."

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई। इस बीच में निम्न प्रकार से लिखित विभाजन के लिये प्रार्थना की गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी--चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंच वर्षीय योजना से संबंध रखता है, इसलिये मैं इसका लिखित विभाजन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं लिखित विभाजन की अनुमति तो दे नहीं सकता चूंकि उसमें बहुत समय लगता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१५
विपक्ष में--१३७,

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३७ व ३८

३७--मूल अधिनियम की धारा २९७ की उपधारा (१) में-- ऐक्ट २,१९१६ की धारा २९७ का संशोधन।

(१) खंड (G) के मद (i) में शब्द "Chairman" पर शब्द "President" रख दिया जाय--

(२) खंड (k) में शब्द "the" और शब्द "period" के बीच में शब्द "conditions of service including" रख दिये जायं।

३८--मूल अधिनियम की धारा ३०१ में शब्द "Commissioner" के स्थान पर शब्द "Prescribed Authority" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३०१ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३७ और ३८ इस विधेयक के अंग माने जाँय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३८-क

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ३८-क जोड़ दिया जाय--

३८-क--मूल अधिनियम की धारा ३१८ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित लेख रखा जाय--

"Provided that where a board has been superseded under section 30 and the District Magistrate has been appointed, under clause (*b*) of section 31 to exercise and perform the powers and duties of the board, the appeal shall lie to such authority as may be prescribed."

मौजूदा मूल अधिनियम की धारा ३१८ का प्रतिबन्ध इस प्रकार है--

"Provided that if, in the latter case, the District Magistrate be himself a member of the board, the appeal shall lie to the Commissioner."

जैसा कि मैं अपना पिछला संशोधन ला चुका हूं, उसी प्रकार का यह संशोधन भी है। मूल अधिनियम की धारा ३१८ उन अपीलों के संबंध में है जो डिमालिशन के बारे में, किसी निर्माण को रोकने के संबंध में या किसी इंक्रोचमेंट को हटाने के संबंध में होती हैं और वे अपीलें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को होती हैं लेकिन जिन म्युनिसिपैलिटीज में मूल अधिनियम की धारा ३० और ३१ के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐडमिनिस्ट्रेटर होगा वहां दिक्कत होगी। इस वजह से जो कि मौजूदा प्रतिबन्ध है उसके स्थान पर मैं यह चाहता हूं कि यह रख दिया जाय कि जिन स्थानों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोर्ड सुपरसीड होने के बाद स्वयं ही एडमिनिस्ट्रेटर होगा वहां पर निर्द्धारित अधिकारी के पास इस तरह के आदेशों की अपील जायगी। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३८ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ३८--क जोड़ दिया जाय--

३८-क-मूल अधिनियम की धारा ३१८ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित लेख रखा जाय--

"Provided that where a board has been superseded under section 30 and the District Magistrate has been appointed, under clause (*b*) of section 31 to exercise and perform the powers and duties of the Board, the appeal shall lie to such authority as may be prescribed."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नया खंड ३८-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३९

यू०पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३२७ का संशोधन।

३९---मूल अधिनियम की धारा ३२७ में शब्द "in his division" के स्थान पर शब्द "within his or its jurisdiction" रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४०

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची १ का संशोधन।

४०---मूल अधिनियम के Schedule I में---

(१) स्तम्भ १ में से संख्या १३ और स्तम्भ २ में से उसके संबंध में इन्दराज निकाल दिया जाय;

(२) स्तम्भ २ में धारा ६८ के सामने वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ;

"To appoint Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water Works Engineer, qualified Overseer or Sub-Overseer, Secretary, Superintendent or Lady Superintendent of Education."

(३) धारा २११ और २१७ (१) (A) के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय —

"212-A. To control and regulate the construction of any building or street and drains beyond municipal limits, upto a distance of two miles."

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४० के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (१-क) जोड़ दिया जाय--

"(१-क)—स्तम्भ १ में, अंक और शब्द 157 (1) and (2)" और "187" के बीच में अंक "186" तथा स्तम्भ २ में तत्संबंधित निम्नलिखित इन्दराज रख दिया जाय—

"To direct by a notice that the erection, re-erection or alteration of a buliding etc., shall be stopped or that a building et,c. be altered or demolished."

श्रीमन्, मेरा संशोधन इस आशय का है कि मूल अधिनियम के शेड्यूल वन में जो बोर्ड को अधिकार है उसकी तफसील दी हुई है और शेड्यूल टू में जो एक्जीक्यूटिव आफिसर के द्वारा कार्य किये जायेंगे उनकी तफसील दी हुई है। तो धारा १८६ जो मूल अधिनियम की है उसके अन्दर जो कार्यवाही है वह यद्यपि मूल अधिनियम की उस दफा में बोर्ड को दी गयी है मगर वह शेड्यूल टू में रख दी गयी है उसकी वजह से अक्सर यह गलतफहमी हो गयी है कि वह ताकतें ऐक्ट के अन्तर्गत एक्जीक्यूटिव आफिसर को दी गयी हैं मगर वास्तविकता इस प्रकार नहीं है। वास्तव में मूल अधिनियम के अन्दर वह अधिकार तो बोर्ड के थे मगर चूंकि रुटीन नेचर के थे इसलिये वह अधिकार बोर्ड की तरफ से अमूमन एक्जीक्यूटिव आफिसर इस्तेमाल किया करते थे। श्रीमान् आप देखेंगे, आपके द्वारा सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कि बोर्ड के उन अधिकारों का ताल्लुक है उनकी अपील, उनके किये हुये कार्यों की अपील अमूमन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जानी चाहिये। मगर चूंकि शेड्यूल टू के अन्तर्गत वह अधिकार रख दिये गये हैं उसकी वजह से एक्जीक्यूटिव आफिसर द्वारा किये गये कार्यों की अपील केवल बोर्ड को जा सकती है परन्तु चूंकि मूल अधिनियम के अन्दर जो धारा १८६ है उसके अन्दर जो कार्य है वह बोर्ड को स्वयं करना चाहिये और एक्जीक्यूटिव आफिसर के द्वारा उन कार्यों को रुटीन में किये जाने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनकी अपील नहीं सुनता था तो इससे दिक्कत यह पेश आयी कि जिस वक्त कि इस तरह के कार्य एक्जक्यूटिव आफिसर करने लगे तो लोगों ने उस के खिलाफ अपील की और तमाम मुकदमात सिविल कोर्ट गये जिसे न सिर्फ उनके कार्यों में देरी हुयी बल्कि तमाम जो फरीकैन थे उनका पैसा खर्च हुआ और वक्त बरबाद हुआ। इसके अलावा हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में यह फैसला किया यह ताकतें न केवल रुटीन होने की वजह से एक्जीक्यूटिव आफिसर बोर्ड की तरफ से इस्तेमाल करता है बल्कि, चूंकि शेड्यूल दो में यह अधिकार दिये गये हैं इसलिये शेड्यूल पावर के अन्तर्गत एक्जीक्यूटिव आफिसर अपने अधिकार से इन अधिकारों का इस्तेमाल करता है। इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नहीं है कि उन मामलों के ऊपर वह अपील सुन सके। तो दिक्कत यह पेश हुई कि इस तरह के जो तमाम मुकदमे थे, अपीलें थीं वह फरीकैन को सिविल कोर्टस में ले जाना पड़तीं थी जिससे उनका रुपया खर्च होता था वक्त की बरबादी होती थी। इसलिये यह जाहिर है कि मूल अधिनियम में जो अधिकार बोर्ड को दिये गये हैं वे शेड्यूल २ से निकाल कर शेड्यूल १ में रख दिये जायं। उससे यह होगा कि जो एनोमली पैदा हो गयी है वह मिट जायगी। इसीलिये मैंने यह कहा है कि मूल अधिनियम के १५७ (१) and (२) और १८७ के बीच में अंक १८६ रख दिया जाय और स्तम्भ २ में ये निम्नलिखित शब्द जो कि मैंने अभी पढ़े वे रख दिये जायं। उससे यह गलतफहमी दूर हो जायगी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—१८६ आप चाह रहे हैं, शेड्यूल १ में यानी जो पावर एरेक्शन, रिएरेक्शन वगैरह की है वह बजाय एग्जीक्यूटिव आफिसर के बोर्ड दे। यह आप चाह रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना—जी, हां।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (१-क) जोड़ दिया जाय---

"(१-क) स्तम्भ १ में, अंक और शब्द "157 (1) and (2)" और "187" के बीच में अंक "186" तथा स्तम्भ २ में तत्संबंधित निम्नलिखित इन्दराज रख दिया जाय---

"To direct by a notice that the erection, re-erection or alteration of a building etc., shall be stopped or that a building etc., be altered or demolished."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं---

खंड ४० के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (४), (५) और (६) जोड़ दिये जायं---

(४) दूसरे स्तम्भ में धारा २११ से संबंधित इन्दराज में शब्द "projection" के बाद आने वाले अर्धविराम (comma) और शब्द श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि शब्द "Compensation" के पहले शब्द "when" भी होना चाहिये, यानी "when compensation is payable" निकाल दिये जायं।

(५) पहले स्तम्भ में अंक "238" तथा "250(1)" के बीच में अंक "245(1)" और दूसरे स्तम्भ में निम्नलिखित इन्दराज रख दिया जाय---

"To issue a notice regarding offensive trades."

(६) पहले स्तम्भ में अंक "257(3)" तथा "282" के बीच में अंक "278" और दूसरे स्तम्भ में निम्नलिखित इन्दराज रख दिया जाय---

"To issue orders regarding buildings unfit for human habitation."

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी खंड ४० के उपखंड १ में एक नया उपखंड जोड़ते हुये कहा था बिलकुल वही बात मेरे इस संशोधन के संबंध में भी है। ये तमाम चीजें चूंकि शेड्यूल २ में दी हुई हैं इसलिये उन्हें रोटीन मैटर समझ कर एक्जीक्यूटिव आफिसर करता था। मगर चूंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद परिस्थिति बदल गयी और उसने फैसला दिया कि ये चीजें रोटीन के खयाल से नहीं दी हुई हैं इसलिये शेड्यूल २ से निकाल कर ये तमाम अधिकार शेड्यूल १ में रख दिये जायं। इसीलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। इसको मान लेने से वह गलतफहमी मिट जायगी और मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (४), (५) और (६) जोड़ दिये जायं---

(४) दूसरे स्तम्भ में धारा २११ से संबंधित इन्दराज में शब्द "projection" के बाद आने वाला अर्धविराम (Comma) और शब्द "when compensation is payable" निकाल दिये जायं।

(५) पहले स्तम्भ में अंक "238" तथा "250 (I) " के बीच में अंक "245 (I)" और दूसरे स्तम्भ में निम्नलिखित इंदराज रख दिया जाय—

" To issue a notice regarding offensive trades."

(६) पहले स्तम्भ में अंक "275 (3)" तथा "282" के बीच में अंक "278" और दूसरे स्तम्भ में निम्नलिखित इंदराज रख दिया जाय—

"To issue orders regarding buildings unfit for human habitation."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४१

४१—मूल अधिनियम के Schedule II में—

(१) धारा ७५ और ७६ के सामने दूसरे स्तम्भ के इंदराजों में से शब्द "permanent" और "inferior" के बीच में आया हुआ शब्द "and" निकाल दिया जाय।

(२) धारा २०३ (३) के संबंध में इन्दराज निकाल दिया जाय; और

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची २ का संशोधन।

(३) धारा २०४ के सामने दूसरे स्तम्भ में इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"To receive application for permission to lay out and make a street."

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप दोनों को एक साथ पेश कर सकते हों तो कर दें।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना—जी हां, हो सकता है। मेरे संशोधन यह हैं कि—

खंड ४१ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (१-क) जोड़ दिया जाय—

"(१-क) स्तम्भ १ में अंक "186" और स्तम्भ २ और ३ से तत्संबंधित इन्दराज निकाल दिये जायं। "

खंड ४१ के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (४) जोड़ दिया जाय—

"(४) स्तम्भ १ में अंक और शब्द "211 (in part)", अंक "245(1)" और अंक "278" तथा स्तम्भ २ और ३ से तत्संबंधित इंदराज निकाल दिये जायं।

श्रीमान्, जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया था कि शेड्यूल २ से यह कुछ अधिकार जो बोर्ड के थे वह निकालकर शेड्यूल १ में रख दिये जायं और जब वह निकालकर रख दिये गये तो यह संशोधन केवल उसकी कारोबरी है क्योंकि यह जाहिर है कि तब जो अधिकार शेड्यूल २ में है वह निकाल दिये जायेंगे। यह जो संशोधन मैं लाया हूं वह इसी मंशा से है कि उक्त जो अधिकार शेड्यूल २ में रक्खे गये हैं, वह निकाल दिये जायं। इससे मेरी मंशा पूरी हो जाती है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (१-क) जोड़ दिया जाय—

"(१-क) स्तम्भ १ में अंक "186" और स्तम्भ २ और ३ से तत्संबंधित इन्दराज निकाल दिये जायं"।

खंड ४१ के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (४) जोड़ दिया जाय—

(४) स्तम्भ १ में अंक और शब्द "211 (in part)", अंक "245 (I)" और अंक "278" तथा स्तम्भ २ और ३ से तत्संबंधित इंदराज निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४१ इस विधेयक का अंश बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४२, ४३ और ४४

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची ७ का संशोधन

४२—मूल अधिनियम के Schedule VII में—

(१) स्तम्भ १ में संख्या "9(1)" के स्थान पर संख्या "9" रख दी जाय;

(२) स्तम्भ १ में संख्या "16 (2)" के स्थान पर संख्या "13-D" रख दी जाय;

(३) स्तम्भ २ में शब्द "sub-section" के स्थान पर शब्द "section" रख दिया जाय;

(४) धारा "13-D" और २२ से संबद्ध इन्दराज के बीच में "13-1" के सामने नये इन्दराज के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"13-I To direct that a casual vacancy be left unfilled till the next general elections."

(५) धारा 34 (2) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द "Commssioner" के स्थान पर शब्द "Prescribed Authority" रख दिये जायं।

(६) धारा 40 (2) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द "under clause (*d*), (*e*) or (*f*) sub-section (1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "under clause (*c*), (*d*) or (*e*) of sub-section (1)" रख दिया जाय;

(७) स्तम्भ १ में संख्या 57 और 58 के बीच में संख्या और अक्षर 57 (2-A) रख दिये जायं और उसके सामने स्तम्भ २ में निम्नलिखित इन्दराज रक्खा जाय—

"To nominate Accounts Officers and to lay down the terms for conditions of their service."

(८) धारा 60 A और 65 के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय —

"60-B. To direct that in any municipality the principal Officers of the Electrical, Public Works, and Water Works Department, shall with reference to their departments exercise the power under clause (*e*) of sub-section (1) of section 60;"

(९) धारा 73 और 74 के सामने के इन्दराज में शब्द "President" के बाद शब्द "or Chairman, Education Committee" रख दिये जायं, और

(१०) धारा 327 और 337 के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय—

"336-A. To direct that during the transition period, the Act shall have effect subject to certain adaptations, alterations and modifications."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची ८ का संशोधन।

४३—मूल अधिनियम के Schedule VIII में—

(१) धारा 158 (2) के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या " Rs. 100 " के स्थान पर शब्द और संख्या " Rs. 500 " रख दिये जायं ;

(२) धारा 248 के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या " Rs.20 " के स्थान पर शब्द और संख्या " Rs. 50 " रख दिये जायं।

अनुकूलन।

४४—(१) कठिनाइयों को, विशेष कर ऐसी कठिनाइयों को जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों पर संक्रमण होने से संबंधित है, दूर करने के लिये राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्देश कर सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक बाद के बारह मास की अवधि में ऐसे अनुकूलन के साथ सप्रभाव होगा जैसा वह उचित और आवश्यक समझे, चाहे वह अनुकूलन परिष्कार के रूप में हो अथवा घटाने या बढ़ाने के रूप में।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा जितना शीघ्र हो सके राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२, ४३ और ४४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

❀ खंड ३३ (पुनरागत)

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वशासन मंत्री, आप बतला सकेंगे कि क्या आप ३३ के ऊपर तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वैधानिक आपत्ति उस समय माननीय नारायण दत्त जी ने उठाई थी उस पर मैंने अपने कानूनी मुशीरों से सलाह ले ली है और मैं समझता हूं कि वह वैधानिक आपत्ति ठहरती नहीं है। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

---

* क्रम के लिये देखिये पीछे पृष्ट ··· ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान माननीय मंत्री जी ने यह जो घोषणा की कि मेरा यह जो संशोधन था, वैधानिक आपत्ति जो थी वह ठहरती नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया कि किन कारणों से नहीं ठहरती है। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह पढ़ कर बतला दें कि कैसे नहीं ठहरती ताकि इस सदन और मेरे समझ में आये कैसे नहीं ठहरती है।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री का जवाब हो चुका है। अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और माननीय स्वशासन मंत्री उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह लीगल ओपीनियन जो अंग्रेजी में है उसे पढ़ देना चाहता हूं। यह लीगल ओपीनियन मैंने एल० आर० और डी० एल० आर दोनों से ले ली है, उसको मैं ज्यों की त्यों आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

"Whether the expression goods will or will not include animals does not seem to be relevant in the present case. Under item 58 of the List II of the 7th Schedule, the State Legislature is competent to pass a law imposing a tax on animals. The power conferred by this item is general and the liability to be taxed can be conditioned by such requirements as the law may specify. In the present case when it is said what octroi shall be levied on animals brought in the Municipality for consumption, use or sale, therein, certain prerequisite conditions have been prescribed which, if fulfilled, the tax shall be leviable. Since octroi is nevertheless a tax, it can, therefore, be imposed and the State Legislature is competent to enact the law.

It is necessary to go into the question whether a tax can be levied on the entry of animals into a local area under item 58 of the said list, because all that is needed is that the State Legislature has the power to impose the tax under any of the items specified in List II. If a particular tax can be explained with reference to any one of the items in List II, the competence of the State Legislature cannot be challenged. In the present case, as has been discussed, the tax can be levied on animals under item 58 and if that is so, as it is, whether the tax will also be leviable under item 52, is necessary for the decision of the issue.

L. S. G. Minister will kindly recollect that the word 'or sale' has been included in the Bill on the advice of the Advocate General.

I have discussed with L. R. also who agrees with the above constitutional position.

Now following is the legal opinion of L. R. :

D. L. R. has discussed the above note incorporates my opinion also. I may also add that goods mentioned in entry 52 of list No. 2 has been defined in Art. 366 to include commodity. The meaning of commodity as given in the Oxford dictionary shows that all kinds of movable property which are capable of being sold are included in commodity. Live animals meant for consumption sale or use will also therefore be commodity.

ये दोनों ओपीनियन्स मैंने आपके सामने निवेदन कर दीं। इसको हिन्दी में करके मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अगर हिन्दी में करा दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---ऐसा होना इस वक्त मुमकिन नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, यह लीगल ओपीनियन बहुत लम्बी है। इतनी जल्दी पढ़ने से तो हमारी समझ में नहीं आयी इसलिये हम चाहते हैं कि हमको कुछ इसका मौका दिया जाय। यह अब हमको दे दी जाय और इन्टरवल के बाद ले ली जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये माननीय नारायण दत्त जी जवाब दे रहे थे। कुछ सवाल उन्होंने किया उसका जवाब माननीय मंत्री ने दिया। अगर वह अंग्रेजी समझते न होते तो मैं यह जरूर कर देता कि उसको हिन्दी में कह दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिस समय मैंने वैधानिक आपत्ति उठाई थी तो आपने माननीय मंत्री जी को एक घंटे का समय विचार करने के लिये दिया था। चूंकि वह कमोडिटी की लिस्ट बहुत लम्बी है और संविधान के अन्दर भी यह चैप्टर बहुत लम्बा है और साथ ही मेरी कमजोरी को भी आप जानते ही हैं। अगर कुछ थोड़ा समय मुझे भी स्टडी करने के लिये दे दिया जाय तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको समय दे दूंगा और इसे अब जलपान के बाद लिया जायगा।

(इस समय १ बजकर ८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने मेरी वैधानिक आपत्ति के बारे में जो वैधानिक प्रस्तावना दी उसको मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसके बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि इस प्रश्न पर कोई वैधानिक निश्चय होना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह प्रश्न केवल परिभाषा से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि विधान से भी सम्बन्धित है और उसके स्पष्टीकरण या इन्टरप्रिटेशन से भी सम्बन्ध रखता है। इसलिये मैं इस पर थोड़े समय तक अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। लीगल रिमेम्ब्रेन्सर और डी० एल० आर० साहब ने जो सुझाव दिए हैं उसको आप देखें तो डी० एल० आर० ने पहली पंक्ति में लिखा है कि Whether the expression 'goods' will or will not include animals does not seem to be relevant in the present case. "यानी सबसे पहली बात यह है कि "गुड्स" का मतलब "एनीमल्स" से है या नहीं यह रिलेवेन्ट नहीं है लेकिन लीगल रिमेम्ब्रेन्सर साहब फ़रमाते हैं कि---

"I may also add that goods mentioned in entry 52 of list no. 2 has been defined in Art. 366 to include commodity. The meaning of commodity as given in the Oxford dictionary shows that all kinds of movable property which are capable of being sold are included in commodity. Live animals meant for consumption sale or use will also therefore be commodity."

यानी उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है गुड्स का मतलब एनीमल भी है। एक ओर तो डी० एल० आर० साहब कहते हैं कि यह रिलेवेन्ट नहीं है लेकिन दूसरी ओर लीगल रिमेम्ब्रेन्सर साहब यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं गुड्स का मतलब एनीमल से है और उन्होंने विधान की धारा ३६६ की गुड्स की परिभाषा से साबित करने की कोशिश की है। अब लीगल रिमेम्ब्रेन्सर साहब की राय को चैलेञ्ज करना कि गुड्स का मतलब एनीमल है या नहीं, यह तो मुश्किल है लेकिन मैं इतना कहने की धृष्टता अवश्य करूंगा कि 'गुड्स' का अर्थ 'एनीमल' मैं समझता हूं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कि आज तक कहीं भी न किसी जजमेंट में, न किसी फ़ैसले में और न किसी इन्टरप्रिटेशन में कभी ऐसा हुआ है।

श्री ऐज़ाज़ रसूल---रेलवे में तो 'एनीमल्स' 'गुड्स' में आते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---रेलवे में तो गुड्स में आदमी भी आते हैं। आदमी भी तो एक प्रकार का एनीमल है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं आदमी तो नहीं आते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैं श्री ऐज़ाज रसूल साहब को बतला दूं कि अगर 'गुड्स' का मतलब 'एनिमल' होता तो विधान में दोनों चीजें रखने की आवश्यकता ही न होती। आप कहते हैं कि यह इनक्लूडेड है। आप तो यह कहें कि गुड्स इनक्लूड्स ऐनीमल अगर गुड्स में जानवर भी होते तो फिर शब्द एनीमल्स का रखना ही बेकार है। जब गुड्स का मतलब एनीमल्स नहीं हुआ तो आपने एनीमल्स जोड़ा। मैं समझता हूं कि लीगल रिमेंम्ब्रेंसर साहेब से बड़ी राय इस सदन की राय है। सरकार ने जब गुड्स और एनीमल्स दोनों नाम अलग-अलग रखे और 'or' बीच में लगाया तो इसका मतलब है कि इस बिल के ड्राफ्ट करने वाले ने गुड्स और एनीमल्स को अलग-अलग २ चीजें समझा इसलिये लीगल रिमेंम्ब्रेंसर साहब की यह दलील कि गुड्स और एनीमल्स एक ही चीज हैं, मैं इसको मान्यता इसलिये नहीं देता कि चूंकि सरकार स्वयं इसे मान्यता नहीं देती। यहां तक तो बात है गुड्स और एनीमल्स की।

दूसरी बात मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह लीगल रिमेंम्ब्रेंसर की इस बात को कहां तक मानते हैं कि यह जो उनकी राय है कि "tax on animals means tax on anything" यानी जनरल पावर है। मैं इस बात को कहने के लिये तैयार हूं और दावे के साथ कहता हूं कि विधान की कहीं यह मंशा नहीं है कि एनीमल्स की एंट्री, कनजम्पशन या यूस के ऊपर भी कोई टैक्स लगाया जाय। अगर विधान वेत्ताओं का यह मंशा होता तो वे सातवें शैडयूल में स्पष्ट कर देते और वह इस तरह होता—

"Taxes on the entry of goods and animals into a local area or consumption, use or sale therein."

लेकिन एनीमल शब्द, इस समय जैसा यह है, इसमें कहीं प्रयुक्त नहीं किया गया है। और इसमें लिस्ट २ में, स्टेट लिस्ट में, क्लाज ५८ अगर आप देखें तो उसमें लिखा है—

"58. Taxes on animals and boats."

तो क्या उनका अर्थ यह है कि नावों की ऐंट्री, कंजम्पशन और यूस पर भी टैक्स लगाया जाय। टैक्स आन बोट्स का अर्थ यह है कि अगर कोई नाव वाला नाव रखता है तो उस पर टैक्स लगेगा अगर एक नाव है या २ हैं तो उन पर टैक्स लगेगा। यह नहीं हो सकता कि जितने फेरे नाव करे उतने फेरे पर टैक्स लगे। यह नहीं है कि किश्ती फेरे पर जा रही है, वह जितने फेरे जायगी उतने फेरों पर टैक्स लगेगा या किसी घाट से बाहर या भीतर जायगी तो टैक्स लिया जायगा। इसीलिये टैक्सेज आन ऐनीमल्स ऐंड बोट्स' के रखने का साथ में मंशा यही है कि उनके ऊपर भले ही टैक्स लगाया जाय लेकिन आने जाने पर न लगाया जाय। जो पहिले म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा १२८ के खंड (५) और (६) हैं उनमें यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है। खंड ५ में

लिखा हुआ है कि (A) A tax on dogs kept within the municipality और खंड (६) में लिखा हुआ है—

"(VI) A tax on animals used for riding, driving, draught or burden, when kept within the municipality."

यहां इसका ठीक अर्थ लगाया गया है लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि एंट्री पर टैक्स लगाया जायगा।

इसके अलावा एक चीज और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा वह यह है कि अगर गुड्स का मतलब ऐनीमल्स से लगाया जाता है तो क्या सेल्स टैक्स ऐनीमल्स से भी वसूल किया जाता है। अगर गुड्स की परिभाषा वही मान ली जाय जो कि लीगल रिमेम्बरेंसर साहब ने की है तो क्या एक दो या चार बार ऐनीमल पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है। अगर ऐसा है तो मैंने ऐनीमल्स के ऊपर कहीं भी सेल्स टैक्स लगता नहीं देखा। म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में भी कहीं उसको इस प्रकार से इन्टर-प्रेट नहीं किया गया है।

तीसरी बात जो लीगल रिमेंबरेंसर साहब ने बताई वह यह है कि—

"If a particular tax can be explained with reference to any one of the items in List II, the competence of the State Legislature cannot be challenged."

इसका अर्थ यह है कि अगर जनरल पावर मान ली जाय और लिस्ट २ में ऐनीमल्स का नाम आ गया मान लिया जाय तो उन पर टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि विधान की धाराओं की अवहेलना है जो ऐनीमल्स पर टैक्स लगा कर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत से मौकों पर इस प्रकार की रूलिंग दी है। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर की जनरल पावर ही होती है। इसके लिये मैं आपकी आज्ञा से एक इन्टरप्रिटेशन पढ़ना चाहता हूं जो दुर्गादास साहब का है वह इस प्रकार है—

"The essential features of the present tax are (a) the entry of goods into definite local area; (b)the goods must enter for the purpose of consumption, use or sale therein. Hence, the tax cannot be imposed under the present entry on goods merely passing through that local area But there is no limitation on the manner by which the goods to be subjected to the tax may enter into that local area."

Punjab Flour mills Vs. Prov. of Punjab, (1947) 81 C.L.J. 417 (424) (F.G.)"

यह फैडरल कोर्ट का फैसला है। इस फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी टैक्स डैफीनिट एरिया के लिये होना चाहिये और उसको स्ट्रिक्टली इन्टरप्रेट किया जाना चाहिये। हमें उसका जनरल इंटरप्रिटेशन नहीं लेना चाहिये। अगर जनरल इंटरप्रिटेशन ही लिया जाता है तो फिर सिर्फ 'गुड्स' ही रखना काफी होगा। फिर इतने लम्बे चौड़े ऐक्सप्लेनेशन की क्या आवश्यकता है कि "आन गुड्स आर ऐनीमल्स...फार कंजम्पशन आर यूज देअरइन'। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि विधान में जो कुछ दर्ज है उसके द्वारा हमें जनरल पावर्स कनवे नहीं होती हैं बल्कि वे डेफीनिट हैं।

इसके अलावा विधान की धारा २४६ (३) में स्पष्ट लिखा हुआ है—

"(31) Subject to clauses (1) and (2) the Legislature of any State specified if Part A or Part B of the First Schedule has exclusive dower to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II in the Seventh Schedule in this Constitution referred to as the 'State List"

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

[(३) खंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में "राज्य-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।]

जनरल पावर नहीं है। "इन आल दि मैटर्स इन्यूमरेटेड" से मतलब स्पष्ट है कि केवल उन्हीं मामलों के लिये, वे ही मैटर्स जो कि लिस्ट में दर्ज होंगे, बाकी नहीं। तो जहां तक डी० एल० आर० साहब का कहना है कि जनरल पावर का मामला है "इन आल दि मैटर्स इन्यूमरेटेड" से स्पष्ट हो जाता है। तो सवाल अब यह उठता है कि आखिर किस संस्था को अधिकार है जो इस प्रकार का टैक्स लगा सकती है। विधान की धारा २४६ (२) के अनुसार पार्लियामेंट ही इसके अन्दर आ सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर नहीं है।

"(2) Notwithstanding anything in clause three Parliament, and subject to clause(I) the Legislature of any State specified in Part A or Part B of the First Schedule also, have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh shedule in this Constitution referred to as the Concurrent List."

[(२) खंड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद को, तथा खंड (१) के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) में (जो इस संविधान में "समवर्ती सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।]

इस प्रकार इस टैक्स का लगाना--

"Tax on the entry of animals brought within the municipality for consumption, use or sale there in."

इस प्रकार के टैक्स लगाने की ताकत स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है बल्कि पार्लियामेंट को है। और विधान वेत्ताओं ने भी केवल २४८ (२) में ही नहीं बल्कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें भी स्पष्ट कर दिया है। यूनियन लिस्ट का जो सेवन्थ शेडयूल पेज २४३ पर है उसमें लिखा हुआ है—

"Any matter not enumerated in List II or List III including any tax mentioned in either of those Lists."

[सूची (२) या (३) में से किसी में अवर्णित किसी कर के सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय।]

यानी यूनियन लिस्ट में जो चीज लिस्ट में दर्ज नहीं है उस पर पार्लियामेंट को इस बात की ताकत है कि वह इस प्रकार के टैक्स "एंट्री आन एनिमल्स" लगा सके। इसके साथ ही साथ अगर इस पोजीशन को मान लें जैसा कि माननीय डी० एल० आर० साहब ने कहा कि जनरल ताकत है और "टैक्स आन एनिमल्स" या हर प्रकार के टैक्स लगा सकते हैं तो इससे आगे चल कर बड़ा खतरा रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि लिखा हुआ है कि टैक्स आन लैंड, तो क्या अगर कोई जमीन बेचता है तो उस पर भी आप टैक्स लेने लगेंगे? अगर कोई जमीन ट्रांसफर करता है तो उस पर भी टैक्स लेंगे? क्या रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी के अलावा और भी इस प्रकार के टैक्स लगाने की कोई व्यवस्था है? मेरी समझ से आपको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। फिर जब इस प्रकार

के टैक्स लगाने की कोई ताकत आपके पास नहीं है तो फिर आप इस टैक्स को कैसे लगा सकते हैं। एसेंशियल गुड्स पर एसेंसियल ऐक्ट के मातहत बिना प्रेसीडेंट की राय के आपको टैक्स लगाने का आधिकार नहीं है इसलिये हर प्रकार के माल पर टैक्स लगाने की आपकी दलील कोई मौजूं नहीं मालूम होती है। और यह किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होता। इसके साथ ही साथ मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा श्री हरगोविन्द सिंह कमेटी की तरफ भी ध्यान दें। हरगोविन्द सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जितनी सिफारिशें की थीं उस पर भी ध्यान रखा जाय तो मालूम होगा कि उसने भी इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया कि एनिमल पर इस प्रकार का टैक्स लगाना विधान के अनुसार उचित होगा या नहीं होगा। उसमें यह कहा गया है। पेज ८६ पर श्री हरगोविन्द सिंह कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं वे ये हैं—

"We, therefore, recommend that the refund system as it exists at present should be abolished. It is considered that this can be achieved by substituting the words"consumption",use or sale therein for the words consumption or use therein" occuring in the definition of Octroi in sec. 128 of the Municipalities Act. Such an amendment is permissible according to Item 52 of List II (State List) in the Seventh Schedule to the Constitution."

यह हर गोविन्द सिंह जी की कमेटी की राय है। उन्होंने कहा है कि विधान की आइटम ५२ के बारे में जिसको डी० एल० आर० साहब और एल० आर० साहब कहते हैं उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसीलिये हरगोविन्द कमेटी की रिपोर्ट में इस का जिक्र नहीं है और इसलिये यह सिद्धांत दिया गया है कि रिफंडेबिल आक्ट्राय न हो।

"We note that many of the evils attendant on octroi result from the general refund system provided in rules 178-180 of the Municipal Account Code."

यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जो नोट करने के लायक है कि म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड में कहीं जिक्र नहीं है एनीमल का। और इसीलिये इसमें गुड्स में वे शामिल थे और उनसे लाभ हुआ।

"they would have paid at the time of their import within the municipality. On account of this system the Boards have usually to make huge refunds every year, which on the whole is about 50 per cent."

तो मालूम होता है कि हरगोविन्द सिंह की कमेटी की रिपोर्ट का ध्यान म्युनिसिपैलटी एकाउन्ट कोड के १७८, १७९ और १८० की तरफ नहीं था और इसीलिये उसमें आइटम ५२ का जिक्र आया। तो मैं कोई वैधानिक पंडित तो नहीं हूं और न मैं यह दावा करता हूं कि विधान की कोई विशेष जानकारी मुझे है। मैं तो विधान का एक विद्यार्थी हूं और मैं मानता हूं कि इस आदरणीय सदन में एक से एक बड़े विधानवेत्ता मौजूद हैं जो विधान और उनके नियमों की परिभाषाओं को और भी कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्ट कर सकें और जान सकें और जानते हैं लेकिन फिर भी अपने नम्र निवेदन करने के अधिकार को देखते हुये मैंने आपकी आज्ञा से सदन के सामने कुछ रखने का प्रयत्न किया इसलिये कि यह बात बहुत आवश्यक थी और मैं यह भी चाहता हूं कि अगर कोई यह मामला अदालत में जाय तो वहां कुछ गलती न दिखलाई पड़े और या उस समय सदन का समय और खराब हो और हमें एकाध दिन फिर अमेंडमेंट लाने की सोचना पड़े और हमारी सरकार की परेशानी भी और अधिक बढ़े। यदि परेशानी को कम करने की नियत से नहीं तो कम से कम इस विषय पर एक स्पष्ट राय प्रतिपादित हो जाय और इसी विचार से मैंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। मैं नहीं चाहता कि डी० एल० आर० साहब की या एल० आर० साहब की विद्वत्ता के

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बारे में शक करूं या शिकायत करूं हो सकता है उनके विचार ऐसे हों लेकिन उनके विचारों से मेरे विचारों में जो असाम्य है उसको स्पष्ट कर देना मेरा कर्तव्य था। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर पुर्नविचार करें और अन्त में वे यदि एल० आर० साहब की सिफारिश को मानते हैं कि गुड्स डज इन्क्लूड एनीमल तो फिर गुड्स में यदि एनीमल आजाते हैं तो भी एनीमल को डिलीट करने में कोई आपत्ति नहीं है और अगर गुड्स का मतलब एनीमल से नहीं होता है तो भी मेरे संशोधन को मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, मेरी राय को मानें तब भी और न मानें उनकी राय को मानें तब भी उनको मेरे इस संशोधन को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये कि आज आप मेरी राय को न माने लेकिन आपको मानना है आज न मानें, कल मानें। इसलिये आपको जब मानना ही है तो मेरे संशोधन को मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। इतना कह कर मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे चित पट के हिसाब को देख लें और उसके बाद इस व्यवस्था को स्पष्ट करें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने कहावत दोहराई है उसका आधा हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया। कहावत तो यह है कि "चित भी मेरी, पट भी मेरी, और अन्टा मेरे दाऊ का"। इसके मतलब यह है कि तीसरी पोजीशन भी होती है उसको भी किसी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिये तब महाविरा पूरा होता है। आज यह बहस एक कानूनी बहस शुरू हुई है। और इसमें बहुत सी चीजें तो इससे संबंध नहीं रखती हैं। लेकिन जो मतलब माननीय नारायण दत्त जी ने ५८ वें आइटम, सातवें शेड्यूल का लगाया, टैक्सेज आन ऐनिमल तथा बोट्स का, वह हो सकता है। लेकिन इतना ही, अर्थ होगा और उससे अलग नहीं होगा यह उन की राय हो सकती है, दूसरों की राय न हो सके क्यों कि टैक्सेज आन एनिमल्स के मानी सिर्फ यह हों कि जो रखने वाला है उसी पर टैक्स लगे और इंट्री पर टैक्स न लगे ऐसा उन्होंने अर्थ लगाया है। वह संकुचित हो सकता है। जहां तक मेरा अनुमान है। ऐनिमल की सेल पर सेल्स टैक्स लग सकता है। जहां तक मुझे याद है ऐसा कोई एग्जेम्शन नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—कभी लगा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—लगा हो या न लगा हो, यह कानून के लिये रेलेवेंट नहीं है लग सकता है ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूं। एग्जेम्शन नहीं है। तो इस वक्त जो राय मैं कोट कर चुका उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल में वही राय काफी वजन रखती है और उसके अनुसार ऐनिमल्स पर जब हमको टैक्स लगाने का अधिकार है तो उसको इंट्री पर, उसके कंजम्शन पर, उस के यूज पर न हो ऐसा नहीं है, जो मिसाल उन्होंने दी वह यह दी कि ऐनिमल पर तो लगे लेकिन उसकी इंट्री पर न लगे। अगर मैं इसका कुछ मतलब समझता हूं, टैक्स आन ऐनिमल्स का तो उसका अर्थ इस मानी में लिया जाना अच्छा होगा कि ऐनिमल्स आर बोट्स, यहां मीन्स आफ कम्युनिकेशंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ५६ से ले कर अगर पढ़ा जाय तो ज्यादा जल्दी समझ में आयेगा।

"56. Taxes on goods and passengers carried by road or on inland water-ways.

57. Taxes on vehicles, whether mechanically propelled or not, suitable for use on roads, includig tramcars subject to the provisions of entry 35 of List III.

58. Taxes on animals and boats."

तो यहां पर यह मीन्स आफ कम्युनिकेशंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसकी इंट्री पर टैक्स लगाने का अधिकार जहां तक मैं समझता हूं विधान बनाने वालों को था।

इसलिये उस पर और ज्यादा मैं कुछ न कह कर यह निवेदन करूंगा कि यह कानूनी बहस इस वक्त खत्म की जाय। इस अधिकार को हम समझते हैं कि यह अधिकार रहना चाहिये और एक और निवेदन करना चाहता हूं। लेजिस्लेचर का कार्य अपने अधिकारों को संकुचित करने का नहीं हुआ करता, उस तरह की दलील लेजिस्लेटर्स दे कर अपनी हैसियत और अधिकारों को कम करें इससे लेजिस्लेचर को नुकसान होगा।

इसलिये मैं इन शब्दों के साथ, मुझे अफसोस है, इस अमंडमेंट को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने गुड्स का मतलब जो है उसमें ऐनिमल्स को शामिल कर लिया है?

श्री मोहनलाल गौतम—सेल आफ गुड्स में एनिमल्स शामिल होते हैं, ऐसा है। अगर वह सेल आफ गुड्स ऐक्ट, १९३० देखेंगे तो उसमें है—

"Goods" means every kind of movable property other than actionable claims and money; and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale;

सेल आफ गुड्स ऐक्ट में यह शामिल है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम कीधारा १२८ की उपधारा (१) के नये खंड (viii) की पंक्ति १ के शब्द "or animals" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह १५३-ख का जो संशोधन है कि खंड ३३ निकाल दिया जाय...

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये तो वह वोट दे देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस संबंध में मैं आपकी वैधानिक व्यवस्था चाहता हूं कि इस संबंध में हमको अधिकार है या नहीं। आप अपनी रूलिंग दे दें।

श्री मोहनलाल गौतम—वह हाउस की रूलिंग हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, यू० पी० ऐक्ट २, १९१६। १९१६ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६। कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करना आवश्यक है ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। १—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रवलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, जैसा कि अभी संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इतना अधिक समय लग चुका है कि और ज्यादा शायद इस सदन के सदस्यों को सब्र न हो और कुछ सुनने का। इस समय कई रोज से इस पर बहस हो रही है। काफी समय उस पर लिया गया और लगभग २०० अमेंडमेंट के इस पर आये थे जिन में से २१ अमेंडमेंट स्वीकार हो चुके हैं। इनमें से कुछ वरबल हैं और कुछ कांसिक्वेंशयल हैं, इसलिये उनका जिक्र तो नहीं करूंगा लेकिन दो तीन अमेंडमेंट्स खास तौर से हुये हैं, उनमें एक तो एजूकेशन स्टाफ के संबंध में है कि उसके अप्वाइण्टमेंट, डिस्मिसल, पनिश्मेंट के बारे में जो पहले इस अमेंडिंग बिल में दिया गया था उसके अनुसार न रह कर वह प्रबन्ध दूसरा हो गया है जिसके संबंध में गवर्नमेंट रूल्स बनायेगी। और भी दो तीन महत्वपूर्ण चीजें श्री अस्थाना जी ने पेश की थीं, वह भी स्वीकार हो चुकी हैं। इस वक्त जैसा कि यह संशोधित किया हुआ बिल है, मैं समझता हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और यह सदन इसको स्वीकार कर लेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इसको थर्ड रीडिंग के लिये पेश करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय स्वशासन मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है उस पर मुझे भी कुछ अपने विचार प्रकट करने का आपकी इजाजत से जो मौका मिला है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन माननीय मंत्री जी नाराज हो जायेंगे, वैसे ही वह समझते हैं कि काफी दिन इसमें लग गये हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने माननीय अस्थाना जी के संशोधन की बात की लेकिन जो मेरा संशोधन स्वीकार किया गया उसकी चर्चा तक माननीय स्वशासन मंत्री ने नहीं की।

श्री मोहन लाल गौतम—अब कर देंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अब तो देर हो गई। अब तो मैंने ही करा ली। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा समय इस अमेंडिंग बिल पर नहीं लगा, जितना लगना चाहिये था उतना भी नहीं लगा। वैसे तो संशोधन हम लोगों के काफी थे। जो नहीं मंजूर किये गये उन पर तो कुछ कहना, बहस करना फिजूल है, उनमें बहुत से इम्पार्टेंट भी थे

जैसे जहां तक महिलाओं वाला सवाल था वह काफी इम्पार्टेंट था लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री जी ने उसे नहीं माना। जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने माने उनमें एक तो वह नामिनेशन वाला था। सन् १९४८ से सन् १९५२ तक इस प्रान्त में बहुत सी म्युनिसिपैलिटियां बनी और जो अमेंडिंग बिल इस सदन के सामने आया था उसमें यही था कि सन् ४८ तक की जो म्युनिसिपैलिटीज बनी हुई हैं उनमें तो नामिनेशन नहीं हो सकेगा तो ४८ से ५२ तक की जो म्युनिसिपैलिटीज बनीं वह करीब ४० थीं उनमें नामिनेशन का सिस्टम जो एक अमेंडिंग बिल माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने रखा था उसमें वह जारी रहता था और हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम माननीय स्वशासन मंत्री जी ने तो समझा कि सौतिया व्यवहार हो रहा था म्युनिसिपैलिटीज में और उन्होंने इसे स्वीकार किया और इसे बन्द किया जिसके लिये वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और भी संशोधन बहुत से हुये। जो मंजूर हुये उन संशोधनों पर तो हम यहां बोल भी नहीं पाये तो उनके बारे में हम क्या कहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय चूंकि वे उधर से आये थे तो उन्हें तो मंजूर करना ही था। हम भी यही समझते हैं कि जो संशोधन हमको मंजूर करवाने हुआ करें उन्हें उधर के लोगों से मूव करा दिया करें तो माननीय मंत्री जी उन्हें मंजूर कर लेंगे। हम लोगों से तो नाराज रहा करते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—इधर से आकर मूव कर दिया करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—आपके और बिल आने वाले हैं। उनमें वही सिद्धांत होंगे जो इस अमेंडिंग बिल में माने जा चुके हैं। जहां तक ज्यादा समय लगने का सवाल था हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि हम इस पर समय ज्यादा न लगायें लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही एक ऐसा बिल था जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज इस सदन के सामने आयीं और यही एक बिल था जिसमें गिलोटीन का प्रस्ताव यहां पर आया लेकिन अच्छा हुआ कि मूव नहीं हो पाया और इस सदन की मर्यादा रह गई, और विरोधी पक्ष को इस बात का मौका मिला कि वह अपने विचार इस सदन के सामने प्रगट करे। हम अब भी आशा करते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी जो कोई और बिल लावें तो हो सके तो उस पर पहले विचार हो जाय। इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। हम बैठकर आपस में इसका फैसला कर लें और जो संशोधन हमारे मानने के हों उन्हें मान लिया जाय ताकि उसे जल्द निपटा सकें। जहां तक समय का सवाल है हम उसका दुरुपयोग करना नहीं चाहते लेकिन श्रीमन् जिस काम के लिये हम यहां भेजे गये हैं उन कामों को और विचारों को तो हम सदन के सामने पेश करेंगे ही और यह हक है इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का। तो अगर उनको कोई शिकायत हुई हो तो वह शिकायत गलत है। उनको यह नहीं महसूस करना चाहिये कि हम कोई डीलेंइंग टैक्टिक्स इस बिल के पास करने में कर रहे थे। हम तो कम से कम एक महीने तक इसको ले जाना चाहते थे क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज का सवाल था और बड़े बड़े बर्थकंट्रोल क्लिनिक्स तथा और दुनिया भर के क्लिनिक्स खोलने की बात थी और म्युनिसिपैलिटीज से ही तो हम आगे देश का निर्माण करेंगे। प्लानिंग वहीं से तो होगी, असेम्बली में रह करके प्लानिंग तो होती नहीं है। जो ऐक्चुअल वर्क होगा वह हमारी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर ही होगा। इसलिये हम चाहते थे कि इस पर काफी समय लगे ताकि हम पूरा विचार कर सकें। हमारा यह मकसद नहीं है कि असेम्बली में काम न हो। कानून तो हम ही लोग बनाते हैं लेकिन उसको कार्यरूप में परिणत करने का काम तो म्युनिसिपैलिटीज का ही है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारा काम कानून बनाने का है, अपने दायरे को कम करने का नहीं है। हम कभी अपना दायरा कम करना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि जो कानून हमारी तरफ से बने उसके ऊपर अगर कोई हाई कोर्ट में क्वेश्चन करे तो हम वहां हार न जायं। इसलिये हम चाहते थे, चाहते हैं और आगे भी चाहते रहेंगे कि यहां से जो कानून बने उसके सारे पहलुओं पर विचार कर लिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप महसूस करेंगे कि माननीय कमला सिंह जी का जो प्रस्ताव था और जो दफा १०८ के

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

सम्बन्ध में था, अगर वह कबूल न किया जाता तो सब मामला बिगड़ जाता। परन्तु माननीय मंत्री जी ने उस पर सोच विचार करके उसको मंजूर कर लिया। जो कानून सोच विचार करके बनाया जायगा और विरोधी दल की विचारधारा का भी ध्यान रखा जायगा तो मैं समझता हूं कि वह कानून अच्छा बनेगा। हमारा भी उद्देश्य वही है जो माननीय मंत्री जी का है। अब मैं क्या कहूं मैं तो उन्हीं अमेंडमेंट्स पर बोल सकता हूं जो ऐक्सेप्ट किये गये हैं, जो रिजेक्ट हो गये हैं उनके ऊपर तो बोल ही नहीं सकता हूं लेकिन इतना मैं माननीय मंत्री जी से आगे के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि बीती ताहि विसारि दे, आगे की सुधि लेय। हमारी तरफ से कभी यह न ख्याल किया जाय कि हम डिलेइंग टैक्टिक्स एडाप्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि आगे से माननीय मंत्री जी को गिलोटीन वग़ैरा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ में अपने विचार को प्रकट करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इस तृतीय वाचन के अवसर पर कोई अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पिछले बीस दिनों में जिस धैर्य का परिचय दिया और जिस सब्र के साथ उन्होंने हमारे निवेदन को सुना और संशोधनों पर विचार किया उसके लिये वे और उनकी समस्त सरकार बधाई की पात्र है। हम इतना और चाहते हैं कि भविष्य में उन्हें उन सभी सिद्धान्तों को दृष्टि में रखना चाहिये जिनको हमारी तरफ से समय समय पर प्रस्तुत किया गया। खेर कमेटी की रिपोर्ट में कुछ ऐसे सिद्धान्त हो सकते हैं जिनको माननीय मंत्री जी स्वीकार न करते हों, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनको हम स्वयं न मानते हों लेकिन फिर भी जो आधारभूत बातें उसमें कही गई हैं मैं उनकी ओर आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि कार्पोरेशन बिल और म्युनिसिपैलिटीज बिल जो आगे आयेंगे उनको प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी उन सभी सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—प्वाइंट आफ आर्डर सर, इस समय जो इस विधेयक में अमेंडमेंट्स हुए हैं उन्हीं पर बोलना है। आगे कोई बिल आयेगा तो उसके लिये अभी से सिद्धान्त बताने से क्या लाभ है। हो सकता है कि हम उनको भूल जायं। जब वह बिल आये तब यदि सिद्धान्त बताये जायं तो अच्छा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं तो आपके सब्र की तारीफ कर रहा हूं और आप अब क्यों इतना बेसब्र हो रहे हैं। जहां तक संशोधनों का प्रश्न है, यदि मैं चाहूं तो जितने संशोधन पास हुये हैं उन पर ही आपकी आज्ञा से काफी समय ले सकता हूं लेकिन मैं समय लेना नहीं चाहता। यदि आप हमारे इन सुझावों पर ध्यान देंगे तो आगे आपका ही समय बचेगा।

इसके बाद अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि माननीय मंत्री जी अब जरा म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज के चुनाओं को जल्द से जल्द कराने की चेष्टा करें। जो उन्होंने यह घोषणा इस सदन में और कांफ्रेंसेज में बारबार की है कि इस आर्थिक वर्ष के अन्त तक यानी मार्च, अप्रैल तक चुनाव हो जायगा, उस घोषणा के साथ हमारी पूर्ण सद्भावना है। केवल बीस दिन इसके वादविवाद में लगे हैं और मैं समझता हूं कि विधान परिषद् भी इसको कुछ दिनों में पारित कर देगी। और अन्ततः मार्च ३१ के पहले तक म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव सम्पन्न हो सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ जहां दो म्यूनिसिपैलिटियों के कारपोरेशन

बनने जा रहे हैं, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि माननीय मंत्री जी लखनऊ और कानपुर में चुनाव कराने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायेंगे। मुझे मालूम नहीं कि कारपोरेशन बिल कब आ रहा है। वह कब आ जायगा और लखनऊ और कानपुर में कब चुनाव हो सकेंगे, इसकी भी अगर माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें तो बहुत उपयुक्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को और इस सदन के सारे माननीय सदस्यों को जिन्होंने हमारी भावनाओं को सहानुभूति पूर्वक देखा और जिन्होंने विरोध प्रस्तुत किया, उनको भी क्योंकि विरोध में भी सहानुभूति होती है, तो इसलियें मैं उन सब को इस विरोधी दल की तरफ से धन्यवाद देता हूं और इसके लिये भी यह जो बीस दिनों तक वादविवाद हुआ है क्योंकि इससे हमारा भी भार हल्का ही हुआ है, भारी नहीं हुआ है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में सब से पहले विरोधी पक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ इस बिल में अपना समय दिया और खूब क्रिटिसाइज किया, जहां जरूरत पड़ी, मैं विशेषतः माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने फार फेचिली प्लानिंग, जो कन्ट्रीवाइड प्राब्लम है और जो अभी पार्लियामेंट में है उस पर यहां प्रकाश डाला और उपदेश दिया कि उसका म्युनिसिपैलिटीज में प्रचार होना चाहिये। आज देश के कोनेकोने में इसका प्रचार चल रहा है। मैं तिवारी जी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर वह इस बात का प्रचार करें तो हम भी प्रचार करेंगे लेकिन अभी चीज मैदान में आयी नहीं है। जब मैदान में आ जायगी, हम लोग भी उनके साथ होंगे, पीछे नहीं हैं। आप आज भी प्रचार कर सकते हैं, अख्बार हैं, फ्रीडम आफ प्रेस है हमारे कन्ट्री में, कोई आब्जेक्शन नहीं है। उनको आर्टिकिल लिख कर देना चाहिये कि जिससे सारे कन्ट्रीवाइड, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांवों में उसका प्रचार हो सके। मैं ज्यादा धन्यवाद म्युनिसिपैलिटी या लोकल सेल्फ के जो मिनिस्टर महोदय हैं उनको देना चाहता हूं कि जो शिकायत आज स्टेट को है कि चुनाव में देर हो रही है वह चीज आज उन्होंने पास करदी इस सदन के अन्दर और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जल्द से जल्द एलेक्शन हो जायगा। तो अब तो बिल पास हो गया है, एलेक्शन शीघ्रातिशीघ्र हो जायगा, उनको विश्वास रखना चाहिये। मैं सदन के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने निहायत मुस्तैदी के साथ काम किया। उधर से शिकायत थी कि अमेंडमेंट हमारी तरफ से ज्यादा हुये हैं इसका सबूत यह है कि वी आर रनिंग ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में हर मेम्बर चाहे वह अपोजीशन का हो चाहे ट्रेजरी बेंचेज का, अपना विचार व्यक्त कर सकता है। ट्रेजरी बेंच के मेम्बरान ने इस बात का सबूत दिया कि आपसे ज्यादा अमेंडमेंट्स हम लाये और आप से बढ़िया बढ़िया हमारे अमेंडमेंट्स थे जिनको माना गया। दूसरी बात यह है कि अपोजीशन के एक माननीय सदस्य श्री कमला सिंह जी का अमेंडमेंट् विथाउट एनी डिस्कशन माननीय मंत्री महोदय ने माना और जिसको सदन ने देखा, तिवारी जी और मदन मोहन जी को शिकायत नहीं होनी चाहिये कि क्यों माना गया। चीज माकूल थी, इसलिये मानी गयी। तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि सदैव जब भी कोई उत्तम चीज इस गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे तो कोई वजह नहीं कि गवर्नमेंट न माने।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं?

श्री शिवनारायण—जरा आप सुनिये, आप क्यों घबड़ाते हैं।

मैं श्री मदन मोहन उपाध्याय जी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं और उन्होंने यह प्रकट किया कि यह बर्थ कंट्रोल का जो सवाल है कि म्युनिसिपैलिटीज

[श्री शिव नारायण]

में किया जाय, आप तो गांव में रहते हैं और सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज में लागू करवाना चाहते हैं, अपने यहां भी लागू कराने की कोशिश कीजिये और हर तरह से प्रचार कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने आदरणीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इस बिल को उन्होंने इस सदन में लाकर जो शिकायत थी, स्टेट को और पब्लिक को, उसको खत्म किया और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव हो जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े महत्व का प्रश्न पारित होने के लिये उसके सामने है। जो मुझे शिकायत, अगर कुछ हो सकती थी तो वह यह थी कि इस सदन के पास समय कम था, जरूरी काम और बहुत से थे इसलिये इस सदन का समय कम लिया जाय इस अमेंडिंग बिल पर। जहां तक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, बहुत सी बहस जरूरी थी, बड़ेबड़े सिद्धान्त इसमें निहित हैं और वे सिद्धान्त बाद में भी आ सकते थे इसलिये मैं यह चाहता था कि जल्दी की जाय। अगर उससे कुछ माननीय सदस्यों को बुरा लगा हो तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं आपके द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरा कभी उनको दुःख पहुंचाने का इरादा न था। मेरी सिर्फ यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी यह बिल पास हो जाय ताकि और जो दूसरे आवश्यक कार्य इस सदन के सामने हैं वे पूरे हों। और सदन फिर बाद में स्थगित होगा, फिर उसके बाद बजट सेशन भी एक लम्बा सेशन होगा। यह कारण था कि मैं चाहता था कि जल्दी हो और अगर उससे किसी को चोट पहुंची हो तो मैं यह कह कर कि मेरा कभी इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था, उनसे क्षमा चाहता हूं। जहां तक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है वह अभी खत्म नहीं हो गये, वह दूसरे बिलों में सामने आयेंगे। इसलिये उनके सम्बन्ध में इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

एक बात अभी माननीय नारायण दत्त जी ने कही कि मैंने ऐसी कोई घोषणा की थी कि मार्च के अन्त तक एलेक्शन करा देंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बात करते हुये कहा था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द चुनाव हों। इस पर एक सज्जन ने पूछा कि क्या फरवरी में हो जायंगे तो मैंने कहा कि फरवरी में अगर न हो सके तो मार्च में बजट सेशन होता है इसलिये शायद लोग पसन्द न करें, उसके बाद अप्रैल मई तक हो जाने चाहिये। आज मैं इस समय सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हों। लेकिन जिस तरह का यह कानून पास हो रहा है उसको अभी वर्क आउट करना होगा कि उसके इम्पलीकेशन्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें होंगी, कैसे टाइम टेबुल बनेगा और फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इन सब का विचार करते हुये मुझे आशा है कि हम एक टाइम टेबुल तैयार कर लेंगे ताकि जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन इतनी बात साफ कर देना चाहता हूं कि मार्च के अन्त तक एलेक्शन हो जायगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। जहां तक हो सकेगा जल्द से जल्द एलेक्शन कराने की कोशिश की जायगी। (एक सदस्य : अप्रैल तक) अभी एक टाइमटेबुल बना देना मेरे लिये सम्भव न होगा। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जल्द से जल्द चुनाव होगा। जो बिल पास हुआ है उसके मुताबिक टाइम टेबुल बनाने की कोशिश की जायगी और उसमें आप देखेंगे कि खामख्वाह देर नहीं की जा रही है।

दूसरी बात यह है कि कार्पोरेशन का जहां तक ताल्लुक है अभी तो यह भी फ़ैसला नहीं हुआ है कि वह दो शहरों में होगा या दो से ज्यादा तीन में, चार में या पांच में होगा। इसलिये जब उसका जिक्र हो तो मैं चाहता हूं कि उसको साफ़ कर दूं।

एक बात मदन मोहन जी ने कही कि जितने भी संशोधन अपने साथियों के थे वह तो सब मान लिये। मेरा यह ख्याल है कि उन्होंने अल्प संख्या में जो संशोधन माने गये उन्हीं की ओर ध्यान दिया। जो कांग्रेस पार्टी के लोगों के बहुत से ऐसे संशोधन थे जो मूव ही नही हुये या स्वीकृत नही हुये उनकी संख्या उन संशोधनों से कहीं अधिक है जो स्वीकृत हुये । और कुछ ऐसे भी संशोधन है जो विरोधी दल के लोगों के स्वीकृत हुये। इसलिये केवल यह कह कर कि वह औरों के संशोधन से बहुत अच्छा है इधर डालने की कृपा न करें। यह भी न सोचें कि अगर हमने अपना संशोधन कांग्रेस वाले किसी सदस्य को दे दिया होता तो वह पास ही हो जाता। मुमकिन है पास हो मुमकिन है पास न भी हो। अगर आप देंगे तो यह जरूरी नहीं है कि वह पास ही न होगा। मेरा तो रवैया यह रहा है और मैंने यह किया भी है कि जो बात ठीक है उसको मंजूर किया है। अगर श्री परिपूर्णानन्द जी का प्रस्ताव श्री मलखान सिंह जी के नाम में आता तो बहुत अच्छा होता। प्रेस में उनका नाम भी आ गया था। जिन्होंने इसमें दिलचस्पी लेने और अध्ययन करने की कोशिश की है और मुझे सहायता पहुंचाई है कि मैं सही नतीजे पर पहुंच सकूं और यह सदन का कर्त्तव्य भी है क्योंकि हम कोई चीज लाते हैं तो यह नहीं है कि वह फाइनल हो। इसलिये जितने संशोधन यहां पर दिये गये हैं चाहे वह मौखिक हों या लिखित हों और जिन माननीय सदस्यों ने इसकी बहस के दौरान में हिस्सा लिया है मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित और उसके बाद इस सदन द्वारा संशोधितहु आ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

कोई १५-१६ महीने की बात है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तपस्वी व्यक्ति है उसने एक भूदान यज्ञ प्रारम्भ किया। दक्षिण की ओर से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की और देश के बहुत बड़े हिस्से का दौरा करके जहां तक मुझे याद पड़ता है कि अक्टूबर, १९५१ में उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में पदार्पण किया और जहां जहां वह गये, उनका जैसा कि उनके उद्देश्य को देखते हुये उचित ही था, बहुत अच्छा स्वागत किया गया।

कुछ लोगों की ओर से जिनके पास बहुत बड़ा रक़बा ज़मीन का था चाहे वह जमींदार की हैसियत से, चाहे काश्तकार की हैसियत से और जिनके पास जमीन का थोड़ा रक़बा था और जो केवल काश्तकार थे और अपनी जमीन के मालिक भी नहीं थे, जहां भी वह गये, उनको बहुत सी ज़मीन दान में मिली। सारे उत्तर प्रदेश में जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वह प्रायः हर जिले में पहुंचे, किसी जिले में कम और किसी जिले में ज्यादा उनको जमीन मिली और अब इस उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद बिहार में जो उन्होंने शुभ कार्य शुरू किया था उसके पूरा करने में लगे हुये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी २-३ रोज से बराबर अखबारों में यह पढ़ने को मिल रहा है कि यह महात्मा अस्वस्थ हैं और बहुत दिनों तक उन्होंने अपने उसूलों के अनुसार किसी प्रकार की औषधि लेने से भी इन्कार कर दिया लेकिन प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने औषधि ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है अगर्चे उनकी अवस्था अब भी

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री चरण सिंह]

चिन्ताजनक है। मैं समझता हूं कि इस सदन में जितने माननीय सदस्य हैं वे मेरे साथ इस बात में शरीक होंगे कि परमात्मा उनको बहुत जल्दी स्वस्थ करे और जो उन्होंने शुभ संकल्प किया है कि सारे देश भर में वह गरीब लोगों और भूमिहीन लोगों के लिये जमीन इकट्ठा करेंगे वह दिन नजदीक हो कि उनका संकल्प पूरा हो। संसार में दो ही व्यवसाय मुख्य हैं, एक खेती बाड़ी और दूसरा छोटे या बड़े पैमाने पर उद्योग धन्धे। हमारे देश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। सही आंकड़े अगर बतलाये जायं तो ८६.६ फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में ८६.६ में से ७२ फीसदी के करीब लोग केवल खेती पर निर्भर करते हैं और ये ७२ फीसदी सीधे खेतीबाड़ी पर बसरऔकात करते हैं ख्वाह किसान की हैसियत से या खेतिहर मजदूर की हैसियत से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा खेती में लगा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह विषय नहीं है कि मैं दूसरे देशों के आंकड़े इस सिलसिले में बतलाऊं लेकिन इतनी बात पर मेरा विश्वास है कि इस सदन के हर माननीय सदस्य को मालूम होगा कि हमारे देश में ही ज्यादा लोग खेती में लगे हुये हैं। दूसरे देशों में खेती और उद्योग-धंधों में जो लोग लगे हुये हैं, जो वहां का अनुपात है वह बिल्कुल अलग है। मसलन इंगलैण्ड में ५ फीसदी, अमेरिका में १६ फीसदी, जर्मनी और फ्रांस में २८ और साढ़े ३७ फीसदी लोग खेती में लगे हुये हैं। जहां भी ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं वह देश हमेशा गरीब होता है, अब तक लोगों का ऐसा ख्याल रहा है और बहुत से अर्थ शास्त्रियों का ऐसा विश्वास है और कुछ हद तक वह सही है लेकिन इसके खिलाफ भी कुछ लोग कहते हैं। वे डेनमार्क और न्यूजीलैण्ड की तरफ संकेत करते हैं जहां कि ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं लेकिन ऐश्वर्यशाली वे देश कहलाते हैं। आखिर उस सबकी तफसील में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यह है कि जो लोग खेती में लगे हुये हैं और जिनके पास जमीन बहुत कम है या जिनके पास जमीन नहीं है उन सबकी इच्छा यह होती है कि जमीन हमारे पास और ज्यादा हो और जिनके पास नहीं है उनकी इच्छा होती है कि उनके पास जमीन हो। दुनिया में जितनी और सम्पत्तियां होती हैं वे सभी इस्तेमाल से नष्ट होती हैं लेकिन भूमि ऐसी सम्पत्ति है जो इस्तेमाल से और बेहतर होती जाती है। तो इसलिये दुनिया भर में मनुष्य की इच्छा यह रहती है कि उसके पास खेती करने के लिये जमीन हो और जब वह मरे तो अपनी औलाद के लिये कुछ न कुछ भूमि छोड़ दे।

मौसम कितना ही खराब हो जाय, एक फसल या दो फसल खराब हो जाय लेकिन फिर भी मनुष्य को यह विश्वास रहता है, अगर उसके पास जमीन हो कि आज नहीं तो कल चाहे पूरे तरीके से फसल न हो, फसल की आमदनी न हो, लेकिन कुछ न कुछ उसकी आय हो जायगी। एक आध फसल के खराब होने पर भी उसको यह आशा लगी रहती है कि अगली फसल में उसकी पैदावार होगी। इसलिये जमीन का अपने पास होना केवल इस भावना मात्र से प्रत्येक मनुष्य को इतमिनान का एक जज्बा पैदा रहता है जिसके लिये मनुष्य हैकर करता है, जिसके लिये मनुष्य बहुत बड़ी इच्छा रखता है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जहां मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती है वहां यह भी होता है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर उथलपुथल हुई है, खासतौर पर जो खूनी उथल पुथल हुई है उसका मुख्य कारण एक यही भूमि की समस्या थी। यही अग्रेरियन समस्या थी। इस भूमि की समस्या को हल करने के लिये दूसरी जगह तलवार उठाई गई। केवल एक प्रदेश जापान ही ऐसा है कि जहां पर जमींदारों ने अपनी तरफ से बिना किसी विरोध किये हुये जमींदारी का विनाश करने के लिये अपनी तरफ से कदम उठाया। वहां के जमींदारों को धन्य है कि उन्होंने इतनी कुरबानी का जज्बा दिखाया और यही कारण था कि जापान पिछले ७०, ८० वर्षों के अन्दर दिन दुगुनी

और रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। हमारे यहां बदकिस्मती से वह जज्बा जमींदारों ने नहीं दिखाया जो जापान के अन्दर दिखाया गया था। तो फिर हमारे सामने दो रास्ते थे एक तो यह कि तलवार के जरिये से जमींदारी खत्म करें और फिर तकसीम करें और एक दूसरा रास्ता कानून के जरिये से खत्म करना था। जहां तक हो सका अपने जमींदार भाइयों की आंखें पोंछ कर हमने उनके स्वत्व को सार्वजनिक हित को सामने रखते हुये यहां पर जमींदारी को समाप्त किया जो कि सब लोगों के सामने है और आज उसकी एक कंक्रीट शक्ल सामने है। अब सवाल आता है जमीन के तकसीम करने का। तलवार, कलम और जमींदारों का अपनी तरफ से दान। जो सीरदार या भूमिधर हैं वे अपनी तरफ से जमीन को दान में दें। अब जहां तक तलवार की बात है मैं यह कह चुका कि हमारे देश में उसकी जरूरत नहीं थी और वह हमारे लिये एक घातक रास्ता होता। कलम की जहां तक बात है, जैसा कि मैं पहले कई दफा यह एलान कर चुका हूं कि अगर कलम के जरिये से भूमि वितरण करने की जरूरत होगी तो यह गवर्नमेंट उसमें पीछे नहीं रहेगी। लेकिन मैं उन आंकड़ों को यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी समस्या अभी मौजूद नहीं है कि जिसके लिये आज की परिस्थिति में कोई कानून बनाने की जरूरत हो। मैं बहुत संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि जमीन जिसके हल के नीचे हैं वह उसको दी जा चुकी और जमीन जिसके मकान के नीचे वह जमीन उसको दी जा चुकी। इस सिलसिले में हमें यह याद रखना चाहिये कि भूमिहीन जो लोग हैं वह अपने मकान में रहते थे लेकिन उनकी उस जमीन का मालिक कोई और था, तो वह आबादी की साइट की जमीन के मालिक हुये और उन को कोई मुआविजा देने की जरूरत पेश नहीं आई और फिर जो जमीन शिकमी लोगों के पास थी वह भी उन्हीं को दे दी गई। यह ज्यादातर गरीब लोग थे और समाज का एक निम्न पिछड़ा हुआ तबका था। इस शिकमी क्लास को जमीन दी गई और और जो असली काश्तकार थे उन को वह जमीन वापिस नहीं दिलाई गई। अब जो जमीन आज हल के नीचे नहीं है उसके लिये गांव सभा को अधिकार दिया गया है कि वह उस जमीन को तकसीम कर दे और जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है दफा १९८ जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था ऐक्ट की मंशा अब तक यह थी कि पहले जमीन कोआपरेटिव फार्मस को दी जाय, दूसरे नम्बर पर भूमिधर को और तीसरे नम्बर पर लाभकर जोत वालों को यानी एकनामिक होल्डिंग वालों को और चौथे नम्बर पर लैंडलेस लोगों को दी जाय। लेकिन जो संशोधन बिल पास हो चुका है उस में उस क्रम को बिलकुल बदल दिया गया है और उस बिल के अनुसार भूमिहीन का स्थान बहुत ऊंचा कर दिया गया है। तो उस संशोधन के मातहत भी भूमिहीन लोगों को जमीन मिलेगी। ऐसी जमीन जो कि तकसीम की जा सकती हो वह जमीन यहां नहीं के बराबर है इसलिये उस विषय में कोई कानून लाने की जरूरत गवर्नमेंट को दिखलाई नहीं देती। अब तीसरा तरीका भूदान या वालंटरी गिफ्ट्स का था जो कि हमारे आचार्य विनोबा भावे जी ने आरम्भ किया है। अब यही एक तरीका रह जाता है कि जिसके मुताबिक़, यही नहीं कि जिन के पास जमीन उन की जरूरत से ज्यादा हो और ऐसे लोगों की तो तादाद हमारे सूबे में बहुत ही कम है, और अगर गवर्नमेंट कोई कानून भी बनावे तो उसके अनुसार भी जमीन उन्हीं से ली जा सकती है जिनके पास उनकी जरूरत से ज्यादा है लेकिन यह जो भूदान की तहरीक है इस में यह जरूरी नहीं है कि वही दान दे जिस के पास कि जमीन ज्यादा है बल्कि वह शख्स जिस के पास जरूरत से ज्यादा नहीं है लेकिन जो यह समझता है कि जमीन पर हक उस आदमी का भी है या जिस के हृदय या उदारता का तकाजा है कि उस को भी दे कि जिस के पास बिलकुल नहीं है चाहे उस के पास जरूरत से ज्यादा या कम कितनी ही क्यों न हो।तो इस तरह का भूदान या तकसीम जमीन के हिबेनामे के कानून के दायरे में नहीं आती वह उस तहरीक के मुताबिक हो सकता है जिस तरह की तहरीक हमारे आचार्य जी ने चलाई है। मैं इस सिलसिले में सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और केवल यह कहना चाहता हूं कि जब वह तहरीक शुरू की गई थी तब भी और आज भी जितनेलोगों ने दान दिया, लाखों एकड़ जमीन दान दी गई और उसमें से बहुत सी जमीन ऐसी थी जिसको दान में देने का उस जमीन के मालिक को अधिकार नहीं था। जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था

[श्री चरण सिंह]

अधिनियम की धारा २३ के मुताबिक जमीन का बैनामा या हिबेनामा नहीं हो सकता है और इसलिये जो हिबेनामा १ जुलाई सन् ५२ से पहले किये गये थे वह कानूनन नाजायज थे और जिन काश्तकारों ने दी उन को भी कोई अख्तयार अपने खाते के किसी जुज को दान में देने का नहीं था। वे सब गिफ्ट्स इल्लीगल थे। आज भी सीरदार को यह अधिकार नहीं है कि जमीन को दान कर दे। भूमिधर को अवश्य है। जो जमीन इस तरीके से आचार्य जी को दी गई वह कुछ थोड़ी सी जगह उनके द्वारा बराहेरास्त या उनके नियत किये लोगों द्वारा तकसीम भी करदी गई। तो जब सीर का हिबेनामा नाजायज था इसलिये वह तकसीम भी नाजायज हुई। इन दानों को और तक़सीम को कानूनी जामा पहनाने के लिये आवश्यक था कि एक कानून यहां के विधान मंडल से पास कराया जाय। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा है जो बिलकुल नानकंट्रोवर्शल है, जिसके उद्देश्यों के संबंध में कोई २ राय नहीं हो सकतीं। इस पर भी माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि जितनी जल्दी यह पास हो जाय उतना ही अच्छा है। किन्हीं दो मुखालिफ वर्गों का संबंध इस बिल से नहीं है, जिनके अधिकारों का संतुलन करना हो इसके २ भाग हैं। एक तो यह कि जो लोग आज कुछ देना चाहते हैं वे एक इस तरह का घोषणा-पत्र तहसीलदार के यहां दे दें। जिस गांव सभा के इलाके में वह जमीन है तहसीलदार उसके पास एक नोटिस भिजवा देगा कि इस जमीन को अमुक व्यक्ति आचार्य जी के भूदान यज्ञ में देना चाहता है और अगर किसी को कोई आपत्ति करना हो तो वह ३० दिन के अन्दर करदे। तहसीलदार एक सरसरी तहकीकात करके या तो उस डिक्लेरेशन को कनफर्म कर देगा या कैंसिल कर देगा। इस सरसरी तहकीकात को इसलिये रखा गया है कि जहां तक संभव हो कोई फर्जी दान न होने पावे। लेकिन यह टाइटिल को तय करने वाली चीज नहीं होगी जिसका अधिकार तो केवल सिविल कोर्टस को है। अगर तहसीलदार ने उसे कन्फर्म कर दिया तो वह इस भूदान अगराज के लिये सही माना जायगा और वह जमीन एक तरीके से भूदान यज्ञ कमेटी के सिपुर्द मानी जायगी। जो जमीन अब से पहले दान में दी जाचुकी है, उसको जिले का कलेक्टर एक फैहरिस्त तैयार करेगा जो भूदान यज्ञ कमेटी के पास भेज दी जायगी। मैंने भूदान यज्ञ कमेटी का जिक्र किया लेकिन मैं यह बतलाना भूल गया था कि एक कमेटी मुकर्रर होगी जिसके ५ से लेकर ७ या ८ मेम्बर होंगे। उसके प्रेसीडेंट और मेम्बर वहीं होंगे जिनको आचार्य जी नामजद करेंगे। जमीन के तकसीम करने की सारी जिम्मेदारी उस कमेटी की होगी, गवर्नमेंट का उससे कोई वास्ता नहीं होगा। उसके काम में वह कोई दखल नहीं देगी। यह दूसरी बात है कि अगर कमेटी ठीक तरीके से काम नहीं करती या किन्हीं कारणों से मजबूर है कि अपना काम ठीक नहीं कर सकती, तब सरकार दूसरी कमेटी मुकर्रर करदे। लेकिन वैसे कमेटी के अधिकारों में गवर्नमेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी।

जो भी भूदान यज्ञ की स्कीम आचार्य जी ने प्रचलित की है या आगे करें तो उसी स्कीम के मातहत यह कमेटी भूमि हीन लोगों को जमीन तकसीम कर देगी। जितने लोगों को जमीन मिलेगी उनको आगे वही अधिकार होंगे जो सीरदारों को जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के द्वारा प्राप्त हैं। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं इस सदन के सदस्यों के सामने यह अपना प्रस्ताव रखता हूं कि इस बिधेयक पर विचार किया जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में एक संशोधन आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं वह यह है "उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ विधेयक को आचार्य बिनोवा भावे की जानकारी और सम्मति के लिये भेज दिया जाय।"

इसमें कोई संदेह नहीं जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा है, कि इस विधेयक पर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इस विधेयक में यदि कोई खामी हो तो कोई सिद्धांत की खामी नहीं हो सकती बल्कि इस वजह से कोई खामी रह सकती है कि मनुष्य से गलती होती है। उसी के अनुसार यहां भी गलती की सम्भावना है। यदि कोई गलती

हो सकती है तो उसके सुधार की भी गुंजाइश रहनी चाहिये । यह विधेयक जिस समय पर पेश किया गया है उसके लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि वे प्राकृतिक दवाओं पर विश्वास करते हैं और यह दवा उनके लिये बहुत कारगर सिद्ध होनी चाहिये। हम सोचते तो यह हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द आज ही एक घंटे या आध घंटे में पास किया जाता और एक प्रति आचार्य जी की सेवा में भेज दी जाती । परन्तु मैं बहुत ही नम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि ऐसा संयोग हुआ कि बनारस में आचार्य जी मौजूद थे उस समय भूमि वितरण समिति प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो बनायी गयी है उसके कुछ सम्मानित सदस्य बनारस में मौजूद थे। उस भूमि वितरण समिति में सौभाग्य से मैं भी था। उस समिति में यह तय हुआ कि इस संबंध में आचार्य विनोबा जी से बातचीत कर ली जाय और उसके लिये आचार्य जी के पास जय प्रकाश जी, लोहिया जी, अशोक मेहता तथा उनके साथ हम लोग भी आचार्य जी के पास गये और आचार्य जी से इस संबंध में कुछ देर तक बातें हुईं। उन्होंने एक नक्शा भूमि वितरण के लिये बताया। वह सारा नक्शा सदन के सामने इस समय रख सकने में मैं असमर्थ हूं। क्योंकि बहुत विस्तार की बातें वहां हुई थीं जिन्हें स्मरण रखना संभव नहीं। मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक में कोई ऐसी बात है जो आचार्य विनोबा जी की इच्छा के विरुद्ध जानबूझ कर रखी गयी होगी लेकिन संभावना इसकी है कि आचार्य विनोबा जी जिस प्रकार का कानून चाहते हैं उससे कुछ भिन्न प्रकार का यह कानून बन जाय। वैसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह विधेयक सिद्धान्ततः ठीक है और यह भी नहीं है कि हम इस विधेयक को पास करने में कोई कठिनाई समझते हैं इस सन्देश के साथ कि सदन विनोबा जी की सम्मति चाहता है, उनकी सेवा में भेजा जाय तो आज जिस अवस्था में वे हैं उस अवस्था में उनकी थोड़ी औषधि का काम यह संदेश दे सकता है। तो यह बात मैं आपके सामने विचार करने के लिये रखना चाहता था और उसको रखा, इस पर माननीय राजस्व मंत्री जी और सदन विचार करके इसको पसन्द करे तो अच्छा है।

अब कुछ दूसरी बातों की तरफ जिनकी ओर माननीय राजस्व मंत्री जी ने संकेत किया है।उस संबंध में मैं सदन के सामने कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है। सदन से और माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आपका समय मैं कुछ थोड़ा सा लूंगा, ज्यादा समय नहीं चाहूंगा लेकिन थोड़ा सा समय अवश्य लेकर इस संबंध में जो मेरी धारणा है, जो मेरा विचार है उसे आपके सामने रखना चाहता हूं।

भूदान यज्ञ आन्दोलन के पीछे आचार्य विनोबा जी की क्या धारणा है, क्या उद्देश्य है, क्यों उनको आन्दोलन करने की आवश्यकता पड़ी, यह मैं केवल स्मरण दिलाना चाहूंगा अपने माननीय सदस्यों को। मैं यह गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा कि मैं यह कहूं कि माननीय सदस्यों को इसका ज्ञान नहीं है। आचार्य विनोबा भावे को हजारों मील की यात्रा करनी पड़ी और उसके बाद भी इस सदन के हमारे माननीय सदस्यों को उसका ज्ञान न हो इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता । मैं केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं। हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान देश है। जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वयं कहा कि कृषि प्रधान देश होने के नाते इसकी जनसंख्या का ७० से और अधिक प्रतिशत खेती पर गुजर करती है। यह किसी भी उन्नतिशील देश के लिये प्रगति का लक्षण नहीं है । उन्होंने कुछ यूरोप के मुल्कों और अमेरिका जैसे मुल्क के आंकड़े देते हुये यह बतलाया था कि अपने देश में जो आंकड़े बतलाये जाते हैं वे कुछ अधिक प्रगतिशील नहीं है और वे कुछ ज्यादा सहायक सिद्ध नहीं होते। फिर यह प्रश्न उठता है कि जब यह अवस्था है तो क्या किया जाय भारत-वर्ष के आजाद होने के बाद और उसके बाद भी विभाजन होने के बाद हमारी जो अन्न समस्या है वह बहुत कठिन हो गयी है। कहा यह जाता है और सरकारी कागजों के अनुसार कहा जाता है कि जिस समय हमारी आबादी साढ़े ३५ करोड़ थी उस समय देश में ४ करोड़ १०

[श्री गेंदा सिंह]

लाख टन की पैदावार होती थी और जिस वक्त देश विभाजित हो गया उस वक्त आबादी तो घटी लेकिन अन्न की पैदावार उतनी नहीं घटी, जैसे कि सरकारी आंकड़े हैं। परन्तु आज अन्न के मामले में हमारे देश की अवस्था ऐसी मालूम पड़ती है जिसका संभालना कठिन हो रहा है। कभी दक्षिणी भारतवर्ष में, कभी उत्तरी भारतवर्ष में, कभी महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान में, कहीं न कहीं, एक या अधिक जगहों में भुखमरी की अवस्था, अकाल की अवस्था घर बनाये हुये पड़ी है। इसके माने यह हैं कि अन्न की अवस्था हमारे देश में ऐसी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। किसी भी सरकार के लिये, शांतिपूर्वक शासन करने के लिये यह आवश्यक है कि उस देश की जनता की जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है अन्न की, वस्त्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाय। यदि सरकार इस आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो फिर जनता अपने ढंग से उस आवश्यकता और उस समस्या का समाधान करने का रास्ता भी ढूंढ़ती है। मैं समझता हूं कि आज जो वर्तमान सरकार है वह भी अनभिज्ञ नहीं है। वर्तमान सरकार में राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सारे शास्त्रों के पंडित मौजूद हैं। मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें यह ज्ञान होना चाहिये कि किसी भी सरकार के लिये यह बहुत प्रारम्भिक चीजों की, अपनी शासित जनता को, शासन के प्रति श्रद्धालु बनाये रहने के लिये आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसमें दो रायें नहीं हो सकती कि आज उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हम असमर्थ हो रहे हैं। हमारी चूंकि आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो रही है। अब सोचना यह है कि क्या विनोबा जी का आन्दोलन जो आज है वह इस आवश्यकता की पूर्ति की तरफ हमको ले जाता है या नहीं। क्यों विनोबा जी को इस आन्दोलन के पीछे पड़ना पड़ा। विनोबा जी एक सन्त आदमी हैं, विनोबा जी का नाम सुना था जब सन् १९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उस जमाने में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रही संत विनोबा को चुना था और उसके बाद उन्हें जानने की उत्सुकता बढ़ी। मुझे उनके सम्बन्ध में कुछ पढ़ने का अवसर मिला और उससे उनके सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी हुई एक बार बिड़ला जी संत विनोबा जी के दर्शन करने के लिये जाना चाहते थे महात्मा जी से जिस प्रकार मिल लेते थे वह उम्मीद करते थे कि उसी प्रकार से संत विनोबा से मिल लेंगे। महात्मा जी से उन्होंने कहा कि मैं विनोबा से मिलना चाहता हूं। महात्मा जी ने मुस्कराकर कहा कि मिल सकते हो। बिड़ला जी गये। उस समय संत विनोबा कुलवारी या किसी जगह फावड़े से जमीन खोद रहे थे। बिड़ला जी ने नमस्कार किया और उस नमस्कार का जवाब विनोबा जी ने फावड़ा हाथ में लिये हुये ही दे दिया और फिर बिड़ला जी से न कहा बैठ जाइये और न दूसरा स्वागत किया। बिड़ला जी कुछ देर तक खड़े रहे और गांधी जी के पास वापिस आये और आकर गांधी जी से कुछ अपनी दृष्टि घुमाकर कहा कि साहब बड़ी तारीफ की और आप कहते हैं कि विनोबा हमारा अध्यात्मिक दोस्त है और उस आदमी की यह हालत है। जब मैं गया तो उन्होंने बैठने तक को नहीं कहा इस पर महात्मा जी पहले दिन मुस्कराये थे और फिर मुस्करा कर जवाब दिया कि महात्मा को तुमसे बड़ी-बड़ी आवश्यकतायें हैं लेकिन विनोबा को तुमसे कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु को छोड़ सकता है पर अपने संयम और नियम की पाबन्दी से डिग नहीं सकता। क्या आपने पहले से समय निर्धारित किया था। विनोबा जी को इस तरह से जानने का अवसर मिला है और विनोबा जी के बारे में मैं क्या कहूं। मैं तो एक संसारी, घोर संसारी आदमी हूं। (एक आवाज.....घोर संसारी की व्याख्या कर दीजिये।) अब वह व्याख्या करने के लिये तो सदन कम्पिटेंट है। विनोबा जी को तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं छूऊं। यह मैं अपनी कमजोरी समझता हूं कि कितना ऊंचा वह आदमी है। मैं तो यह कभी-कभी कहता हूं कि विनोबा जी कुछ मनुष्य से ऊपर की स्थिति में हैं। मैं तो उनके बारे में ऐसा सोचता हूं। मालुम नहीं और लोग कैसा सोचते हैं। मेरा विश्वास है कि देश की सब से प्रबल समस्या कौन सी है इसकी अनुभूति असाधारण रूप से संत विनोबा को है। उस महान्

पुरुष ने सोचा उसने हमारी नब्ज पकड़ी, इस देश की हुकूमत की नब्ज पकड़ी और तब उसने कोई दूसरा कार्य हाथ में नहीं लिया, केवल भूमि वितरण का कार्य अपने हाथ में लिया। और वह भी किस तरह से कि लोगों के हृदयों को अपील की जाय, अपील करके उनसे कहा जाय कि तुम दान दो और दान देकर जो आज धरती के सपूत हैं, जो आज भूखो से परेशान हैं, जो लोग परिश्रम करके धरती माता के गर्भ से अन्न ब्रह्म को पैदा कर सकते हैं उनको दें। संत विनोबा के आन्दोलन में उनको कितनी सफलता मिली है इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर हम लोगों ने उसकी सफलता के लिये यत्न किया होता तो वह संत आज हजारों मील की पैदल यात्रा के बाद एक कोने में हिन्दुस्तान के जाकर, इस बीमारी का शायद शिकार न होता। मैं नहीं कह सकता कि बीमारी होती ही नहीं। होती लेकिन एक बहुत बड़ी आशा और विश्वास के साथ वह रहते। वह निराश तो हैं नहीं। हम लोग उनसे मिले थे। बातचीत करने का भी मौका मिला था। वह आज भी निराश नहीं हैं। उन्होंने कहा जब हम लोगों ने उनको एक मान-पत्र दिया कि यह काम तो आपका ऐसा है जिस काम में तीस वर्ष भी लग सकते हैं, भूमि के बटवारे में, और हम तो भूखों मर रहे हैं हमारे लिये तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें अन्न मिले। उसके जवाब में कहा था विनोबा जी ने, तीन सौ वर्ष में भी अगर यह कार्य पूरा हो जाय तो हम को खुशी होगी। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि मैं विनोबा जी की तरह मनुष्य के ऊपर रहने वाला प्राणी नही हूं। मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं संसारी हूं इसलिए मेरे पेट है मेरे साथियों के पेट है और मेरे पड़ोस रहने वाले लोगों के पास पेट है जो सताये रहता है। इसलिये विनोबा जी की बात मुझे पसन्द आयी कि तीन सौ वर्ष भूमि के बटवारे में लग जायं और तब तक हमको संतोष रखना चाहिये ; लेकिन फिर भी उनका वह यत्न सराहनीय है।

मैं बहुत अदब के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो दलील भूमि बटवारे के विरोध में दिया करते हैं उस पर वह विचार करें और अपने को बदलें। मेरा विश्वास है कि वह बदलने वाले आदमी हैं।

श्री चरण सिंह---रंग नहीं बदलता।

श्री गेंदा सिंह---रंग में तो कुछ है ही नहीं। वह बदल जायं रंग न बदले तो कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जिस विचारधारा की माननीय राजस्वमंत्री जी बात करते हैं उसकी मैं चर्चा करता हूं। हृदय बदलें और इस समय जो उनके बगल में उस महान् व्यक्ति के आश्रम में शिक्षा पाये हुए माननीय विचित्र नारायण जी शर्मा जो साथ बैठे हुए हैं उसका भी उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मैं फिर उस दलील का थोड़ा सा उत्तर देना चाहता हूं लेकिन इस खयाल से नहीं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में उल्टी पुल्टी किसी तरह से मुझे बात कहनी है। मैं हृदय और मस्तिष्क से समझता हूं कि बगैर उसके हुए देश का कल्याण नहीं हो सकता जिसका विनोबा जी ने श्रीगणेश किया है और इसीलिये मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से यह प्रार्थना की कि वह अपना हृदय बदलें और भूमि बटवारे के पक्ष में आयें। अगर वह इस पक्ष में आएं तो वह सारी कठिनाइयां जो हमारे सामने रखते हैं उन सारी कठिनाइयों का वह इलाज पायेंगे। ४१३ लाख एकड़ जमीन जो सूबे की खेती में है, तथा मुझे ठीक आंकड़े तो मालूम नहीं हैं, लेकिन रामपुर रियासत, बनारस, टेहरी और अन्य रियासतों के आने के बाद, ४१३ लाख वह नहीं रह जाती है। वह तो बढ़ेगी। और फिर एक तो छिपाये हुए या छिपे हुए यह आंकड़े हैं कुमायूं डिवीजन के जो ४१३ लाख एकड़ के भीतर नहीं है। बार-बार वह यह कहते हैं कि यदि इस जमीन का बटवारा किया गया तो कितनी जमीन मिलेगी जिसका बटवारा किया जाय? अभी उन्होंने एक बार पहले इस सदन के सामने यह कहा है कि उन्होंने गांव की परती जमीन या गांव सभा के हाथ में जो बेदखल की हुई भूमि है, या खाली

[श्री गेंदा सिंह]

भूमि आवेगी उसके लिये जो अभी जमींदारी विनाश कानून, भूमि-व्यवस्था कानून में संशोधन विधेयक हमारे सामने आने वाला है, जिसमें उन्होंने गुंजायश की है कि भूमिहीनों को खेती दी जाय। तो उन्होंने कुछ बदला तो पहले उन्होंने कहा था भूमिधरों को दी जाय, लेकिन उन्होंने भूमिधरों के बजाय भूमिहीन किया, इस तरह से बदल दिया और सर्वप्रथम स्थान उन्होंने भूमिहीनों को दिया है। जमींदारी विनाश कानून की रिपोर्ट की बुनियाद पर मैं यह कहता हूं कि एक करोड़ एकड़ जमीन के लिये वह कहते हैं कि एक करोड़ एकड़ जमीन हमारे प्रदेश में खेती करने योग्य परती पड़ी है। तो उस जमीन के लिये तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और इस तरह का कानून बनाने का विचार कर लिया कि सर्वप्रथम भूमिहीन खेत मजदूरों को दी जाय। बड़ी खुशी हुई। इससे बढ़ कर कोई खुशी नहीं हो सकती और उसके लिये हम जितना भी बधाई उन्हें दे सकें थोड़ी है। अब मामला भी बहुत थोड़ा रह जाता है। उनका कहना यह है कि जिस भूमि पर लोग खेती करते हैं उसका गल्ला जो पैदा होता है वह सारे देश के खाने वाले लोगों में बंट जाता है। ऐसा वह समझते हैं। मैं इसका उल्टा सोचता हूं कि जिन लोगों के पास बेचने के लिये गल्ला होता है वह उन लोगों के हाथ बेंचते हैं जो सब से अधिक क़ीमत दे सकता है। वह ऐसा नहीं सोचते कि किसकी कितनी आवश्यकता होती है, उसके हाथ वह गल्ला बेंचा जाय और मैं तो उनकी जानकारी में एक बात और लाना चाहता हूं। जमींदारों की बात को हम छोड़ दें। २५ एकड़ और ५० एकड़ से ज्यादा जोतने वालों की बात को हम अलग रखें। क्या वह सरकारी कृषि फार्म जो उन्हीं के शासन के अधीन हैं क्या उनका गल्ला जो बेंचा जाता है वह गल्ला उन लोगों को दिया जाता है, जिनको आवश्यकता होती है, जो सब से ज्यादा ग़रीब होते हैं, जो सब से ज्यादा मुसीबतजदा होते हैं? उनको गल्ला दिया जाता है? नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं कि डाक बोली जाती है, बोली-बोली जाती है और जो सब से अधिक दाम देता है उसी को गल्ला दिया जाता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कहना माननीय राजस्व मंत्री का ग़लत है कि इस प्रदेश में जितनी खेती होती है उस खेती से इस प्रदेश के बसने वाले सब लोग लाभ उठाते हैं। नहीं उठाते। मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि हमारी सरकार को और खासतौर से माननीय राजस्व मंत्री को इस तरह के आंकड़े देने से बाज आना चाहिये। यह मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं। एक पुरानी कहावत है, मैं फिर उसे दोहराना चाहता हूं। एक मुंशी जी थे अपने बच्चों को लेकर सफ़र कर रहे थे।

सहकारिता उप मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—आखिर मुंशी जी का ही जिक्र किया।

श्री गेंदा सिंह—हिसाब-किताब जोड़ने का काम प्राय मुंशी लोग करते हैं और प्रचलित भी यही है इसलिये माननीय मंगला प्रसाद जी से माफी चाहूंगा। मैंने सुना है ऐसा कहते हुए लोगों को कि जब वह नदी के करीब पहुंचे पार करने को तो उन्होंने हिसाब जोड़ा जैसे खेतों के हिसाब से जोड़ा करते थे। उन्होंने हिसाब जोड़ा, एक बच्चा बहुत छोटा था, दूसरा कुछ बड़ा और तीसरा उससे कुछ बड़ा। इतना पानी है और अपने को भी जोड़ लिया क्योंकि वह सबसे ऊंचे थे और उन्होंने हिसाब लगाया कि बच्चे तो उस पानी से ऊपर आते हैं नतीजा यह हुआ कि बच्चे डूब गये और बाहर आने पर उन्होंने पूछा कि बच्चे क्या हुए तो हमारी भोजपुरी में लोग उसको कहते हैं "लेखा जोखा थाहें और लड़का बुड़लेन काहें"। यानी हिसाब-किताब से तो पानी जो था वह थाहें था पानी डूबने वाला नहीं था फिर भी बच्चे डूब गये। मैं यही कहावत कह कर के आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप चाहे पर कैपिटा इनकम निकालें और चाहें माननीय राजस्व मंत्री जी अनाज और जमीन वाला

हिसाब निकालें कि सबको अनाज मिल जाता है यह उसी प्रकार गलत है जैसे प्रति व्यक्ति की १५३ रु० आमदनी है। हमारे जिले में केदारनाथ खेतान साहब हैं। कौंसिल के माननीय सदस्य भी हैं जिनके पास परिवार का सारा कारखाना सूती कपड़े का है और चार-चार कारखाने चीनी के हैं उनकी भी १५३ रु० सालाना आमदनी है और गेंदा सिंह जिस वक्त असेम्बली के मेम्बर नहीं थे, अब तो ज्यादा है, उनकी भी आमदनी उतनी है और एक भीख मांगने वाला जो केदारनाथ खेतान के दरवाजे पर ठिठुर-ठिठुर कर मर जाता है उसकी भी आमदनी १५३ रु० है।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---यह तो औसत लगा लिया।

श्री गेंदा सिंह---औसत लगाना खतरे से खाली मैं नहीं समझता हूं। इस तरह का औसत लगा करके, निर्धनों को बड़ी दयनीय स्थिति में डाल दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष---यह आपका कोई अमेंडमेंट है, इस वक्त आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री गेंदा सिंह---मैंने अमेंडमेंट भी अपना रख दिया था और साथ ही माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो विचार रखे थे,उस पर भी कुछ कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--अमेंडमेंट के बारे में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरेपास जो अमेंडमेंट है वह इस प्रकार है---

"उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ विधेयक की कापी आचार्य बिनोवा भावे के पास उनकी जानकारी तथा सम्मति के लिए भेजा जाय..."

रूल्स में तो पब्लिक ओपिनियन के लिए ही हो सकता है या सेलेक्ट कमेटी में भेजने के बारे में हो सकता है। ऐसा अमेंडमेंट जो व्यक्ति को भेजा जाने को हो वह तो इसमें नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि चूंकि विनोबा जी का नाम इस विधेयक में है तो आप यह कर सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय और एक कापी उनके पास भी भेजी जाय। अगर आप यह लिख दें तो ऐसा अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन अगर आप केवल उन्हीं के पास भेजने के लिए मूव करते हैं तो मैं उसकी इजाजत नहीं देता। तो आप अपना अमेंडमेंट दुरुस्त कर लें और अपना भाषण जारी रखें।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं है। पर चूंकि इसका सम्बन्ध खासकर के विनोबा जी से था इसलिये मैंने ऐसा संशोधन रखा लेकिन जैसी आपकी आज्ञा है मैं उसको संशोधित कर लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कापी भेजने के बजाय यह कर दिया जाय कि अन्य जनमत के लिए...

श्री अध्यक्ष--जन मत के लिए तो भेजा जाय और उनके लिए भी इम्फेसिस दे दीजिए।

श्री गेंदा सिंह---तो उन आंकड़ों के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह के आंकड़े बड़े भ्रमात्मक हैं और पर कैपिटा इनकम की बात तो आप छोड़ें। वह १५३ रु० या १७६ रु० सारे भारतवर्ष के लोगों की आमदनी मानी गई है। यह औसत आमदनी है लेकिन १५३ रु० से कम वालों का अगर हिसाब लगाया जाय तो हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान के आधे से अधिक लोग इसी में निकल जायेंगे। और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जमीन के सम्बन्ध में, बटवारे के सम्बन्ध में अपनी मजबूरी जाहिर कर दी लेकिन इस सिलसिले में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमको बटवारा कराने की कोई बीमारी नहीं हो गयी है कि हर मामले में हम बटवारे की बात करें। ऐसी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में बटवारे का बड़ा तल्ख तजुर्बा है। हिन्दुतान में जो बटवारा हुआ उससे हमने बहुत नुक़सान उठाया। हम जमीन के बटवारे की बात

[श्री गेंदा सिंह]

कभी न करते लेकिन हमारे लिये कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। हम किसी तरह अपने देश में लोगों की रोजी और रोटी का बन्दोबस्त नहीं कर सकते, इसीलिये हम बटवारे की बात आज करते हैं। अगर हम बात न करें तो यह देश में जो भयानक बीमारी बेकारी की है, बेरोजगारी की है रोटी को है, वह और बढ़ जायगी। इसके अलावा आज आप देखते हैं कि देहात में एक भी गांव ऐसी हालत में नहीं है जहां लोग अंधेरी रात में आराम से सो सकें। चोरी बढ़ रही हैं, डकैती बढ़ रही हैं, राहजनी बढ़ रही हैं। क्या कभी उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली की सरकार इस बात को पसन्द कर सकती है कि उसके शासन में लोगों की जान व माल खतरे में रहें। बावजूद इसके कि सरकार इस बात की पूरी चेष्टा करती है कि इस तरह की वारदात न हों, चोरी न हो, डकैती न हो, राहजनी न हो, फिर भी वह चीज होती है। आखिर इसका क्या कारण है? मैं एक साधारण आदमी हूं, कोई विशेषज्ञ नहीं परंतु इसका कारण ढूंढ़ने के बाद जो मैं सीधी बात जानता हूं वह यही है कि जब तक भोजन की व्यवस्था, जब तक कपड़े की व्यवस्था, जो मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तब तक देश का वास्तविक सुधार नहीं हो सकता। मैं तो बहुत अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि एक कथा मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पुराणों में पढ़ी है। एक समय में अकाल पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हम मानें, चाहे हम एक महान् पुरुष मानें लेकिन राम जी का एक स्थान है हमारे समाज में। राम जी के गुरु महाराज विश्वामित्र को कुछ दिन तक खाना नहीं मिल सका। उनको जब खाना नहीं मिला तो रात को नींद नहीं आयी और रात को नींद न आने के बाद विश्वामित्र को सूझा क्या? उनको यह सूझा कि हमें चल करके अन्न या और कोई चीज किसी तरह से ग्रहण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये। निकले विश्वामित्र महाराज और विश्वामित्र जी ने निकल करके जगह कौन पसन्द की। मजबूरी थी, पसन्द की बात नहीं थी। उस जमाने के जो सबसे दलित लोग थे जिनकी परछाईं से भी दूर रहने का उपदेश हमें मिलता था। यानी एक चांडाल के घर में गये और वहां भी उनको मिला क्या, कुत्ते का मांस। यह लिखा है कि जिस वक्त उन्होंने कुत्ते का मांस हांडी से निकाला तो वह चांडाल उठ पड़ा और उनको भगाया। मालूम नहीं कि उस मांस को वह ग्रहण कर पाये या नहीं लेकिन महाराज विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को अगर इस तरह की अवस्था में जाना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि एक आदमी जो भूखा है, वह क्या नहीं कर सकता है, इसकी कल्पना हमको करनी चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शासन शांतिपूर्वक चले, हमारे शासन के प्रति जनता में श्रद्धा हो, तो इसके लिये आवश्यक है कि हम पहले अन्न की समस्या हल करें, कपड़े की समस्या को हल करें। लेकिन हमारी अन्न की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि भूमि की समस्या हल न हो। मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान उन्हीं के दिये हुये भाषण के उद्धरणों की तरफ दिलाना चाहता हूं। जे० सी० कुमारप्पा की सदारत में एक कमेटी बनी थी। हमारे जो राष्ट्रपति आज हैं, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, उन्होंने भी उस कमेटी की सदारत कभी-कभी की और उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट को माननीय राजस्व मंत्री ने पढ़ा होगा। जे० सी० कुमारप्पा की सदारत में जो कांग्रेस ऐग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट है उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसे माननीय राजस्व मंत्री जी ने जरूर पढ़ा होगा। उसमें तो बगैर किसी रूरियायत के जमीन के बटवारे की तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया है। उसमें कहा गया है कि केवल जमींदारी अबालिशन से हमारी कृषि समस्या हल नहीं होती, कृषि सुधार का जो मामला है और जो समस्या हमारे भारतवर्ष में है वह जमींदारी के खत्म कर देने से खत्म नहीं होती जब तक कि उसमें टिलर आफ दि स्वायल अर्थात् जोतने वाले लोगों को जमीन का मालिक न बना दिया जाय। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और इस काम में मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार अगुवा बने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी जो भूमिहीन लोगों के साथ कानून बनाने

की उदारता की है, मेरी जानकारी नहीं है कि किसी दूसरे प्रदेश ने भी की है। जिन लोगों के पास चार-चार और पांच-पांच हजार बीघा जमीन रह गयी है, वे विनोबा जी को यज्ञ के नाम पर दान दे सकते हैं यह कहना कठिन है। लेकिन जब दरवाजे दरवाजे भीख मांगने के लिये वह सन्त घूमे और उसका कमंडल खाली खाली लौट लोगों से घर से, उसके बाद हमें कुछ बचना है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि विनोबा जी का दौरा हो चुका। विनोबा जी ने इस प्रदेश के करीब करीब सारे जिलों की खाक छानी, कितनी जमीन मिली ? जमीन की मिल्कियत तो पवित्र अधिकार हम समझते हैं लेकिन दान देने की जो प्रवृत्ति है वह पवित्र अधिकार नहीं है क्या ?। क्या किसी सम्पत्ति वाले को विनोबा जी जैसे पात्र को वापिस करने का भी अधिकार हो सकता है। अगर विनोबा जी खाली हाथ लौटते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार का यह धर्म है कि जिस काम के लिये विनोबा जी जैसे सन्त आज दरवाजे दरवाजे ठोकर खाकर हजारों मील पैदल चल करके और एक देश के कोने में जा करके रोग शय्या की गोद में पड़े उस काम को पूरा करे। न करे कि आज वह महान् व्यक्ति हमसे लूट लिया जाय, भगवान मैं बहुत आग्रह के साथ कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को उसके जीते जी, यह घोषणा करनी चाहिये कि हम भूमि का बटवारा करेंगे बटवारे के अधिकार के नाम पर हम ऐसे सन्त और ऐसे महापुरुष की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, यह हमारी परम्परा है। जिसको महात्मा गांधी का, यदि कोई सबसे सच्चा प्रतिनिधि कहा जा सकता, वह आज विनोबा जी हैं हमारे सामने। विनोबा जी नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से किसी के ऊपर हिंसात्मक ढंग से जोर डाल कर जमीन ली जाय, यह बात सही है। लेकिन सरकार को कानून से जमीन ले करके बटवारा करने का अधिकार है, उन्होंने इस बात को कहा था जब हम लोगों ने एक मान पत्र में कहा कि संत विनोबा जी जैसे भिखारी को जो घर में रहते हुये भी दरवाजे से खाली हाथ लौटाये तो उससे लेना ही पड़ेगा यह शब्द जिस समय हम लोगों ने मान-पत्र में उनसे कहा उस पर भाषण देते हुये उन्होंने यह कहा कि भाई क्यों घबराते हो हम तो इसके लिये वातावरण तैयार कर रहे हैं। सारे देश में कानून बनाकर के जमीन को तुम ले करके और लोगों में बटवारा कर सकते हो। वातावरण तो तैयार हो चुका, वातावरण तैयार होने में कुछ कमी नहीं है। दुर्भाग्यवश एक घटना हो चुकी है, रुमूलू जी की मृत्यु हुई, उसके बाद आंध्र का प्रान्त बनने का एलान केन्द्रीय सरकार से हुआ। और उस पर कार्यवाही भी होना आरम्भ हो गई (कुछ सदस्य पहले ही हो चुकी है) अगर वह पहले हो चुकी होती तो सम्भवतः श्रीरुमूलू जो ऐसे व्यक्तियों में से नहीं थे कि जो हठ कर के अपना प्राण देते। प्राण दे देने के बाद अगर उनको यह कहा जाय कि बड़े हठी थे तो मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। मेरा विश्वास है कि वह प्राण देने की गलती न करते। यदि आँध्र प्रान्त बनाने की स्पष्ट घोषणा हो गई होती मैं कहता हूं आपसे कि विनोबा जी संसार में रहें या न रहें उनको कोई मोह इस संसार से नहीं है लेकिन हमको मोह है। हम विनोबाजी जैसे संत को आज खो देना नहीं चाहते। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मनुष्य की सफलता जिन्दगी को बढ़ाती है। जो काम वह करता है उसमें यदि उसे सफलता मिलती है तो उससे उसकी जिन्दगी बढ़ती है, आयु बढ़ती है। तो क्या इस विधेयक को पेश करते हुये माननीय राजस्व मंत्री जी ने जैसे यह कहा है कि हम भूमि बटवारा में कुछ कठिनाई देखते हैं उसमें कुछ राय बदल कर वह यह नहीं कह सकते कि हम भूमि बटवारे की बात सोच भी रहे हैं कि हम भूमि बटवारा करेंगे। मैं तो सदन से यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने बताया कि तीन तरीके हैं भूमि बटवारा के जैसे कि और मुल्कों ने किया है। एक तो तलवार के हाथ हो जाय, एक क़लम के हाथ हो जाय और तीसरा तरीका उन्होंने बताया कि जो बिनोवा जी का है, दान के जरिये हो जाय। मैं क्षमा चाहूंगा, इन तीनों तरीकों में से के बाद एक चौथा तरीका हमने पसंद किया है तलवार के तरीके को तो मैं पसन्द नहीं करता। तलवार का तरीका जो आज भी सरकार हिन्दुस्तान की है अभी उसका पाप ऐसा नहीं

[श्री गेंदा सिंह]

है कि हम यह सोच सकें कि उसको तलवार के घाट उतारा जाय। वह तो वक्त होगा वह स्थिति होगी, अगर तलवार के ही घाट उतारने का काम होगा इस हिन्दुस्तान की सरकार को तो क्या मेरे बस की बात होगी कि मैं मना कर सकूं लोगों को तलवार चलाने से बल्कि देश की सारी जनता को फैसला करना होगा कि उसे तलवार से अपनी सरकार को हटाना है या नहीं। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है, आज का काम हिन्दुस्तान की सरकार का ऐसा नहीं है कि जिसके बदले में कोई यह कह सके कि इसको तलवार के घाट उतारना चाहिये। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनसे हमारा बड़ी ईमानदारी का मतभेद है और मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह देना चाहता हूं कि उनका और हमारा मतभेद है इस बारे में । तो ऐसी हालत में तलवार वाली बात को तो मैं सोचता ही नहीं । बाकी रही दूसरी बात कि कलम से हो जाय। तो मुझे विश्वास है कि अगर माननीय मंत्री जी की इच्छा हो तो क़लम से बट जाय। लेकिन वह इच्छा की बात है। जमींदारी उनकी क़लम से खत्म हो गई। मालूम होता था कि खून की नदी बह जायगी। बड़ी बड़ी धमकियां हमने सुनी। हमको कल भी धमकी सुनने को मिली जो लखनऊ की बारादरी से निकला करती हैं। ऐसी धमकियां आज सबेरे उठे तो अखबार में पढ़ा कि सर जगदीश प्रसाद फिर एक धमकी दे गये। तो उन धमकियों को तो सुनने की हमारी आदत है। उन धमकियों में कोई दम नहीं है। जिस तरह से जमींदारी गई, यदि माननीय मंत्री जी साहस करें, जिसका कोई उनमें अभाव नहीं है, और जमीन के बटवारे की बात करें तो कोई दिक्कत सामने नहीं आयेगी। तो क़लम से भूमि बटवारा हो सकता है परन्तु उस तरीके से आज सरकार ही कर सकती है । लेकिन यदि उन्होंने क़लम से नहीं किया तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि क़लम की ताक़त हमारे पास है नहीं। वह तो जब हम उनके स्थान पर होते तो क़लम से बटवारा कर पाते। हम तो २५ या ४० हैं। इस हुकूमत का बहुमत है, चाहे वह दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में परन्तु जरा इस पर भी एक बार सोचना चाहिये कि जब वह हुकूमत एक तरफ धरती के बटवारे को नापसन्द करती है और दूसरी तरफ विनोबा जी के भूदान यज्ञ का समर्थन करती है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से हमको आवाहन करती है कि हम विनोबा जी के इस मिशन को पूरा करें। वह क़लम की ताक़त से अगर उनके मिशन को पूरा नहीं करना चाहती तो हम बिनोवा जी से क्षमा चाहेंगे, और इस हुकुमत से भी क्षमा चाहेंगे। आज हम क्षमा चाहते हैं लेकिन जब काम शुरू कर देंगे उस वक्त हम क्षमा नहीं चाहेंगे । आज हम यह कहने के लिये आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम बैठे नहीं रहेंगे। हम आपको निमंत्रित करेंगे और आपसे एक बार प्रार्थना करेंगे। हम चाहे पांच आदमी हों या १,००० आदमी हों सत्याग्रह किये बिना नहीं छोड़ेंगे और कोई तिथि मुकर्रर होगी और उसके बाद भी यदि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हठ पर अटल रही तो कलम से, दान से या तलवार से या तीनों को छोड़कर जैसा कि मैंने कहा कि हम संसारी आदमी हैं और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने संसारी आदमियों को शिक्षा दी थी उस ढंग से धरती बांटने के लिये हम आगे बढ़ेंगे। बिनोबा जी आध्यात्मिक ढंग पर किसी का हृदय परिवर्तित किया करते हैं लेकिन हमारे लिये जो सर्वसाधारण के लिये रास्ता बतलाया गया है उसको पकड़ कर चलना होगा। उसमें चाहे हम पर जो कुछ कष्ट आयें और जो कुछ भी हम पर गुजरे उसको हम सहन करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इसलिये कि हमारे लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य यहां वाद विवाद के जरिये से किसी के हृदय का परिवर्तन करें तो अच्छा हो, धमकी से न करें।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कहना चाहता हूं। सत्याग्रह का अर्थ कभी मैं ऐसा नहीं समझता कि उसमें किसी के हृदय को दुखाने का प्रश्न हो या धमकी का । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सामने निवेदन कर रहा हूं और मुझे आशा है कि मेरी दरख्वास्त जल्दी तो माननीय राजस्व मंत्री जी के इजलास में खारिज नहीं होती है। वह चाहे आज मंजूर न करें। लेकिन कभी-कभी उनके मस्तक में यह बात आ जरूर जाती है और फिर

में अबेर में वह काम कर देते हैं। इसलिये कि हम कोई घबराये हुये नहीं हैं और यह भी नहीं है कि हम यह कहते हों कि आज ही इस पर विचार कर लें । और जो जमीन है उसके आकड़ों और दूसरी बातों पर हम लोग ठंडे दिल से विचार करने को तैयार हैं । इस सिद्धांत से उनको भी कोई मुखालिफत नहीं है कि भूमि बंटवारा होना चाहिये। उनको कठिनाई यह है कि जिनके पास जमीन रह गई है उनसे जमीन छीनेंगे तो ज्यादा आदमियों को बंटवारा नहीं कर पायेंगे। यह दलील तो तर्कसंगत नहीं है । जितने भीख मांगने वाले हैं, उन सबको यदि हम खाना नहीं दे सकते तो जितनों को दे सकते हैं उन्हें भी न देकर हमेशा के लिये उन्हें भीख मांगने के लिये छोड़ दें। मैं ऐसा कदापि नहीं सोचता बल्कि होना यह चाहिये कि हम जितने लोगों को ४ छटांक के बजाय ५ छटांक दे सकें उतनों को तो देना अच्छा होगा। जितने को भीख मांगने से अलग कर सकते हों अलग करें और शेषके लिये प्रयत्नशील रहें ।

जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश का केवल खेती से मसला हल नहीं होने वाला है बल्कि यह हल होगा कुछ तरीके से भी खेती की उन्नति करके औद्योगिक वस्तुओं को खरीदने की ताकत बढ़ाने से। वैसी हालत में हिन्दुस्तान के औद्योगिक धंधे तरक्की करेंगे, पनपेंगे। जब तक हम कृषि करने वाले लोगों की क्रय शक्ति को नहीं बढ़ाते हैं तब तक औद्योगिक धंधे हिन्दुस्तान में कभी पनप नहीं सकते हैं । क्योंकि हमारे देश के ७० प्रतिशत लोगों की ताकत नहीं है कि वह औद्योगिक माल को खरीद सकें तो फिर वह माल कहां जायगा। आज डिप्रेशन का पीरियड आ रहा है और इस पीरियड में सरकार ने बुद्धिमत्ता से काम नहीं किया और लोगों की क्रय शक्ति कायम रखने के लिये क्रांतिकारी कदम न उठाया तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिये आगे बढ़ना चाहते हैं वह खतरे में पड़ जायगी । इस लिये मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों की रक्षा के लिये और विनोबा भावे जी का जो शक्ति का संकल्प है उसे पूरा करने के लिये भूमि बटवारे की बात को हमें अलग न कर देना चाहिये। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहीं इस तरह की भूल हो गई हो कि हमें आज माननीय राजस्व मंत्री जी को समझने में दिक्कत होती हो लेकिन सिवा ऐसे संशोधनों के कोई दूसरा संशोधन इस विधेयक में नहीं आयेगा और वह ऐसा ही संशोधन होगा जिसे कि हम समझते हैं कि सरकार उसे अवश्य स्वीकार कर लेगी। मैं माननीय राजस्व मंत्री को अपनी तरफ से इस विधेयक को रखने के लिये धन्यवाद दे रहा हूं। यह विधेयक जिस समय में आया है उस समय में जो कि मिशन के सबसे बड़े पुजारी हैं वह रुग्ण हैं, हो सकता है कि हमारे इस विधेयक के जरिये और इस सन्देश के जरिये उन्हें रोग से लड़ने का बल मिले और आराम पहुंचे । मैं चाहता हूं और सारा सदन चाहता है कि विनोबा जी जैसे महापुरुष हमारे बीच में रहें और आगे इस देश की भूमि बटवारा देख कर जाय ताकि अगर गांधी जी की आत्मा से उनकी भेंट हो सके तो गांधी जी को आत्मा को भी बतलावें ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। इतनी बात कह कर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वह इसे स्वीकार कर लें या आचार्य विनोबा भावे जी से वह इस विधेयक में सम्मति ले लें तो उसके पश्चात् जो हम विधेयक पास करेंगे उससे उनकी इच्छा के अनुसार विधेयक पारित करके हम भी कृतार्थ समझेंगे। इस कार्य को हम जितनी शीघ्रता से कर सकें उतना ही उत्तम है, यही हमारी मंशा है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लगभग १ घंटे तक माननीय गेंदा सिंह का भाषण सुनता रहा । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कमअकली कहूं, या कमजोरी कहूं उनके भाषण के कुछ हिस्सों को मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि यह विधेयक जिसको हमारे राजस्व मंत्री जी ने इस सदन के सामने आज रक्खा है उसको उठा कर देखता हूं तो ज्ञात होता है कि इस विधेयक के पक्ष में और न विरोध में कुछ कहा गया है बल्कि अधिक

[श्री रामनरेश शुक्ल]

समय तो इस बात में लिया गया है, मौका हो चाहे मौका न हो, किसी तरह से भूमि बटवारे के प्रश्न को यहां रख कर मुख्य प्रश्न को ओझल कर दिया जाय। जहां तक उनके संशोधन का संबंध है अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना विश्वास है कि राजस्व मंत्री ने पहले ही विनोबा भावे की सम्मति अवश्य ले ली होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि राजस्व-मंत्री जी कोई कानून विनोबा भावे जी की भूमि वितरण की समस्या पर ले आवें और बगैर उनकी राय लिये हुये इस कानून को ले आये। तो जहां तक इस संशोधन का संबंध है मेरे विश्वास में वह तो पहले ही हल कर लिया गया होगा।

अब जहां तक १-२ बातें उठाई गई हैं उनके ऊपर १-२ मिनट कहने के पश्चात् मैं इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने की कोशिश करूंगा। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि क्या यह सरकार मुनासिब नहीं समझती है कि जब कि अभी तक हजारों मील की पैदल यात्रा विनोबा जी कर चुके हैं इसको देखने के बाद भी भूमि का बटवारा कानून के जरिये से हल करना नहीं चाहती। विनोबा जी के इस जमींन के आंदोलन को समझने में वे लोग असमर्थ हैं जो इस प्रकार की बातें कहा करते हैं। कानून से बटवारा हो सकता है। तलवार से भी बटवारा दुनियां में हुआ है और कलम के जरिये से भी बटवारा हो सकता है। किंतु जो रास्ता विनोबा जी ने निकाला है वह रास्ता आज तक दुनियां को नहीं मालूम था। संसार के और लोगों ने आजादी ली है लेकिन वह सब लड़ाइयां करके ली हैं, वोट से ली हैं, तलवार से ली हैं, कत्ल करके ली हैं, क्रांति करके ली हैं लेकिन भारतवर्ष ने जिस प्रकार से आजादी ली है दुनिया के इतिहास में उसके लिये दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि जिस रास्ते का अनुकरण किया जा रहा है वह कानून के रास्ते से बहुत ऊपर का रास्ता है। वह कलम के रास्ते से ऊपर रास्ता है और तलवार के रास्ते से भी ऊपर का रास्ता है। यह जल्दबाजी में कहा जा सकता है कि इसमें २० वर्ष का समय लग सकता है। और यह जब कि देश के अन्दर भुखमरी हो रही है। मकान बनाने के लिये सीमेंट में पानी डालकर उसको पुख्ता बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिसको हमारे नेता आचार्य विनोबा जी और जो ऐसे दूसरे नेता हैं और जो उनके अनुगामी हैं और उनके साथ में काम करने वाले हैं वह बड़ी होशियारी से इस देश के समाज का निर्माण कर रहे हैं वह इसी प्रकार से हो रहा है जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि भवन के निर्माण करने में सीमेंट में पानी डालकर उसको पुख्ता बनाया जा रहा है। बहुत से लोग भवन बनाने के कार्य को और उसकी कला को नहीं जानते हैं। उनकी समझ में वह सीमेंट और पानी और अन्य सामग्री जो भवन के बनाने में लगती है उनको व्यर्थ जान पड़ती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस दलील का संबंध है मेरा केवल इतना कहना था कि अगर इस कानून के विषय को देखने के बाद मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देने के लिये मजबूर हूं क्यों कि हर दफा पर, हर कदम पर आप देखेंगे कि इस बात का प्रयत्न किया गया है कि आचार्य जी की जो इच्छा है वह पूरी हो। इस कानून के अन्दर यह भी रखा गया है कि कमेटी भी वही होगी जिसको आचार्य जी निश्चित करेंगे। उसका चेयरमैन भी वही होगा जिसको आचार्य विनोबा जी पसन्द करेंगे। इसके साथ-साथ इस कानून के अन्दर यह भी रखा गया है कि जमीन उसी आदमी को मिलेगी जिसके पास जमीन नहीं है। तो मैं तो राजस्व मंत्री जी को इसलिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कानून के अन्दर इस बात की पूरी-तौर पर कोशिश की है कि विनोबा जी की इच्छा के अनुसार इसको बनाया जाय। मैंने कहीं एक जगह पर भी यह नहीं देखा है कि आचार्य जी की इच्छा को पूरा न किया गया हो। इसलिये आज मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं। अलावा इसके कानून में यह भी प्रयत्न किया गया है बहुत से लोगों द्वारा दान दिये गये, तालाब, श्मशान परती जमीन की भी रक्षा हो

मुझे याद है कि एक रियासत ने अपने यहां के तमाम ऊसर को दे दिया, चूंकि उनको मालूम था कि जमींदारी टूट रही है उससे उनका अब क्या मतलब रहेगा और इस तरह से सारे गांव वालों का निकास-पैठास दान में चला गया। इस बिल में इस बात की भी एहतियात रखी गई है कि जो इस तरह से जनता के प्रयोग की जमीनें हैं वह दान से निकाल दी जायं। इस तरह से बहुत से दान देने वालों की मन्शा शुद्ध नहीं रही और उनका विचार ठीक नहीं रहा तो दान व्यर्थ हो जाता है।

इसके अलावा मैं एक बात की प्रार्थना और करूंगा और वह यह है कि जो विनोबा भावे जी का रास्ता है। वह महान है, यह संभव हो सकता है कि कानून या क़लम के जरिये जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं, उनसे लेकर बटवारा किया जाय। चीन में ऐसा किया गया, यह उदाहरण दिया जा सकता है लेकिन उससे जो चीन की बरबादी हुई है उसके विषय में यहां कहने का अवसर नहीं है वर्ना मैं सदन के सामने उस पर प्रकाश डालता। अभी सेठ गोविन्द दास चीन से आये हैं, उन का वक्तव्य जब देश के सम्मुख विस्तार रूप से आयेगा तब पता चलेगा कि वहां क्या करिश्मा हुआ है। देश और समाज जब ऊंचा होता है तब दान देने वाले वह लोग होते हैं जिनके पास कम जमीन होती है और तभी समझा जा सकता है कि देश का स्तर ऊंचा उठा। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह विनोबा भावे जी के उस रास्ते पर चलें कि जिस पर चल कर ही समाज का कल्याण हो सकता है, कानून के द्वारा किसी समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि वह यह समझने का प्रयत्न करें कि हो सकता है कि छोटे-मोटे रोग कानून के जरिये ठीक हो जायं लेकिन समाज का निर्माण कानून के द्वारा संभव नहीं है। इस देश में जब हिन्दुओं का राज्य था तब भी ऋषि और महर्षि समाज के उद्धार के लिये प्रचार करते हुये घूमते फिरते थे इसलिये यद्यपि यह सत्य है कि आज राज्य की सत्ता विनोबा भावे जी के विचार रखने वाली पार्टी के ही हाथ में है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उन के मिशन को पूरा करने के लिये कानून का इस्तेमाल किया जाय। मैं इस से सहमत नहीं हूं जब हमारे मित्र कहते हैं कि हजारों मील चलना बिनोबा जी के लिये उचित नहीं है। मैं कहता हूं कि एक विनोबा भावे के हजारों मील चलने से ही नहीं बल्कि उनके साथ-साथ और उनके पीछे सैकड़ों और हजारों विनोबा भावे इस मिशन को लेकर लाखों मील जब चलेंगे तब शायद इस देश का और भारत का निर्माण होगा।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्व मंत्री जी ने इस बिल को हाउस के सामने रख कर सारे भारतवर्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया है कि माननीय विनोबा भावे जी को जो सफलतायें भारतवर्ष में प्राप्त हुई हैं और जिनका ताल्लुक हमारे इस प्रांत से है उनको कानूनी शक्ल दी जायगी ताकि जिस किस्म का वितरण और जिन लोगों के लिये विनोबा जी चाहते हैं कानूनी शक्ल दे कर उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाय। जो प्रश्न इस वक्त हमारे सामने है उसका संबंध दान की मनोवृत्ति से अधिक है। जो जमीन उनको दान में मिली है इस राज्य के लोगों से वह तमाम सम्पत्ति विनोबा जी की है इसलिये उनकी इच्छा के अनुसार उनकी बनाई हुई नीति के अनुसार या उनके सिद्धांतों को सामने रख कर जिस तरह से वह चाहते हैं उस का वितरण किया जाना चाहिये, यह प्रश्न हमारे सामने हैं।

इस प्रश्न के साथ ही साथ जो मुखतलिफ विचारधारायें जमीन के वितरण के सिलसिले में इस हाउस में रखी गई हैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा या दूसरे सदस्यों द्वारा, उनका कोई मौका इस बिल के समय नहीं है। लेकिन उन्हें कहा जाता है, बराबर कहा जाता है। और बार-बार कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, वितरण के मुताल्लिक एक छोटी सी बात है कि जिसको अगर सोशलिस्ट पार्टी के नेतागण समझ लें तो मेरे खयाल से सिर्फ उन्हीं का उद्धार न होगा बल्कि हम सबका और सारे देश का उद्धार होगा। परन्तु मुझे दुःख है कि इस बात का समझने

[श्री खूब सिंह]

की कोशिश नहीं की जा रही है। बड़े बड़े दिमाग़ रखने वाले लोग भी इस भवन में मौजूद हैं जिनकी हम सब इज्जत करते हैं अगर वे उसके योग्य हैं। परन्तु असली बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जाती यह मेरी समझ में नहीं आता। क्या हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि हमें भूमि का बटवारा एक दफा करना है या बराबर करते रहना है ? कभी इस सदन के अन्दर सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इस प्रश्न को सामने नहीं रखा गया है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। यह एक मोटा सवाल है जिसके ऊपर हमें दिमाग लगाने की जरूरत थी। मुझे दुख है कि इसके ऊपर कोई दिमाग़ नहीं लगाया गया। यह बड़ी आसान बात है। यह मुमकिन है कि इस समय हम जमीन का बटवारा कर सकते हैं उन्हीं उसूलों को सामने रखते हुये जिन्हें सोशलिस्ट पार्टी वक्तन फ़वक्तन कहती है। लेकिन क्या यह बात मुमकिन हो सकती है कि हमारा जो फैमिली प्लानिंग है वह भी ऐसा हो गया हो कि हर एक आदमी एक ही एक बच्चा पैदा करेगा और वह भी लड़का ताकि जो विरासत में जमीन उसे मिले और उसके सन्तुलन को भी उतना हिस्सा रह जाय जितना उसके बाप के पास था। अगर यह मुमकिन नहीं है तो जमीन का बटवारा एक दफा करने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आज हमने जमीन का बटवारा बराबर कर दिया तो हमें तीन साल के बाद फिर करना होगा क्योंकि किसी काश्तकार के १० बच्चे और किसी के १ होगा। इस तरह की कमीबेशी तो फिर भी कायम रहेगी। मेरा ख्याल है कि जमीन का बटवारा उन सब बातों पर नहीं हो सकता जिन पर सोशलिस्ट कराना चाहते हैं।

एक और चीज हो सकती है अगर देश इसे स्वीकार कर ले। यह लास्टिंग चीज होगी। वह यह कि जमीन किसी की सम्पत्ति न रहे और उसे कोआपरेटिव सोसाइटी की सम्पत्ति करार दे दी जाय। यह तय कर दिया जाय कि एक शख्श इतनी जमीन पर अपनी अपनी रोटी पैदा करेगा और उन्हें अधिकार दिया जाय कि यदि वे अपने मेम्बर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकें। इस तरह से बराबर वितरण का सवाल हमेशा के लिये खत्म हो सकता है। कोआपरेटिव सिस्टम पर अगर हम काम करें और अपने देश के किसानों को और अपने राष्ट्र को इसके लिये तैयार कर लें कि वे अपनी सम्पत्ति से जमीन को बिलकुल खारिज करने के वास्ते तैयार हैं तो ठीक रहेगा। न जमीन मेरी होगी न गेंदा सिंह की होगी। न ज्यादा वालों की होगी और न कम वालों की होगी। वह स्टेट की सम्पत्ति करार दी जाय। तब तो एक चीज है, जो कि लास्टिंग हो सकती है। वह कुछ दिन कायम रह सकती है। तब हम सोचें कि दूसरे दृष्टिकोणों से ऐसा करना फायदेमन्द होगा और कहां तक। मैंने यह मुख्तसर बात आपके सामने रख दी है।

तो इस सिद्धांत को मानने के लिये या इस सिद्धांत पर कानूनी राय लेने के लिये यह जरूरी होगा कि जो आज जमीन के स्वामी हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, उनकी राय ली जाय। अगर वे तैयार नहीं होंगे तो हमारे सामने सिवाय तलवार के और कोई सहारा नहीं होगा और जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी भी कहती है कि वह तलवार का सहारा लेने के लिये तैयार नहीं है। हमारा एक भी काश्तकार अपना स्वामित्व छोड़ने के लिये तैयार नहीं है और इस दृष्टिकोण में सच्चाई है। कांग्रेस का सिद्धांत यह है कि हिन्दुस्तान को कोआपरेटिव कौमनवैल्थ में बदल कर उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया जाय। यह मोटो ही नहीं है बल्कि सबसे पहला उसूल है और इसी उसूल से सब कानून भी बनाये जाते हैं और पहिले भी जो कानून बनाये जाते रहे हैं वे भी इसी सिद्धांत पर बनाये जाते रहे हैं। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट जो हमने बनाया उसमें भी हमने इसी सिद्धांत को मौका दिया। जैसा कि उनका कहना है वह हो जाय तो बहुत अच्छा है लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा अभी इसके लिये जनता तैयार नहीं है। खामखाह ग़लत तौर पर परेशानी उठाना समझ में नहीं आता अगर परेशानी ही उठाना है तो सही उठाई जाय तो ठीक होगा। हम जो भी जमीन का बन्दोबस्त करते हैं उसमें हमारी

नुक्तेनिगाह बेहतर होनी चाहिये और उसके लिये हमारी नुक्तेनिगाह यह होनी चाहिये की पैदावार बढ़े। अगर कोई दृष्टिकोण ऐसा है जिसमें पैदावार नहीं बढ़ती है तो वह दृष्टिकोण हमें काबिल कबूल नहीं हो सकता। हमें गेहूं चाहिये, अनाज चाहिये, अपने देश वासियों को खिलाने के वास्ते अन्न चाहिये लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें अधिकार चाहिये, जमीन को बराबर बांटने के लिये। हमें पहले गल्ला चाहिये जिससे पेट भर अन्न मिल सके और हम जीवित रह सकें। अध्यक्ष महोदय, यह सीधा-साधा प्रश्न आज हमारे सामने है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया इस वक्त इस चीज का कोई मौका नहीं है।

एक सवाल जो गेंदा सिंह जी ने उठाया था उसका मुख्तसिरन जवाब मैंने दे दिया, खामखाह गलत सिद्धांतों को प्रोच करने से, हाउस का समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं होता। जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट से करीब-करीब बटवारे का प्रश्न हल हो जाता है। मैं नहीं समझता कि इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जिस चीज को माननीय गेंदा सिंह जी चाहते हैं यानी प्रत्येक फैमिली के पास ३० एकड़ या ५० एकड़ जमीन हो तो १० साल बाद वह अपने आप हो जायगी और किसी कानून के बनाने की जरूरत पेश न आयेगी। दो तरह से यह बात होगी एक तो इस प्रकार से कि जो आज एक जमीन का एक स्वामी है १० साल बाद उसके १० स्वामी बन जायेंगे। दूसरी बात यह है कि आज जो लोग जमीन जमीन चिल्ला रहे हैं वह एक कारण से चिल्ला रहे हैं उसका कारण यह है कि आज अनाज की कीमत गरां है। इसलिये लोग चाहते हैं कि अनाज जिस साधन से पैदा किया जाता है वह साधन हमारे हाथ में आ जाय। खुदानखास्ता कल को अनाज के दाम गिर गये और १९३५ की सी हालत हो गई जब कि बहुत से खेतों को काश्तकार छोड़-छोड़ कर भाग गये थे, और लोग जमीन को छोड़ कर इंडस्ट्री की ओर चले गये थे, तो क्या होगा? इसलिये अगर हम काश्तकारी और इंडस्ट्री को अलग-अलग लेंगे तो वह एक बहुत ही ग़लत चीज होगी। हमें दोनों को साथ-साथ लेकर चलना होगा। मैं तो कहता हूं कि काश्तकारी और इंडस्ट्री दोनों से ही देश का भला हो सकता है। हमें यह देखना चाहिये कि काश्तकारी और इंडस्ट्री को साथ साथ-चला कर जो उनमें काम करने वाले हैं वे गुजर-औकात आराम से कर सकते हैं या नहीं। मैं इंडस्ट्री वाली बात इस सदन के सामने लाना पसन्द नहीं करूंगा क्योंकि अब १०-५ मिनट ही वक्त रह गया है।

अब मैं इस बिल पर आता हूं जो कि इस सदन के सामने पेश है। इस सम्पत्ति के मुताल्लिक जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसका इन्तजाम किस तरह से होना चाहिये। सर्वप्रथमतः यह सभी जानते हैं कि यह सम्पत्ति उनको दान में दी गयी है और उनकी चीज है, उसको जिस तरह से वे चाहें अपना इन्तजाम कर सकते हैं। इसलिये यह कहना कि इस पर उनकी राय के लिये इसे उनके पास भेजा जाय मेरी समझ से कोई ठीक बात नहीं मालूम होती है। जिस तरह से वे चाहते हैं इसके मुताल्लिक उनकी राय भी ली जा चुकी है और मोटी सी बात यह है कि उनका उद्देश्य क्या है, यह हमको और आपको सब को मालूम है। हम सब जानते हैं कि वे इस भूमि का वितरण करना चाहते हैं और बहुत सी जगह उन्होंने उसका वितरण खुद कर भी दिया है। जब उनकी इच्छा हम सब को अच्छी तरह से मालूम है तो फिर हाउस का समय नष्ट करना और इस बिल के पूरा होने और पारित होने में देर लगाना कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये और आचार्य विनोबा भावे की राय जानने के लिये भेजा जाय, बिलकुल गलत बात है। आखिर सोशलिस्ट पार्टी की इसके पीछे क्या मनोवृत्ति है? अगर उनकी यही मनोवृत्ति रही तो फिर बड़ी मुश्किल बात है और उनकी इच्छा के मुताबिक हम कोई कानून नहीं बना सकते। फिर एक बात और यह है कि अभी कानून बनने दें। बाद में अगर कोई कमी रह गयी तो हम कोई दूसरा संशोधन बिल लाकर इसको ठीक कर लेंगे। जैसे कि पचासों किस्म के संशोधन बराबर रात-दिन लाते ही रहते हैं। तो मैं श्री गेंदा सिंह जी के

[श्री खूब सिंह]

संशोधन की मुखालिफत करता हूं और गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल हाउस के सामने विचार करने के लिये लाया गया है उसकी पूरी तरह से मुआफिकत करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यू० पी० भू-दान यज्ञ बिल जो आज सदन के सामने आया है उसका विरोध करना असम्भव है। माननीय गेंदा सिंह जी ने इस सदन के सामने जो भाषण दिया उसमें भी उन्होंने माननीय मंत्री महोदय, सरकार और आचार्य विनोबा भावे की प्रशंसा की है। बिल का लक्ष्य जो है उसके बारे में अभी कुछ कहना आवश्यक नहीं है। अभी हमारे सामने जो प्रश्न है वह केवल यही है जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, और इस बिल का आचार्य-विनोबा भावे जी के पास भेजना आवश्यक है या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा, उनके पास भेजना तो सम्भवन नहीं है किन्तु जो तरीका आपने बतलाया उससे इस सदन को आचार्य जी की राय का लाभ हो सकता है। माननीय राम नरेश जी शुक्ल ने अपने भाषण में कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी का भाषण न मालूम क्यों समझ में नहीं आया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वे सदैव अपने भाषण का आरम्भ इसी प्रकार करते हैं। मगर मैं इस समय माननीय गेंदा सिंह जी का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय गेंदा सिंह जी ने आचार्य विनोबा भावे के बारे में बहुत कुछ कहा। दुर्भाग्यवश मुझे अभी तक आचार्य जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। आशा करता हूं भविष्य में अवश्य यह सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जो कुछ माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा उसमें बहुत सत्य है किन्तु उन्होंने इस विधेयक को आचार्य जी के पास भेजने के संबंध में विशेश कर इन बातों में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित नहीं किया। मैं जानता हूं कि आचार्य जी के विचारों का पूरे भारतवर्ष के निवासियों को भली भांति पता है।

भारतवर्ष के सब निवासी आचार्य जी को धन्यवाद देते हैं और बारम्बार उनको एक प्रकार का अवतार मानने के लिये भी तैयार हैं। भारतवर्ष का यह सौभाग्य है कि हर एक शताब्दी में कोई न कोई अवतार यहां सही रास्ता दिखाने के लिये आगे आ जाता है। मैं संस्कृत का कोई बड़ा विद्वान तो नहीं हूं मगर गीता के वह शब्द याद आते हैं।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् ।।

हम अपनी ओर से महात्मा जी को अवतार मानने को तैयार हैं और मानते हैं और हम अपनी ओर से आचार्य जी को भी अवतार मानने के लिये तैयार हो सकते हैं किन्तु हमें आगे यह सोच लेना चाहिये कि क्या आचार्य जी अपने आपको हमारे सामने, जनता के सामने अवतार मनवाना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न कहां है ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--यह प्रश्न मैं इसलिये पूछता हूं कि हम इस विधेयक के द्वारा एक महापुरुष के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी सौंपते हैं कि जो सम्भव हो सकता है कि वे इस जिम्मेदारी को स्वयं न लेना चाहें। इस विधेयक द्वारा हम जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सब कामों की जिम्मेदारी आचार्य जी पर छोड़ते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार की भूदान के संबंध में आचार्य जी के कामों में बाधा डालने की कोई इच्छा नहीं है। यह अच्छी बात है। सरकार तो अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमको जानना आवश्यक है कि क्या आचार्य जी इन जिम्मेदारियों को लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अभी और समय लेंगे।

श्री महाराज कुमार बालेन्दुशाह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो मैं एक सूचना देकर सदन को आज उठने के लिये कहता हूं और आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखेंगे।

शरणार्थी स्थायी समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—शरणार्थी स्थायी समिति के लिये १४ नाम नामजद हुये थे और उनमें से किसी ने नाम वापस नहीं लिया है। १४ लोग ही चुने जाने वाले थे और इसलिये मैं उनको निर्वाचित घोषित करता हूं। उनके नाम ये हैं—

१. श्री शिवमंगल सिंह कपूर
२. श्री सरदार तेजा सिंह
३. श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय
४. श्रीमती लक्ष्मी देवी
५. श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह
६. श्री नारायण दत्त तिवारी
७. श्री सैयद मोहम्मद सादत अली खां
८. श्री केशव प्रसाद पांडेय
९. श्री राम चन्द्र विकल
१०. श्री उमाशंकर
११. श्री शिवराम पांडेय
१२. श्री गंगाधर शर्मा
१३. श्री मन्नी लाल गुरुदेव
१४. श्री राम सुमेर।

(इसके बाद सदन ५ बजे बुधवार, २४ दिसम्बर, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ दिसम्बर, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७ पर)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५२।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या, १४, १९५० ई०।

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० ई० को और आगे प्रचलित रखने के निमित्त उसमें संशोधन करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९५२ ई०।

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० को उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, १९५२ ई० द्वारा जनवरी, १९५३ ई० तक जारी रक्खा गया था;

और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३१ जनवरी, १९५४ ई० तक और प्रचलित रखने की व्यवस्था की जाय।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

मूल अधिनियम का प्रचलित रहना उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १४, १९५० ई०।

२—समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५३" के स्थान पर संख्या "१९५४" रखी जाय।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० ई० की अवधि ३१ जनवरी, १९५३ ई० को समाप्त हो जायगी। इस समय भी यह अवश्यक है कि आयात की जाने वाली आवश्यक औषधियों पर नियंत्रण रखा जाय। अतएव सरकार का यह विचार है कि उक्त ऐक्ट के उपबंध उसकी समाप्ति के दिनांक से एक वर्ष तक के लिये और जारी रखे जायं।

२—यह विधेयक उक्त उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
खाद्य तथा रसद मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४६ एल० ए०—१९५३—१५०